राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १] तृतीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९६२ का २५ वां दिवस [संख्या १७

शुक्रवार, दिनांक ६ अप्रेल, १९६२

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर ३ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारंभ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सार्वजनिक-निर्माण, समाज-कल्याण राजस्व, शिक्षा, यातायात, उद्योग तथा शक्ति-विभाग]

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसहाय।

करोली-मासलपुर सड़क का निर्माण

१२५. **श्री गोविन्दसहाय** (गंगापुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

करोली से मासलपुर जाने वाली सड़क का कार्य कब तक पूरा होने वाला था तथा अब तक क्यों नहीं पूरा हो सका ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : योजनानुसार तृतीय पंचवर्षीय योजना में।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोविन्दसहाय : जरा जोर से कहिये।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : योजनानुसार तृतीय पंचवर्षीय योजना में।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोविन्दसहाय : श्रीमान्‌जी, उसका काम तो १५ वर्षों से बराबर चल रहा है। क्या सवाल नहीं उठता है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : १४ मील का लक्ष्य दूसरी योजना में था वह पूरा हो गया है और बाकी ४ मील पर काम तेजी से चालू है।

श्री गोविन्दसहाय : इस सड़क पर तो स्टेट के टाइम से ही काम शुरू हुआ था आज से १५ साल पहले और आज भी यह उसी हालत में है जब कि इसको सेकिण्ड फाइव ईयर प्लान में पूरा हो जाने को था ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ऐसा है

Page No. 2

(श्री भवानीशंकर)

कि १४ मील का टुकड़ा तो बन चुका है और बाकी पर काम चल रहा है ।

श्री गोविन्दसहाय : आपके पास जो रिपोर्ट है वह बिल्कुल गलत है ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैं अपनी जानकारीके अनुसार आपको जवाब दे चुका हूं ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अगर आपकी जानकारी गलत है तो उसको करेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : गलत हो तब तो ।

श्री मानसिंह महार : सदस्य कहते हैं वह गलत है या आपका जो स्टाफ कहे वह गलत है ?

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : जो सड़क का प्रश्न था करोली से मासलपुर उसके बारे में जो मन्त्रीगण ने जवाब दिया उसको टुकड़े करके दिया गया । मेरी समझ में सारी सड़क की जानकारी करके जवाब देना चाहिए था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सड़क को प्राथमिकता नहीं दिया जाना और जो प्रश्न है उसको सही जवाब से वंचित रखना अच्छा नहीं ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : आपने क्या कहा ? समझा नहीं ।

श्री विजयसिंह झाला : प्रश्न यह था कि करोली से मासलपुर सड़क है वह दूसरी योजना में बन गई ? उसकी जानकारी नहीं की गयी और जो सड़क आगे बनने वाली है उसी का जवाब दिया गया ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना . उसकी पूरी जानकारी दी है । कुल ४ मील का टुकड़ा बाकी है ।

एक माननीय सदस्य : काम कब शुरू हुआ ?

श्री गोविन्दसहाय : कब पूरा हुआ था ?

श्री अध्यक्ष : दूसरी योजना में कितनी सड़क बननेवाली थी आपकी योजना के अन्तर्गत ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : १४ मील तक बनने वाली थी वह बन गई है ।

श्री गोविन्दसहाय : यह रिपोर्ट गलत है उस पर काम बिल्कुल बन्द है और जैसी हालत १५ वर्ष पूर्व थी उसी हालत में है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री विजयसिंह झाला ।

आदिम जाति ग्राम उद्योग संघ, अशोकनगर (उदयपुर)

१२६ **श्री विजयसिंह झाला**(नाथद्वारा): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) आदिम जाति ग्राम उद्योग संघ, अशोकनगर, उदयपुर को कुल कितना कर्ज तथा अनुदान दिया गया है ?

(२) इस अनुदान तथा कर्ज में बिल्डिंग के लिए कितनी रकम थी ?

(३) क्या यह सही है कि जिस तरह नक्शा बिल्डिंग के लिए अप्रूव किया गया था उसके अनुसार कार्य नहीं होकर उसमें परिवर्तन

(श्री विजयसिंह झाला)

किया गया ?

(४) यदि हां, तो क्या बिल्डिंग का कोई दूसरा अप्रूव्ड नक्शा बना था ?

(५) इस उद्योग संघ को अभी तक कितना लाभ या नुकसान हुआ ?

(६) इस उद्योग संघ में कुल कितने कर्मचारी हैं ? उनका वेतन कितना है ? कृपया पूर्व विवरण सदन के समक्ष रखें ।

उप-मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) आदिम जाति ग्राम उद्योग संघ, उदयपुर को समाज कल्याण विभाग से कोई ऋण नहीं दिया गया । अनुदान दिया गया है । उसकी सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) १.२५ लाख रुपये की धनराशि अनुदान के रूप में ।

(३) जी नहीं ।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(५) संघ द्वारा चलाई हुई प्रवृत्तियां जिसके लिए इस विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता है उनमें संघ को कोई आर्थिक लाभ या हानि नहीं हुई है ।

(६) सूची 'ब' सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री विजयसिंह झाला : इस उद्योग संघ के मूल उद्देश्यों पर कुछ जानकारी देंगे ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जरा फिर से प्रश्न करें, सुनाई नहीं दिया ।

श्री विजयसिंह झाला : इस उद्योग संघ का मूल उद्देश्य क्या है, क्या इसकी जानकारी आप देंगी ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : आदिवासी क्षेत्रों में आदि जाति की सेवा ।

श्री विजयसिंह झाला : जो अनुदान दिया जाता है । उसके लिए क्या आधार है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : अलग अलग आधारों पर अनुदान दिया जाता है । कुछ खादी बोर्ड का है, कुछ सेन्टर का है । इस लिए अलग अलग हैड्स हैं इसलिए रुपया केवल समाज कल्याण का ही नहीं है ।

श्री विजयसिंह झाला : प्रश्न यह है कि जो अनुदान दिया गया उस अनुदान को देने के लिए सरकार की तरफ से क्या आधार बना रखे हैं कि उन आधारों को पूर्ति होने पर अनुदान दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : उसका उत्तर मिल चुका है कि विभिन्न योजनायें हैं । कुछ खादी बोर्ड की हैं, कुछ सेन्टर की हैं और कुछ दूसरी हैं उसके अन्तर्गत मिलता है ।

श्री विजयसिंह झाला : प्रश्न यह था कि जो अनुदान दिया गया वह एक ही आधार पर दिया गया या अलग अलग आधार पर दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : वह तो विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दिया गया है। उसमें विभिन्न शर्तें होती हैं।

श्री विजयसिंह झाला : प्रश्न यह था कि कितना अनुदान दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : उसका उत्तर दिया है।

श्री विजयसिंह झाला : खाली उसकी धनराशि बता दी गयी है लेकिन किस आधार पर दिया गया, यह नहीं बताया गया।

श्री अध्यक्ष : हर एक योजना के जुदा जुदा आधारों पर योजनाओं के अन्तर्गत मिला है।

श्री विजयसिंह झाला : तो क्या जिसके लिए वह अनुदान दिया गया उसकी उद्देश्य पूर्ति अभी तक इस संघ द्वारा हुई या नहीं; इसकी जानकारी आपने की ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इसके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आपने ऐसी जानकारी करके ही अनुदान मंजूर किया है या क्या है ? पहले जो दिया है उसके संबंध में जानकारी दें ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जो प्रश्न पूछा गया उसके बारे में फैक्ट्स बता दिये। इससे अलग जानकारी करनी चाहें तो अलग से प्रश्न कीजिए।

श्री विजयसिंह झाला : यह २५ लाख रुपये की धनराशि देने का उद्देश्य पूरा हुआ है या नहीं और इस प्रकार की बड़ी धनराशि का अपव्यय करना कहां तक उचित है ?

गृह मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : यह १ लाख, २५ हजार है।

श्री विजयसिंह झाला : जो यहां लिखा गया है वह स्पष्ट नहीं है। सम्भव है कि कोई टाइप की मिस्टेक हो। खैर, १ लाख २५ हजार की धन राशि भी काफी बड़ी धनराशि मैं मानता हूँ। मेरी समझ में १.२५ लाख की बहुत बड़ी धनराशि है उसके बाद में भी उद्देश्य की पूर्ति हुई या नहीं, इसकी जांच नहीं करना कहां तक उचित है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जो बिल्डिंग बनने को थी वह बन गई।

भाखरा क्षेत्र के भूमिहीन किसानों को दी गई जमीन

१२७. **श्री श्योपतसिंह** (हनुमानगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या सरकार को विदित है कि भाखरा क्षेत्र के भूमिहीन किसानों को भाखरा क्षेत्र में सरकारी भूमि न देकर उन्हें पाकिस्तान के बोर्डर पर बसाया जा रहा है ?

(२) क्या यह भी सही है कि जो भूमि भूमिहीन किसानों को दी जा रही है वह बंजड़ व गैर-आबाद है ?

(३) क्या यह सही है कि भाखरा क्षेत्र के भूमिहीन किसानों ने यह जमीन लेने से इन्कार कर दिया था तथा उनकी मांग थी कि उन्हें राजस्थान नहर के रावतसर डिवीजन में नारंग-

(श्री श्योपतसिंह)

देसर नहर क्षेत्र में जमीन अलॉट की जावे ?

(४) यदि हां, तो क्या सरकार इन भूमिहीन किसानों को रावतसर डिवीजन में ही जमीन देने का निर्णय लेने का विचार रखती है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) भाखरा क्षेत्र के भूमिहीनों को भूमि अलॉट करने के पश्चात् बचे हुए भूमिहीनों के प्रार्थना-पत्रों के अनुसार उन को राजस्थान केनाल में भूमि दी जा रही है ।

(२) भाखरा क्षेत्र में हर प्रकार की भूमि जो आवंटन के लिए प्राप्त थी भूमिहीन किसानों को आवंटित की गई ।

(३)कुछ किसानों ने आपत्ति की थी ।

(४) जी नहीं ।

श्री श्योपतसिंह : माननीय अध्यक्ष, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बताया वह साफ नहीं बताया । प्रश्न संख्या (१) में पूछा था कि उनको पाकिस्तान के बोर्डर पर बसाया जा रहा है, क्या यह बात सही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कई जगह बसाया जा रहा है । कुछ जगह पाकिस्तान के बोर्डर के पास की भी हो सकती है ।

श्री श्योपतसिंह : कई जगह नहीं बसाया जा रहा है । हनुमानगढ़ क्षेत्र के भूमिहीन किसान हैं उनको भाखरा क्षेत्र से हटा कर पाकिस्तान के बोर्डर पर बसाया जा रहा है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि पाकिस्तान के बोर्डर पर बसाया जाय । जहां भूमि उपलब्ध है वहीं बसाया जा सकता है । बोर्डर पर भी हो सकते है और दूसरी जगह भी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जिन भूमिहीन किसानों को बोर्डर पर बसाया जा रहा है क्या उनके लिए भाखरा क्षेत्र में हो भूमि उपलब्ध नहीं थी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : भाखरा क्षेत्र के अन्दर जितनी भूमि देने का तय किया गया था जब उतनी जमीन दी जा चुकी थी उसके बाद में कुछ भूमि ऑक्शन के लिए निश्चित की गई और इनको राजस्थान नहर के अन्दर बसाया जा रहा है ।

श्री श्योपतसिंह : जब उन्होंने रावतसर सब-डिवीजन के लिए दर्ख्वास्त की थी जो कि हनुमानगढ़ के नज़दीक पड़ता है तो क्या कारण है कि उनको वहां नहीं दी गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वहां पर बहुत सी जमीन ऑक्शन के अन्दर जानेवाली है और कई जमीनें ऐसी हैं जिन पर पहले से लोगों का कब्जा है । इस वजह से जहां आसानी से दी जा सकती है वहां दी गई है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): रावतसर डिवीजन में राजस्थान केनाल के अन्दर भूमि दी जा सकती थी ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वहां जो भूमि निर्धारित की गई है उसके अन्दर उस क्षेत्र को नहीं रखा गया ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : राजस्थान

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

केनाल में भूमि नीलाम की जाती है या केवल भाखरा क्षेत्र की ही भूमि नीलाम की जा रही है; जब कि रावतसर डिवीजन की भूमि जो कि नीलाम नहीं होने वाली थी वह भूमि क्यों नहीं दी गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उस जमीन के बारे में पंजाब सरकार और दूसरों से बात-चीत करके निर्णय लिया जा सकता है कि उस भूमि के बारे में अन्तिम रूप से क्या निर्णय किया जाय। पंजाब का जो पोर्शन डूब में आ रहा है वहां के लोग चाहते हैं कि पंजाब के एरिया के निकट उनको भूमि दी जाय। उसके एलॉटमेंट के बारे में पंजाब सरकार और भारत सरकार के साथ बातचीत चल रही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या रावत-सर डिवीजन की भूमि पंजाब के लोगों को देने के लिए रिज़र्व कर दी गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने कहा कि अभी कोई निश्चय नहीं हुआ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : भूमिहीनों को जमीन देने और जमीन को नीलाम करके देने के बारे में किसको प्रायोरिटी देने का तय किया हुआ है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : प्रायोरिटी भूमिहीनों को पहुंचाई जाय और साथ ही साथ जमीन का ऑक्शन होकर उससे सरकार को रुपया भी मिले, इन दोनों की जरूरत साथ में है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बराबर है या प्रायोरिटी है ? सवाल यह है कि उसी भाखरा क्षेत्र में भूमिहीन भी जमीन चाहते हैं। आपने अभी फरमाया कि वहां जमीन नीलाम करके दी जा रही है और उन लोगों को इसीलिए बोर्डर पर बसाया जा रहा है कि उससे अधिक जमीन वहां पर नहीं थी। इसका मतलब यह हुआ कि भूमिहीन लोगों को उसी क्षेत्र में जमीन देने के बजाय आप ऑक्शन को प्रायोरिटी दे रहे हैं, यह सही है क्या ? यही सरकार की नीति है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं इस प्रश्न का उत्तर कई बार इस सदन के समक्ष दे चुका हूँ कि भाखरा के एरिया के अन्दर हमने ६१,४८६ बीघा जमीन लैंडलेस को भी एलॉट की है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बेसिस पर ३,१७६ बीघा एलॉट की गई है। टेम्पोरेरी कल्टीवेटर्स थे जिनके राइट्स खातेदारी के नहीं थे ऐसे लोगों को तीन लाख बीघा जमीन एलॉट की गई है। हम चाहते हैं कि उनको एलॉट हो। साथ ही साथ आर्थिक पोइन्ट ऑफ व्यू से कुछ जमीन हम ऑक्शन भी करते जायं कि जिससे वह रुपया मिल कर हमारे आगे के प्लान वगैरह के अन्दर सहूलियत पैदा हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऑक्शन के लिए कितनी जमीन रखी गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी वहां इस वक्त ४०,००० बीघा बाकी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लेकिन प्रश्न यह है कि रावतसर क्षेत्र में हजारों बीघा जमीन राजस्थान केनाल की पड़ती है और राजस्थान केनाल की हजारों बीघा जमीन सारी की सारी क्या पंजाब वालों के लिए रिज़र्व कर दी गई है

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

और इसके लिए रावतसर के क्षेत्र में भूमि नहीं देकर बोर्डर पर दी जा रही है ? इसका दूसरा प्रश्न जो इससे आगे आता है वह भी बता दूं कि क्या बोर्डर क्षेत्र में फौजियों के लिए जमीन रिज़र्व की जाय, ऐसा निर्णय सरकार का नहीं है ? तो क्या फिर डबल एलॉटमेंट होने से लिटिगेशन नहीं हुई है बोर्डर पर ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : लिटिगेशन की सूचना मुझे नहीं है, लेकिन फौजियों के लिए कहना चाहता हूँ कि बोर्डर एरिया पर जो एक्स मिलिटरी पर्सोनल्स हैं उनको वहां एलॉट करने के बारे में विचार रखती है। जहां तक रावतसर एरिया का सवाल है, उसका भी कोई अन्तिम रूप से फैसला कर दिया हो कि पंजाब के लोग हैं उन्हीं को दिया जाय, यह बात नहीं है। सारा प्रश्न विचाराधीन है। इसके बाद में फाइनल डिसीजन लिया जायगा।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : कुल कितने भूमिहीन किसान थे और कितनों को जमीन दी जा चुकी है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस प्रश्न का उत्तर जिस वक्त में गवर्नर महोदय का अभिभाषण पर वादविवाद हो रहा था उस वक्त दे चुका हूँ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या राजस्व मंत्री यह आश्वासन देंगे कि रावतसर क्षेत्र में जो अधिक भूमि होगी वह भूमिहीन किसानों को अलॉट की जायगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी ऐसा कोई आश्वासन नहीं दे सकता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दूसरी जगह अगर बसाये जायेंगे तो उनका केस प्रेजुडिस्ड हो जायगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बस जायेंगे तो उनके केसेज प्रेजुडिस्ड कैसे हो जायेंगे ? वे बस जायेंगे उल्टे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वे बैटर जगह चाहते हैं। नजदीक जगह उनको मिल सकती है तो मजबूरन उनको दूर भेजा जा रहा है। यह दूसरा तरीका है पंजाब वालों के लिए रिज़र्व करने का ताकि यह दूसरी जगह लेलें मजबूर होकर और पंजाब वालों के लिए वह अपने आप खाली हो जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने अर्ज किया कि इन सारे प्रश्नों पर विचार करने के बाद ही हम फैसला करने वाले हैं। मैं समझता हूँ कि पंजाब वालों के लिये कौनसी जमीन रिज़र्व है उसके विवाद में इस वक्त पड़ना उचित नहीं है।

श्री श्योपतसिंह : रावतसर की ज्यादा कीमत की जमीन उन किसानों को नहीं दी जाकर बंजड़ जमीन दी गई है हनुमानगढ़ में। जहां उनको बसाया जा रहा है पाकिस्तान बोर्डर पर वह वहां से १०० मील दूर है जब कि रावतसर डिवीजन में उसी तहसील में जमीन पड़ी हुई है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सवाई माधोपुर में हायर सेकिन्डरी स्कूल का खोला जाना

१२८. श्री **श्रवणलाल** (हिन्डोन) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा

(श्री श्रवणलाल)

करेंगे :—

क्या सरकार को जिला सवाई माधोपुर में इस वर्ष कोई हायर सेकिन्डरी स्कूल खोलने की योजना है ? यदि हां, तो कहां, कहां ?

उप-मन्त्री, शिक्षा(श्री परसराम मदेरणा): अभी तक माध्यमिक शालाओं को जूनियर हायर सेकन्डरी स्कूलों में परिवर्तित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है....

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, दुबारा बोलने का कष्ट करें : स्पष्ट सुनाई नहीं दिया।

श्री परसराम मदेरणा : अभी तक माध्यमिक शालाओं को जूनियर हायर सेकिन्डरी स्कूलों में परिवर्तित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। माध्यमिक शाला, मलारना, डूंगर मान्डरेल, सरोथ तथा बामनवास जिला सवाई माधोपुर में जूनियर हायर सेकिन्डरी खोलने के प्रश्न पर दूसरे ऐसे स्कूलों के साथ साथ जो सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति करते होंगे तो विचार किया जायगा ।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : हायर सेकिन्डरी स्कूल खोलने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है ? क्या इसके लिए कोई पर्टीक्युलर नियम बना रखे हैं कि वहां पर खोलेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : हायर सेकिन्डरी स्कूल खोलने के लिए ६ शर्तें रखी हैं। पहली यह है कि उस मिडिल स्कूल में कम से कम विद्यार्थियों की संख्या २०० होनी चाहिए। और जो मिडिल स्कूल सेक्शन हैं, छठी, सातवीं और आठवीं उनमें विद्यार्थियों की संख्या ७४ होनी चाहिए । दूसरी शर्त यह है कि उस स्कूल के २० मील के रेडियस के भीतर फीडर मिडिल स्कूल होनी आवश्यक हैं। तीसरी शर्त यह है कि २० मील के एरिया में दूसरी हाई स्कूल या हायर सेकिन्डरी स्कूल नहीं होनी चाहिए । चौथी बात यह है कि स्कूल के लिए पब्लिक को बिल्डिंग देनी होगी जो स्टेन्डर्ड के माफिक होगी और और पहले साल के लिए रेकरिंग और नोन रेकरिंग १५,०००) रु० का सहयोग गांव वालों को देना पड़ेगा। पांचवी बात यह है कि प्रायोरिटी यह देनी होगी कि तहसील हैडक्वार्टर पर हाई स्कूल या हायर सेकिन्डरी स्कूल नहीं है, तो पहले वहां पर खोली जायगी और रुरल एरिया को भी प्रायोरिटी दी जायगी ।

ये ६ शर्तें हैं। इनके अलावा गवर्नमेंट फंडस की जो कैपेसिटी है उसको ध्यान में रख कर विचार किया जायगा ।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या यह बतायेंगे कि इन शर्तों को पूरा करने वाले कितने ऐसे स्कूल्स हैं जहां हायर सेकिन्डरी स्कूल खोलना चाहते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : सब शर्तों को पूरा करते हुए अभी प्रपोजल्स सरकार के पास आये नहीं हैं । आने के बाद बताया जा सकता है कि इन शर्तों को पूरा करने वाले कितने स्कूल्स हैं जिनको अपग्रेड कर सकते हैं।

Page No. 9

श्री अब्दुलजब्बार : क्या मन्त्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि शर्तों की पूर्ति न होना उनके एज्युकेशन के डेवलपमेन्ट में हिन्डरेन्स है ?

श्री परसराम मदेरणा : एज्युकेशन के डेवलपमेन्ट में आप और हम सब उत्सुक हैं, लेकिन सरकार के फंड्स की कैपेसिटी है। जो निर्धारित किया गया है उससे आगे नहीं बढ़ सकते। आप खुद जानते हैं, सदन जानता है कि पब्लिक एक्सचेकर का २५ प्रतिशत खर्चा एज्युकेशन के विकास पर हो रहा है। पिछले दस सालों से बहुत ज्यादा इस ओर प्रयास किया जा रहा है। हर साल स्कूलें खुलने की तादाद बढ़ती जा रही है। इस साल इन सब शर्तों को पूरा करने वाली बिल्डिंग वगैरह के खर्चे का सहयोग देने वाली कितनी स्कूलें हैं जो अगले सेशन में अपग्रेड की जानी चाहिए, इसकी सूचना इस समय मेरे पास है नहीं। डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन के प्रपोजल्स आयेंगे और सरकार उन पर विचार करके निर्णय लेगी तभी कह सकता हूं कि कितने स्कूल्स अपग्रेड होंगे। जहां फंड्स की कमी की वजह से नहीं खोले गये।

श्री श्रवणलाल : क्या शहरवालों के लिए भी शर्तें हैं या गांववालों के लिए ही हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री बृजेन्द्रपाल।

इस पर बहस नहीं होगी, आप कट मोशन्स के जरिये पूछ सकते हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : इससे सम्बन्धित प्रश्न ही पूछना चाहता हूँ और वह यह है कि क्या मन्त्रीजी कृपा करके यह बताने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान सरकार के पास जिलावाइज़ सर्वे करवा कर योजना बनाई हुई है कि कहां कहां किस किस समय हाई स्कूल या हायर सेकिन्डरी स्कूल्स खोले जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में है, इस पर जनरल बहस नहीं हो सकती।

श्री श्रवणलाल : क्या यह बताने की कोशिश करेंगे कि जितने हायर सेकिन्डरी स्कूल्स खुले हैं वे शर्तें पूरी होने के बाद खुले हैं ?

श्री अध्यक्ष : आपने फिर जनरल प्रश्न पूछ लिया। आपके इलाके के बारे में बता दिया।

श्री अब्दुलजब्बार : प्रश्न यह उठता है कि इस प्रकार की शर्तें जो मजबूरी के कारण पूरी नहीं कर सकते हैं, वे क्या इससे महरूम रखे जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

करोली-मासलपुर रूट पर बसों का परमिट

१२६. **महाराजकुमार श्री बृजेन्द्रपाल** (करोली) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

करोली-मासलपुर सड़क पर कितनी बसों की परमिट किन किन व्यक्तियों को दी गई हैं और इस समय कितनी बसें लाइन पर चालू हैं ?

Page No. 10

यातायात मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : करोली-मासलपुर रूट पर ५ बसों के पर्मिट निम्नानुसार दिये हैं, उनमें से तीन बसेज़ चालू हैं। एक की निर्धारित अवधि समाप्त होने के कारण चालू नहीं है।

१. शिवकुमार आर. जे. एल. ६१०५
२. श्री बुधलाल जमनालाल आर. जे. एल ११५६
३. श्री होतीलाल जयप्रसाद ३०६४
४. श्री स्वर्ण बस सरविस ६०६३
५. श्रीमती शांतिदेवी आर. जे. ए. ५६१

महाराजकुमार श्री बृजेन्द्रपाल : मन्त्री जी ने सूचना दी है उसमें से एक ही बस चालू है और ३ बसें खराब हैं, क्या यह सच है?

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास जो जानकारी है उसमें तीन चल रही हैं, एक खराब हो रही थी। वह भी चालू हो रही है।

श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : परमिट ही खराब बसों को दिए जाते हैं।

महाराजकुमार श्री बृजेन्द्रपाल : तीन बसें कौनसी चल रही हैं?

श्री हरिश्चन्द्र : शिवकुमार गुप्ता की, बुद्धलाल जमनालाल की और स्वर्ण बस सरविस की।

महाराजकुमार श्री बृजेन्द्रपाल : जो नहीं चल रही हैं उनके लिये क्या विचार है?

श्री हरिश्चन्द्र : उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : परमिटें मोटरों को दी जाती हैं वे किस आधार पर?

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न एक स्थिति को लेकर होता है, आप जनरेलाइज़ करते हैं। आप यह नहीं पूछ सकते कि परमिट देने के अन्दर क्या होता है। प्रश्न इस बारे में है कि यहां बसें चलती हैं या नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : तीन बसें चल रही हैं और एक नहीं चल रही है; उधर से यह इत्तला मिली कि एक चल रही है। और बाकी नहीं चल रही हैं तो क्या यह सही है कि इतनी गाड़ियों के परमिट लेकर एक ही चलाते हैं और परमिट का दुरुपयोग करते हैं?

श्री अध्यक्ष : यह भी प्रश्न से संबंधित नहीं है, जनरेलाइज़ कर दिया।

श्री मुरलीधर व्यास : एक बस को नहीं चलाते हैं तो परमिट जमा कराना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आप यह पूछिये। यह नहीं कि प्रश्न को जनरेलाइज़ करदें।

इसका उत्तर देने दीजिये कि एक क्यों नहीं चलती?

श्री हरिश्चन्द्र : ३०६४ नंबर की होतीलाल जयप्रसाद की बस खराब होने के कारण नहीं चल रही है। श्रीमती शान्तिदेवी की ५६१ नंबर की बस की अवधि समाप्त हो गई, इसलिये नहीं चल रही है।

Page No. 11

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह खराब कितने समय तक रही ?

श्री हरिश्चन्द्र : अभी खराब है, मेरा ऐसा खयाल है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि कब से खराब पड़ी है ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । डिपार्टमेन्ट तो इस बात को जानता होगा कि कौनसी बस कितने समय से खराब है । डिपार्टमेन्ट इस बात का ध्यान रखता है या नहीं ? जो लोग परमिट लेकर नहीं चलाते हैं उनके खिलाफ डिपार्टमेन्ट क्या एक्शन लेता है, डिपार्टमेन्ट कितना विजिलेन्ट है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो ऐसा करते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष : उनके खिलाफ एक्शन की बात नहीं है, डिपार्टमेन्टवाले क्या कर रहे हैं, उनके नोटिस में ये चीजें होनी चाहिये, आप पूरी जानकारी करें ।

श्री विजयसिंह झाला : ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री विजयसिंह झाला : यह क्वेश्चन है....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ।

मिडिल स्कूल, केथून (कोटा) का हाई स्कूल में परिवर्द्धन

१३०. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा-सु.) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) मिडिल स्कूल केथून, जिला कोटा में किस किस कक्षा में कितने कितने छात्र शिक्षा पा रहे हैं ?

(ख) क्या यह सत्य है कि वहां की जनता द्वारा लम्बे अर्से से हाई स्कूल की मांग करते रहने पर भी स्वीकृति नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) सरकार कब तक वहां हाई स्कूल खोलने का इरादा रखती है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री परसराम मदेरणा) : (क) केथून मिडिल स्कूल में जिन जिन कक्षाओं में जितने जितने विद्यार्थी हैं उनकी संख्या इस प्रकार है:—

कक्षा	संख्या विद्यार्थी
१	१६३
२	८३
३	७८
४	६१
५	४८
६	६६
७	५८
८	४७

(ख) जी हां, क्योंकि इस शाला का

(श्री परसराम मदेरणा)

भवन जूनियर हायर सेकिन्डरी स्कूल के लिये पर्याप्त नहीं है, केवल दो कमरे ही ऐसे हैं जिनमें कक्षा बैठ सकती है और इस भवन को बढ़ाने की भी गुंजाइश नहीं है। फिर यह शाला सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति भी नहीं करती है।

(ग) जब भी यह शाला सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति करेगी तब दूसरी ऐसी ही स्कूलों के साथ साथ इसे भी जूनियर हायर सेकिण्डरी स्कूल में परिवर्तित करने के प्रश्न पर विचार किया जावेगा।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : क्या माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १६५८ में जनता से शिक्षा विभागवालों को लिखवाया था ?

श्री परसराम मदेरणा : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : तब फिर कैसे मालूम पड़ा कि जनता शर्तों का पालन करना नहीं चाहती ? जनता सन् १६५८ से बराबर प्रार्थना करती रही है, जनता शिक्षा विभागवालों को पत्र देती रही है, जिला परिषद् से काफी जोर दिलाया। फिर यह कैसे आपने जाना कि वहां की जनता इसमें सहयोग नहीं देना चाहती ?

श्री परसराम मदेरणा : जैसा 'ख' के उत्तर में मैंने निवेदन किया कि केथून स्कूल की बिल्डिंग, जो अभी मौजूदा बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग में रिक्वायरमेंट होनी चाहिये हायर सेकिण्डरी स्कूल के लिए, उसके लिए पर्याप्त नहीं है। सिर्फ दो कमरे ऐसे हैं जो ठीक हैं, बाकी वैसे ही हैं। इसलिए आप कहते हैं कि सब शर्तों की पूर्ति की है, वह गलत है। जो बिल्डिंग की शर्त है, वह पूरी नहीं की है। इसलिए उसे हाई स्कूल बनाने में असमर्थ हैं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : जनता कहती है कि आठवीं कक्षा के बाद नवीं कक्षा खोल दो तो दूसरी बिल्डिंग और दे देंगे। हाई स्कूल बनने के पहले पहले बिल्डिंग तैयार कर देंगे।

श्री परसराम मदेरणा : बिल्डिंग तैयार कहां कर देंगे ? जो स्टेन्डर्ड बिल्डिंग उसकी होनी चाहिए वैसी बिल्डिंग पहले बना कर दे दीजिये। नहीं तो हम इस स्कूल को अपग्रेड कर देते हैं तो बच्चों को पेड़ों के नीचे बैठना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि यह स्कूल है, इस स्कूल के बारे में जो रिकमन्डेशन आई है, अभी सरकार के पास नहीं आई है। इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स ने डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास जो सूचना भेजी है उसमें खास तौर से बिल्डिंग की कमी का कारण बताया है। बिल्डिंग की कमी को पूरा कर देंगे तो इस पर विचार किया जायगा।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : जुलाई तक बिल्डिंग की मांग पूरी करें तो जुलाई में आगे कक्षा खोल देंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : बिल्डिंग की शर्त को पूरा कर देंगे। इसके अलावा जो चीजें हायर सेकिण्डरी के लिए जरूरी हैं उन चीजों को पूरा करने के लिए तैयार होंगे तो

(श्री परसराम मदेरणा)

इस पर विचार करेंगे। बिल्डिंग की मांग को पूरा करते हैं, उसके बाद जो छः शर्तें हैं उनके लिए हम देखेंगे कि उनको पूरा करते हैं या नहीं और इन सातों शर्तों को पूरा करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे फन्ड्स की केपेसिटी है या नहीं है और जो हमारा प्लान टार्गेट है उसके भीतर आता है या नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : पहले ये सारी चीजें देख लें कि कौन कौन सी शर्तों में कमी है और बता दें।

श्री परसराम मदेरणा : मूल बात यह है कि फन्ड्स हमारे पास हैं या नहीं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : पहले फन्ड्स देख लीजिये और फिर बता दीजिये।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : इनके दरबार में चक्कर कम हो जायेंगे, अगर ये कह देंगे तो।

श्री परसराम मदेरणा : थर्ड फाइव ईयर प्लान में टार्गेट मुकर्रर कर दिया है, लेकिन राज्य में मिडिल स्कूल्स को अपग्रेड करने की डिमान्ड बहुत ज्यादा है, इसलिए जनता की हर डिमान्ड को पूरा करने में हम अपने आपको असमर्थ पाते हैं। इसलिए मैं फन्ड्स की बात कह रहा हूँ और प्लान टार्गेट की बात कह रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : इस साल कितने स्कूल्स अपग्रेड करेंगे ?

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : स्थिति यह है कि वहां चौबीस प्राइमरी स्कूल्स हैं और जो पांच हजार की आबादी पर स्कूलें खोलने की बात है, उसके अनुसार प्रश्न उठ रहे हैं कि कोटा से निकल कर जो विद्यार्थी आते हैं उनको एडमिशन नहीं मिलता है। यह वहां के रहनेवालों के लिए प्रोब्लम है। इसके लिए १६५८ से जनता कोशिश कर रही है कि स्कूल खोला जाय। सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है। इसके अलावा जो शर्त १० हजार की है जनता वह पूरा करने को तैयार है।

श्री अध्यक्ष : आश्वासन तो फिर भी मिल रहा है कि यदि शर्तें पूरी हों तो स्कूल खोला जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आश्वासन इतना लम्बा नहीं होना चाहिए।

श्री विजयसिंह झाला : प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने जानकारी की है कि किस किस जिले में स्कूलों की कमी है और किस जिले को प्राथमिकता दी जायगी और फन्ड्स की कमी के प्रश्न को दूर किया जायगा ? मैं जानकारी करना चाहता हूँ माननीय मन्त्री महोदय से कि किस जिले को प्राथमिकता दी जायगी; जिसमें वास्तविक रूप से स्कूलों की कमी है, इस प्रकार को जानकारी की गई है या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : जो स्कूल को अपग्रेड करने की शर्तें हैं उनमें यह है कि रूरल एरिया को प्रिफरेंन्स दिया जायगा। इस शर्त का मतलब यह है कि जिन रीजन्स में काफी माइल्स के रेडियस में स्कूल नहीं है उनको प्रिफरेन्स दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : आप शर्त काफी बढ़ा रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : शर्त नहीं बढ़ा रहा हूँ, उस शर्त के बारे में कह रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, हर जगह के लिए अलग अलग टार्गेट निर्धारित नहीं हैं कि अलग अलग कितने कितने खोले जायेंगे। स्टेट का हमारा टार्गेट है उसको देख कर कौनसा क्षेत्र बाकी रह गया है, वहां पर खोलने के लिए विचार किया जायगा।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : यह बतलाने की कृपा करेंगे........

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्री अब्दुलजब्बार : प्रिन्सिपल का क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष : प्रिन्सिपल का क्वेश्चन नहीं उठाया जायगा, मैं कई दफा कह चुका हूँ।

श्री विजयसिंह झाला : एक सप्लीमेन्ट्री और है....

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन। आप सप्लीमेन्ट्री ठीक तरह से नहीं पूछ रहे हैं। केथून से चल कर आप राजस्थान में पहुंच गये।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : केथून स्कूल के लिए भूतपूर्व मन्त्री महोदय रिखबचन्दजी धारीवाल विश्वास दिलाते रहे कि यह स्कूल हायर सेकिंएडरी होगा। लेकिन वह आश्वासन पूरा न होने के कारण उनको हारना पड़ा....

श्री अध्यक्ष : श्री चन्द्रसिंह।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : उस मिडिल स्कूल को....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! आप काफी पैरोकारी कर चुके हैं।

प्रश्न संख्या १३१

श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १३२

श्री चन्द्रसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री विट्ठल।

पंचायत क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना

१३३. श्री विट्ठल (बांसवाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला बांसवाड़ा में किन किन पंचायत समितियों में और कितनी कितनी अभी तक मिडिल स्कूलें खोली जा चुकी हैं ?

(२) क्या यह सही है कि पंचायत समिति पीपल कूंट ने दानपुर में मिडिल स्कूल खोलने का प्रस्ताव पास कर राज्य सरकार से मांग की थी परन्तु वहां अभी तक भी मिडिल स्कूल नहीं खोला गया है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जिला बांसवाड़ा में जिन जिन पंचायत समितियों में जितनी जितनी माध्यमिक

(श्री परसराम मदेरणा)

शालायें अभी तक खोली जा चुकी हैं वे निम्न प्रकार हैं :—

(१)	बांसवाड़ा खास	२
(२)	बांसवाड़ा	३
(३)	गढ़ी	८
(४)	भूखिया	३
(५)	बागीडोरा	५
(६)	सज्जनगढ़	२
(७)	घाटोल	५
(८)	पीपल कूट	१

(२) पंचायत समिति पीपलकूंट के ग्राम दानपुर में माध्यमिक शाला खोली जा चुकी है ।

श्री विट्ठल : जो पंचायत समिति पीपलकूंट के दानपुर में माध्यमिक शाला खोली गई है वह किन शर्तों पर खोली गई है और कब खोली गई है ?

श्री अध्यक्ष : वह किस शर्त पर खोली गई है और कब खोली गई है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह जानकारी मेरे पास नहीं है । आपने यह पूछा था कि मिडिल स्कूल खोलने का प्रस्ताव पास कर राज्य सरकार से मांग की थी; प्रस्ताव का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि स्कूल खोल दिया गया है ।

श्री विट्ठल : यह जानकारी मांगी थी कि किस शर्त पर खोली गई है और कब खोली गई है ? आप कहते हैं यह जानकारी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री उदयलाल ।

सड़क निर्माण

१३४. **श्री उदयलाल** (लसाड़िया) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में धरिया से प्रतापगढ़ तक रोड बनाने की स्वीकृति दी गयी थी ?

(२) यदि हां, तो उस मार्ग के अब तक नहीं बनने का क्या कारण है और यह कार्य कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां ।

(२) इस रोड के अभी तक नहीं बनाने का कारण यह है कि इस काम के लिए स्वीकृत धनराशि को इससे भी आवश्यक मार्ग प्रतापगढ़–अरनोद–पीपल्दा रोड पर लगाना उचित समझा गया । अब तृतीय योजना काल में यह कार्य प्रारम्भ कराये जाने को है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : माननीय मन्त्री की भाषा समझ में नहीं आती, अध्यक्ष महोदय ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : बिल्कुल सुनाई नहीं दिया ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : (१) जी हां ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बहुत जोर से नहीं बोलें, साफ बोल दें ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : आप जोर से सुनना चाहते थे ।

(१) जी हां ।

(२) इस रोड का अभी तक नहीं बनने का कारण यह है कि इस काम के लिए स्वीकृत धनराशि को इससे भी आवश्यक मार्ग प्रतापगढ़-अरनोद-पीपल्दा रोड पर लगाना उचित समझा गया । अब तृतीय योजनाकाल में यह कार्य प्रारम्भ कराये जाने को है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : किसलिए इसको महत्वपूर्ण समझा गया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह तहसील हैड क्वार्टर है, इसलिए इसे जोड़ना आवश्यक समझा गया ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह पहले खयाल में नहीं था क्या ?

श्री उदयलाल : धरिया से प्रतापगढ़ तक रोड नहीं मिलाने से वहां जनता को काफी नुकसान पहुँचता है....

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : कुछ धीरे से बोले हैं, साहब ।

श्री उदयलाल : धरिया से प्रतापगढ़ तक रोड नहीं मिलाने से वहां की मंडी टूट गई है । फिर यह पुरानी राजधानी है, इसकी तरक्की के लिए दूसरे कस्बों से इसको मिलाना चाहिए और इसकी तरक्की करनी चाहिए ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : उसको लिया गया है और तीसरी पंचवर्षीय योजना में काम हाथ में लिया जायगा ?

श्री उदयलाल : कब तक चालू हो जायगा ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : हो जायगा, साल भर में ।

श्री मुरलीधर व्यास : हैड क्वार्टर को जोड़ने का काम कहां कहां तृतीय पंचवर्षीय योजना में किया जायगा ?

श्री अध्यक्ष : आपने फिर पूरे राजस्थान का प्रश्न पूछ लिया ।

श्री मुरलीधर व्यास : वहीं के लिए कह रहा हूँ ।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : बड़ी खराब हालत है सड़क की....

श्री अध्यक्ष : आप कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री अब्दुलजब्बार : बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज !! दो माननीय सदस्य खड़े होकर प्रश्न पूछने लग गये । एक माननीय सदस्य खड़े होकर प्रश्न पूछें ।

श्री विजयसिंह झाला : यह आवश्यक था कि इसका निर्णय जनता की एप्लीकेशन पर लें । यह स्वतः निर्णय लें, यह आवश्यक है ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : कैबिनेट डिसीजन इस पर हुआ है ।

Page No. 17

एक माननीय सदस्य : केबिनेट डिसीजन में पब्लिक की आवश्यकताओं को सोचने के लिये क्या आधार लिया ?

श्री अध्यक्ष : आधार जो डेवलपमेंट का होता है वही है। इससे कोई नई चीज तो आपके सामने नहीं आती है। उन्होंने पहले ही बतला दिया तहसील हैड क्वार्टर को जोड़ने का। आप ऐसा प्रश्न पूछिये जिससे कोई नई चीज आपके सामने आए।

श्री मुरलीधर व्यास : यह डिसीजन कब हुआ ?

श्री हरिश्चन्द्र : जनवरी, १६५६ में लिया गया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

बरसाती नाले की मरम्मत

१३५. **श्री लक्ष्मणप्रसाद** (सिकराय) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि छोई नाम का एक बरसाती नाला क्षेत्र सिकराय की हर साल हजारों एकड़ भूमि की फसल नष्ट कर देता है जिससे काश्तकारों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त शोचनीय हो गई है ?

(२) क्या यह भी सही है कि काश्तकारों की आर्थिक स्थिति से अवगत कराते हुए वहां की पंचायत समिति द्वारा लगातार २–३ वर्षों से सम्बन्धित विभागों में लिखा-पढ़ी की गई है ?

(३) यदि हां, तो संबंधित विभागों की ओर से काश्तकारों की राहत के लिये क्या कदम उठाया गया है ?

(४) क्या सरकार आगामी वर्षा तक इस कष्ट का निवारण करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का सम्बन्ध सिंचाई विभाग से है। इसलिये अगले टर्न पर सिंचाई विभाग के मंत्री इसका उत्तर देंगे।

श्री लक्ष्मणप्रसाद : इसका जवाब मुझे नहीं मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष : यह दूसरे मंत्री महोदय के के पास जावेगा और इसका जवाब आपको मिलेगा।

(विराम)

नेक्स्ट।

रानीवाड़ा–सांचोर सड़क

१३६ **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या रानीवाड़ा–सांचोर सड़क को तीसरी पंचवर्षीय योजना में पक्की बनाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जावेगा तथा इसे अभी तक क्यों नहीं किया गया है ?

(२) क्या यह रास्ता वर्षा में करीब ३ माह तक बन्द रहता है ?

(३) इस सड़क पर नालों को तीसरी

Page No. 18

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

पंचवर्षीय योजना में कब तक पक्का बनाने का सरकार का विचार है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री-भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां, केवल अभी तीन मील पक्की बनाने का विचार है, अर्थाभाव के कारण।

(२) जी हां, अधिक वर्षा होने पर।

(३) फन्ड की सहूलियत होने पर नालों को पक्का बनाने का काम हाथ में ले लिया जावेगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इसको किस वर्ष में पूरा करने का विचार है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह निश्चित, नहीं कहा जा सकता।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह सड़क का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा है और क्या इसको महत्वपूर्ण होने से प्राथमिकता दी जाएगी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : महत्वपूर्ण है इसलिये लिया गया है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : दूसरी सड़क को न लेकर तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह लेली जावे ताकि बोर्डर एरिया को और नहरी एरिया को जाने के लिये कोई दूसरा रास्ता वर्षा में नहीं रहता। सभी रास्ते बन्द हो जाते हैं और सारी मशीनरी ठप्प हो जाती है। तो क्या सरकार का विचार इसको चालू करने का है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इस पर विचार किया जावेगा।

एक माननीय सदस्य : ऐसे कितने नाले हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्राथमिक शालाओं का माध्यमिक शालाओं में परिवर्द्धन

१३७. श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या ग्राम बैजूपाड़ा व हींगोटा, तहसील बसवा में जनता की मांग पर छात्रों की संख्या को व आबादी को देखते हुए प्राईमरी स्कूलों को मिडिल स्कूल बनाने की योजना चल रही है ?

उप-मंत्री, शिक्षा ('श्री परसराम मदेरणा): अभीतक प्राथमिक शालाओं को माध्यमिकशालाओंमें परिवर्तित करने का प्रश्न विचाराधीन है और कोई निर्णय नहीं लिया गया है। प्राथमिक शाला बैजूपाड़ा व हींगोट, तहसील बसवा में माध्यमिक शाला खोलने के प्रश्न पर ऐसे ही दूसरे स्कूलों के साथ साथ यदि ये भी सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति करते होंगे तो विचार किया जावेगा।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : क्या यह सही है कि पंचायत समिति और जिला परिषद से इसके लिये राय आ चुकी है ?

श्री परसराम मदेरणा : जहां तक मेरी जानकारी है पंचायत समिति और जिला परिषद ने अपना प्रस्ताव अभी तक पेश नहीं किया है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : इन प्रस्तावों

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

को भेजे हुए करीब ६ महीनों से ज्यादा का अर्सा हो चुका है। क्या आप अब इसकी जांच करके इस पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं इसका पता लगा लूंगा कि आया पंचायत समिति और जिला परिषद ने अपने प्रस्ताव भेज दिए या नहीं। हमारे पास दूसरी प्राइमरी स्कूलों को अपग्रेड करने की जब बात होगी तब उसके साथ साथ इस पर भी विचार किया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

भूमि-विक्रय

१३८. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(१) क्या सरकार ने आदिवासी काश्तकार के लिये ऐसा कोई कानून बनाया है कि आदिवासी की जमीन दूसरा कोई नहीं खरीद सकेगा ;—

(२) यदि हां, तो उक्त कानून कब पास हुआ और कौनसी तारीख से लागू किया गया है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) कानून के अनुसार आदिवासी खातेदार काश्तकार अपनी जमीन किसी भी अन्य आदिवासी जाति के व्यक्ति को बेच सकता है। लेकिन आदिवासी से भिन्न जाति के व्यक्ति को किसी आदिवासी काश्तकार द्वारा जमीन की बिक्री कानूनन वर्जित है।

(२) उक्त कानून राजस्थान टीनेन्सी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९५६ की धारा ४ के द्वारा दिनांक १५-१०-१९५५ से लागू किया गया है।

श्री हीराभाई : क्या यह जो कानून लागू किया गया उसके बाद जमीन आदिवासी की खरीद लेते हैं और बेचते हैं उसके बारे में सरकार क्या एक्शन लेती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह कानूनी नाजायज है और जिस किसी को एतराज हो वह उसको नाजायज करार देने के लिये प्रार्थना-पत्र दे और नाजायज कराए।

श्री हीराभाई : जब बेचान रजिस्ट्री करा कर कराते हैं तो उसके लिये सरकार कोई प्रबन्ध नहीं करेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रजिस्ट्री कराने से कोई टाइटल कन्फर्म नहीं होता है।

श्री हीराभाई : आखिर रजिस्ट्री भी होती है तो तहसीलदारों के जरिये होती है और जब कानून है कि बेच नहीं सकते तो अधिकारी उसकी रजिस्ट्री क्यों करते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने जैसा कहा कि रजिस्ट्रेशन कराने से टाइटिल कन्फर्म नहीं होता। यह तो नियम है कि इस प्रकार के सेल्स या ट्रान्सफर्स हों वे गैर कानूनी है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : जब कोई आदमी रजिस्ट्री कराता है और सरकारी अधिकारी रजिस्ट्री करते हैं और वे जानते हैं कि ऐसी जमीन कोई खरीद ही नहीं सकता तो फिर रजिस्ट्री के समय ही उसको

(श्री मुरलीधर व्यास)
रोका जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : रजिस्ट्री कोई भी आदमी किसी भी चीज की करा सकता है। मगर जो गैर कानूनी है वह हक किसी को नहीं मिल सकता।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : नाम बदल कर खरीद किये जाते हैं और सरकारी अधिकारी हैं जिन्होंने किया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसी कोई एग्जाम्पल हमारे सामने नहीं आई। तहसीलदार को रजिस्ट्री करने का हक है....

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : ऐसा पंचायतें करती हैं, अधिकारी नहीं करते।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या सरकार इस प्रकार का आश्वासन देना चाहती है कि इसका उल्लंघन किया जाता है वह भविष्य में नहीं किया जाएगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कानून की जो खिलाफवर्जी करता है उसके लिये एग्रीव्ड पार्टी एक्शन ले सकती है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि रजिस्ट्रेशन हो गया। आप कहते हैं कि ऐसी जमीनें ट्रान्सफर नही हो सकतीं। क्या इसके लिये कोई प्रबन्ध किया है कि इस तरह की चीज नहीं हो ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उसके लिए कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) : तीन साल तक यह उस जमीन का मालिक बना रहेगा....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री हीराभाई : जब आपने कहा कि तहसीलदार को रजिस्ट्रेशन करने का हक है तो वह करेगा और इसकी सूचना आदिवासियों को आपने किसके जरिये पहुँचाई कि वे जमीन नहीं बेच सकते और इसके लिये जिस कानून को आपने प्रकाशित किया है ? कौन आदिवासी किसानों को सूचना देगा कि जमीन नहीं दे सकते या खरीद नहीं सकते ? यह सूचना आपने किसके जरिये उन आदिवासियों को पहुंचाई ?

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीलाल !

विद्युत व्यवस्था

१३९. **श्री नत्थीलाल** (नदवई) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार ने जिला भरतपुर में कस्बों में बिजली पहुंचाने की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत कार्य कब तक आरम्भ होगा ?

(२) यदि कस्बों में बिजली पहुंचाने की योजना बन गई हो तो जिला भरतपुर में कस्बा नदवई में बिजली कब तक पहुंच जायेगी ?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) :
(१) जी हां, योजना बना ली है और प्रोग्राम के अनुसार कार्य चल रहा है।

(२) सन् १९६२-६३ के अन्त तक

Page No. 21

(श्री सतीशचन्द्र)

सम्भवतः नदवई में विद्युतीकरण किया जा सकेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : कौनसे क्षेत्र की बिजली भेजेंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र : भरतपुर टरबाइन से।

श्री नत्थीलाल : इस योजना के अन्तर्गत किस किस जगह ले जा रहे हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : बीजवा, मेर कुमेर।

श्री नत्थीलाल : तो इस तरह बिजली देने में क्या कोई आधार निश्चित किया है कि किसमें पहले और किसमें पीछे लगाई जाय ?

श्री हरिश्चन्द्र : योजनानुसार किया जाता है।

श्री नत्थीलाल : योजना बनाने में भी कोई आधार बनाया होगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी हां।

श्री नत्थीलाल : क्या यह सही है कि नदवई कस्बावासियों को इलेक्शन के समय आश्वासन दिया गया था कि मार्च, ६२ के अन्त तक वहां बिजली लगा दी जायगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : अर्ज किया न कि ६२-६३ के अन्त तक सम्भवतः नदवई में विद्युतीकरण किया जा सकेगा।

श्री नत्थीलाल : क्या चुनावों के पहले ऐसा आश्वासन दिया था कि मार्च, ६२ के अन्त तक बिजली लगा दी जायगी, जब वहां का डेपुटेशन आया तो उनको यह आश्वासन दिया गया था क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसा मुझे मालूम नहीं है।

श्री गोकुलचन्द (कठूमर—सु०) : भरतपुर टरबाइन से नदवई को बिजली दी जा रही है तो बीच में कोई कस्बा पड़ता है तो वहां भी बिजली दी जायगी क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसकी सर्वे करने के बाद रिपोर्ट आयेगी तो दी जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

स्थगित तारांकित प्रश्न

(२७ मार्च, १९६२)

बीकानेर शहर में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था

२६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि बीकानेर में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था न होने से शहर में आग लगने पर काफी नुकसान होता रहता है ?

(२) बीकानेर में ऊन का व्यापार प्रमुख होने से क्या सरकार आवश्यक समझती है कि वहां फायर ब्रिगेड की अविलम्ब व्यवस्था की जाय ? यदि हां, तो कब तक ?

गृह मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) जी हां। ऐसी स्थिति राजस्थान के सामान्यतः सभी प्रमुख नगरों में है।

(श्री मथुरादास माथुर)

(२) प्रमुख नगरों के लिये ऐसी व्यवस्था के लिये भारत सरकार से अनुदान देने की याचना की गई है। समुचित प्रावधान होने पर यंत्र आदि उपकरण की व्यवस्था अगले वर्ष सन् ६२--६३ में होने की संभावना है।

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें यह बात कह दी कि राजस्थान के प्रमुख शहरों में ऐसी स्थिति है। मेरा बीकानेर शहर के बारे में पूछना है। क्योंकि वहां ऊन की बहुत बड़ी मंडी है और इस तरह आग लग जाने से देश को बड़ा नुकसान होता है; लास्ट ईयर भी ऊन की बहुत सी गांठें जल गई हैं। तो ऊन राष्ट्रीय धन है, उसके जल जाने से राष्ट्र को नुकसान होता है, वहां इसलिये फायर ब्रिगेड की सबसे अधिक आवश्यकता है।

श्री मथुरादास माथुर : इस साल पैसा मिलेगा भारत सरकार से तो बीकानेर के लिये मैं पूरा ध्यान रखूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग के प्रोत्साहन हेतु किए गए कार्य

१३१. **श्री भीमसेन** : (लूणकरणसर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

नापासर, लूणकरणसर, गलू, जिला बीकानेर में उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं?

उप-मन्त्री, उद्योग (श्री चन्दन मल वैद) : बीकानेर में एक वूलन डाइंग एन्ड फिनिशिंग सेंटर कार्य कर रहा है कि जहां नापासर के बने कम्बलों को साफ किया जाता है।

श्री भीमसेन : लूणकरणसर और गलू के लिए भी पूछा है।

श्री चन्दनमल वैद : मैंने पूरी जानकारी दे दी है।

श्री भीमसेन : लूणकरणसर में कम्पनी है उसको सेलोनाइट से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए क्यों नहीं कहा जाता?

श्री चन्दनमल वैद : उस कम्पनी ने वहां जो सेलोनाइट है उसको फॉरेन कन्ट्री में जांच के लिए भेजा है, वहां से रिपोर्ट अभी आई नहीं है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए यह उपयुक्त है कि नहीं।

श्री भीमसेन : इसी सेलोनाइट से बीकानेर में प्लास्टर ऑफ पेरिस की कम्पनी दूसरे सज्जन चला रहे हैं।

श्री चन्दनमल वैद : बीकानेर में चल सकती है।

श्री भीमसेन : बीकानेर में उसी सेलोनाइट से चल सकती है तो लूणकरणसर में उसी से प्लास्टर ऑफ पेरिस की कम्पनी क्यों नहीं चल सकती?

श्री चन्दनमल वैद : अगर कम्पनी केमिकल जांच कराना चाहती है तो इसमें सरकार बाधा नहीं डाल सकती।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : फैक्टरी वालों ने लीज लिया था तो उस लीज में यह शर्त थी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का कारखाना खोलेंगे। लीज को १५ वर्ष हो गये पर अभी तक नहीं खोला है। लीज के अनुसार काम नहीं होता है तो उसके लीज़ को खत्म क्यों नहीं किया जाता ?

श्री चन्दनमल वैद : मुझे जानकारी नहीं है कि उनके लीज़ में इस प्रकार की शर्त है।

श्री मुरलीधर व्यास : लीज़ में है, आप देखें।

श्री अध्यक्ष : श्री चन्द्रसिंह !

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

(११.४६ म. पू.)

विधेयक पर दिये गये वक्तव्य में संशोधन करने सम्बन्धी उप-मन्त्री द्वारा वक्तव्य

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, शिक्षा) : अध्यक्ष महोदय, कल जब इस सदन में राजस्थान सेकिन्डरी एज्यूकेशन बिल, १९६२ के क्लॉज़ २ और ३ पर प्रस्तुत संशोधन पर बहस चल रही थी उस समय रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे से सिलेक्शन कमेटी के पर्सोनल की जानकारी चाही थी और उस वक्त ऑफ हैंड मैंने अपनी याददाश्त के अनुसार ३ नामों की जानकारी दी थी। रेकॉर्ड देखने पर मुझे पता चला कि जिन नामों की मैंने जानकारी दी थी वे नाम नहीं हैं और गर्वनमेंट ने जिस व्यक्ति को नोमिनेट किया है वे व्यक्ति दूसरे हैं और बोर्ड ने जिनको इलेक्ट किया है वे दूसरे हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं यह वक्तव्य देना पसन्द करुंगा कि सदन को सही जानकारी देना आवश्यक है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : यह गलत जानकारी मन्त्री महोदय ने क्यों दी ?

श्री अध्यक्ष : पूरा सुन लीजिये, सब्र रखिये।

श्री परसराम मदेरणा : उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।

बोर्ड ने जिन दो व्यक्तियों को नोमिनेट किया था वे एक तो हैं श्री महाजनी, मेम्बर ऑफ दी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और दूसरे हैं श्री मोहनसिंह मेहता, वाइस चान्सलर, राजस्थान यूनिवर्सिटी और जिस व्यक्ति को नोमिनेट किया वे हैं श्री नारलेकर चेयरमैन, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमिशन।

इन तीन आदमियों की सलेक्शन कमेटी ने सरकार के सामने पेनल प्रस्तुत किया था। यह मैं हाउस की प्रोसीडिंग्स में सुधार करने के लिये और माननीय सदस्यों की सही जानकारी के लिये वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं।

जन-सम्पर्क विभाग के लिये राज्य सलाहकार मण्डल का गठन

श्री मथुरादास माथुर (सार्वजनिक सम्पर्क मन्त्री): माननीय अध्यक्ष, श्रीमन् गवर्नर साहब के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए मैंने इस सदन के सामने पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेन्ट

Page No. 24

(श्री मथुरादास माथुर)

को एडवाइस करने के सम्बन्ध में एक बोर्ड बनाने का ऐलान किया था।

मैं आपके सामने उस बोर्ड के मेम्बरों की सूची प्रस्तुत करता हूँ :—

1.	Shri Mathura Das Mathur, Minister for Public Relations	Chairman
2.	Shri Swami Kumar-anand, M. L. A.	Member
3.	Shri Satish Chandra Agrawal, M. L. A.	Member
4.	Shri Natthi Singh, M. L. A. (Bharatpur)	Member
5.	Shri Digvijai Singh, M. L. A.	Member
6.	Shri Hari Deo Joshi, M. L. A.	Member
7.	Shri Anand Singh Kachwaha, M. L. A.	Member
8.	Shri Jwala Prasad Sharma, M. L. A.	Member
9.	Shri Niranjan Nath Acharya, M. L. A.	Member
10.	Shri D.D. Bharadwaj, Journalist	Member
11.	Shri Hazari Lal Sharma, Journalist	Member
12.	Shri Achleshwar Prasad Sharma, Journalist	Member
13.	Chief Secretary to Government	Member
14.	Home Secretary to Government	Member
15.	Finance Secretary to Government	Member.
16.	Regional Officer, Five Year Plan Pub-licity, Ministry of Information and Br-oadcasting, Govern-ment of India	Member
17.	Station Director, A. I. R., Jaipur	Member
18.	Director of Public Relations. Rajasthan	Secretary

The Board will consist of 21 members. I have announced 18 names. 3 will be announced later on.

(११.५६ म. पू.)

राजस्थान कृषि विश्व विद्यालय विधेयक, १९६२ (प्रवर समिति को)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी बिल, १९६२ पर बहस का उत्तर सरकारी पक्ष की ओर से।

और कोई माननीय सदस्य इस पर बहस करना चाहें तो कृपया....

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): माननीय अध्यक्ष, मैंने राजस्थान कृषि विश्व विद्यालय के बारे में जो बिल पेश किया उसको प्रवर

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव आया है, मैं उस प्रस्ताव का स्वागत करता हूँ । इस प्रस्ताव के रखने से वो समय मिलेगा कि यह राजस्थान कृषि विश्व विद्यालय का सर्व प्रथम स्टेच्यूट इस बिल के जरिये पेश किया जा रहा है इस बारे में ज्यादा से ज्यादा सुझाव आवें । इस सदन में भी काफी सुझाव आये हैं विपक्ष की ओर से और सरकारी पक्ष की ओर से । उन सुझावों के बारे में प्रवर समिति पूरा विचार करे और इसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है और जो प्रावधान इस बिल में रखे गये हैं उनमें क्या संशोधन करने की आवश्यकता है इस बारे में कुछ समय मिलना निहायत जरूरी है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल कृषि क्षेत्र में तरक्की का साधन बनेगा और इस एक्ट के बनने के पूर्व दूसरे हिन्दुस्तान के प्रान्तों में ऐसे विश्व विद्यालयों के बारे में क्या कानून हैं और उनको लागू करने के बाद क्या क्या संशोधन किये गये हैं, क्या वास्तविक कठिनाइयां प्रस्तुत हुई हैं उनको चलाने में, इन सब बातों को सोचने के लिए भी समय मिलना निहायत जरूरी है । इस बारे में अधिक सुझाव कई संगठनों की ओर से और जो इसमें ज्यादा ध्यान व दिलचस्पी रखते हैं उस बारे में सुझाव देने से महरूम रह गये हैं शायद वे भी अब सुझाव दे सकते हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरे, जो इसकी सीट उदयपुर में मुकर्र की गई उसके बारे में भी वाद-विवाद हुआ है । इस वाद-विवाद के दौरान में काफी सदस्यों ने भाग लिया है और सदन को काफी जानकारी दी है । यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है और विधान सभा में इस प्रश्न का हल होना अति कठिन है । इस बारे में राज्य सरकार ने पहले भी काफी विचार किया होगा और इन्डो-अमेरिकन टीम जो इस बारे में राजस्थान का सर्वेक्षण करने के लिए मुकर्रर की गई थी उसने भी काफी इस बारे में जांच की और जो स्थान चुना गया है उस बारे में विचार दिये होंगे । प्रश्नोत्तर के वक्त भी कुछ बातें इस सम्बन्ध में बतायी गई थी और बाकी अगर कोई हो तो बाद में बताई जा सकती है । लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बातें माननीय सदस्यों ने इस सदन के समक्ष रखी हैं उनको मद्देनजर रखते हुए अगर सरकार द्वारा संतोषजनक उत्तर मिल जाता है तो मेरे विचार से जो प्रस्ताव स्थान के बारे में रखा गया है उसको वापिस ले लिया जाय तो राजस्थान के कृषि क्षेत्रों में उन्नति के लिए अच्छा मौका रहेगा । क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण विषय को अगर विधान सभा में हल करने के लिए जोर दिया जाय तो उसका हल निकलने के विपरीत उसमें कुछ और कठिनाइयां भी उपस्थित हो सकती हैं और जहां राजस्थान कृषि क्षेत्र में अग्रसर होना चाहिये उसमें भी बाधा उपस्थित हो सकती हैं । अतः सदन के माननीय सदस्यों को सुझाव देने की स्वतंत्रता जरूर है और जितने वास्तविक तथ्य हैं वे सदस्यों को रख देने चाहिये और उन तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए स्थान का निर्णय राज्य सरकार के ऊपर छोड़ देना चाहिये ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द) : क्या बिल में ऐसा प्रावधान कर दिया जाय कि राज्य सरकार जहां चाहे वहां कर दे ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इस बारे में बहुत

Page No. 26

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

सी बातों का निर्णय पहले लिया जा चुका है और आगे लिया जा रहा है। अतः इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए जो बातें यहां पर कही जाती हैं उनके बारे में राज्य सरकार विचार करती है। लेकिन इस सदन में इस प्रश्न पर मतदान द्वारा निर्णय लेने की कोशिश नहीं की जावे तो ठीक बात रहेगी! पहले भी कुछ मुद्दों पर वाद-विवाद हुआ था और ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर कई बातों को ध्यान में रखना पड़ता है और उन बातों को मद्देनजर रखते हुए खास कर कृषि क्षेत्र में क्योंकि उदयपुर में कृषि रिसर्च और एजुकेशन का केन्द्र माना गया है और वहां पर काफी कार्य पहले से हो रहा है, उसी को उपयुक्त स्थान रिसर्च और एजुकेशन के लिए माना गया है जैसा इसके ओब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में बताया गया है जो माननीय सदस्यों को मालूम हो गया होगा। यह एक बड़ा आधार है। इस बड़े विश्व विद्यालय की सुविधाओं को देखना बहुत जरूरी है। जितने साधन आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं रिसर्च के लिए और अधिक से अधिक शीघ्र ही इस क्षेत्र में तरक्की हो जिसके लिए ऐसे ही स्थान का चयन किया गया है मेरे विचार से। जो बातें यहां सदन में कही गयी हैं वे बातें कमीशन के सामने भी पेश हुई होंगी और उनको मद्देनजर रखते हुए स्थान का चयन किया गया है। इसलिए राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है वह काश्तकारों के हित में लिया है क्योंकि यह राज्य सरकार जहां ८० प्रतिशत किसान हैं उनके प्रति जागरुक है और इस क्षेत्र में तरक्की करने की पूरी धारणा रखती है। जिस तरह माननीय सदस्यों को काश्तकारों की भलाई व हित का खयाल है उसी तरह से राज्य सरकार को भी ध्यान है और उनको मद्देनजर रखते हुए ऐसी बातों का निर्णय लिया जाता है और आगे भी लिया जावेगा। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थान के चयन के बारे में जो वादविवाद हुआ है उस बारे में ज्यादा जोर नहीं दिया जाना चाहिये। जो स्थान के चयन के बारे में जहां तक निर्णय लेने का प्रश्न है वह राज्य सरकार पर ही छोड़ देना उचित है। जैसा निर्णय लिया गया है वह सारी बातों को देख व सुन कर सारी संस्थाओं के रिप्रेजेन्टेशनों को सुन कर सरकार ने स्थान का उचित निर्णय लिया है तो आगे भी लेती रहेगी।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरे प्रावधान में संशोधन के रूप में जो बात रखी गई है और बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल का कम्पोजिशन जिस तरह किया गया है उस बारे में भी कुछ सुझाव आये हैं और मेरी भी मान्यता है कि बोर्ड में सदस्यों को नोमिनेट करने का जो सुझाव है उस बारे में अगर कृषि क्षेत्र में उन सदस्यों की कोई योग्यतायें हों और उनका वास्तविक रूप से कृषि क्षेत्र में ज्ञान हो तो ऐसे सदस्यों को ही मनोनीत किया जाना चाहिये ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा इस विश्वविद्यालय के द्वारा उठाया जा सके! इस बारे में कुछ पंचायत समिति के सदस्य स्पेशियली फारमर्स और जिनका कृषि में ज्ञान हो और जो कृषि क्षेत्र में कठिनाइयों को महसूस करते हों ऐसे ही लोगों को उसमें लेना चाहिये ताकि उनके ज्ञान का फायदा उठाया जा सके।

इसके अलावा दूसरी दफा ४ है उसमें यह स्पष्ट है कि इस विश्व विद्यालय में भर्ती किस

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

प्रकार होगी। भर्ती के बारे में इसमें प्रावधान है। इस बारे में इस ओर तो जरूर संकेत किया गया है, इसमें भर्ती के लिये निर्धारित नियमों के अनुसार किस प्रकार से होगी। किस प्रकार की योग्यताओं को देख कर इसमें एडमिशन किया जायगा। यह बात ठीक है लेकिन विस्तृत जानकारी इसमें नहीं है। इसमें मैं ऐसा देखता हूं कि जो प्रावधान इसमें डाले जायेंगे युनिवर्सिटी की तरफ से उसके बारे में दो सुझाव देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक भर्ती का सवाल है, कृषि क्षेत्र में जो रुचि रखते हों किसी कारण की वजह से अंक चाहे कम भी प्राप्त हुए हों उनको अगर किसी वजह से लेना जरूरी है तो ऐसे विद्यार्थियों के लिये दरवाजे बन्द नहीं होने चाहिये। साथ साथ इस बात का भी पूरा खयाल रखा जाय कि युनिवर्सिटी का स्तर नीचा न गिरे इसलिये मेरिट्स निर्धारित करना जरूरी है। इसके विपरीत यह विश्वविद्यालय भरती के लिये ऑल पर्सन्स के लिये खुला होगा। इस बारे में राजस्थान के विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जायगी या नहीं, सारे हिन्दुस्तान के छात्रों के लिये इसका खुला रहना जरूरी है या नहीं, इसलिये ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं, जहां बहुत सी फैकल्टीज रहेंगी, बहुत सी ब्रान्चों के अन्दर एग्रीकल्चर संबंधी अन्वेषण होगा, ज्ञान प्राप्त किया जायगा। इसलिये महत्वपूर्ण विषय है है। इन पर विचार करने के लिये इस बिल को अगर प्रवर समिति के समक्ष सुपुर्द किया जाय तो बहुत अच्छी बात होगी।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी के विषय में इस सदन में करीब कल से बहस जारी है। मैं भी इस विषय में अपने विचार व्यक्त करूंगा। यह बहुत खुशी की बात है कि हमारी सरकार ने एक ऐसी महत्वपूर्ण एज्युकेशनल इन्स्टीट्यूशन राजस्थान में कायम करने का विचार किया है, उसके लिये हम सरकार को धन्यवाद पेश करते हैं। इसके अलावा अभी अभी इसके ऊपर जो वादविवाद हुआ, जो तर्क वितर्क इस बिल के बारे में रखे गये कि इसका नामकरण क्या किया जाय और यह किस स्थान पर कायम की जाय। इसके अलावा यह भी दलील है कि पंचायत समिति के जो सदस्य लिये जायेंगे, कुछ सदस्यों का मत है कि वे नहीं लेने चाहिये, क्योंकि यह बहुत बड़ी युनिवर्सिटी है इसमें एक्सपर्ट लोग ही जाने चाहिये, टैक्निकल हैन्ड जो इस विषय में काफी तजुर्बा रखते हैं वे जाने चाहिये, इसमें मैं सहमत हूं। मान लीजिये खाली जमींदार को जो मत प्राप्त करके पंचायत समिति का मेम्बर बन गया और फिर उसको सदस्य के रूप में बोर्ड में रखा जाय तो हमारे राजस्थान के लिये शोभनीय बात नहीं होगी, क्योंकि युनिवर्सिटी में विदेशी विद्वान् लोग भी आते हैं।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इस विषय में पंचायत समिति के सदस्यों को लिया जाय लेकिन उन्हीं लोगों को लिया जाय जो इस विषय के एक्सपर्ट हों।

दूसरी बात जो नामकरण के बारे में है उस पर मैं अर्ज करूंगा यह कोई विशेष लड़ाई की बात नहीं है। जिस प्रकार बहुत से सदस्य साहबों ने मानसिंहजी के नाम पर,

(श्री नत्थीसिंह)

किसी ने आदरणीय महाराणा प्रताप के नाम पर, इस विश्वविद्यालय का नाम रखने का सुझाव दिया है; नाम कोई सा भी रख लिया जाय इसमें हमारी लड़ाई नहीं है। महाराणा प्रताप के नाम का जहां तक संबंध है, मेरा यह निवेदन है कि महाराणा प्रताप का नाम किसी मिलिटरी कॉलेज के साथ रखा जाता तो बहुत उपयुक्त था। जब चित्तौड़ मिलीटरी कॉलेज की स्थापना की गई तो महाराणा प्रताप के नाम से की जानी चाहिये थी। यह तो कृषि विश्व विद्यालय है। महाराणा प्रताप का कृषि से कोई कन्सर्न नहीं था। महाराणा प्रताप त्यागी, तपस्वी और बहादुर आदमी थे। इसलिये कृषि विश्व विद्यालय उसका प्रतीक कैसे हो सकता है? वे तो बहादुरी और त्याग के प्रतीक थे। उदयपुर के माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अगर वे कोई मिलिटरी कॉलेज उदयपुर आदि में खोलना चाहें तो महाराणा प्रताप के नाम से खोलना चाहिये।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन सर, कृषि विश्व विद्यालय से भी यदि महाराणा प्रताप का नाम याद आये तो आपको क्या एतराज है ?

श्री नत्थीसिंह : ठीक है, लेकिन नाम पर मैं ज्यादा बहस करना नहीं चाहता। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो मसला है वह है स्थान का। मुझे तो खुशी होती है समाजवाद का नारा लगाने वाले गांधीवादी विचारवाले जो बनते हैं, वे भी क्षेत्रीय भावना लेकर आते हैं। मैं समझता हूँ कि राजस्थान असेम्बली में वे आये हैं तो उनको क्षेत्रीय भावना को त्याग कर विचार करना चाहिये। इसलिए मेरी उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, वे इस तरह से क्षेत्रीय भावना पैदा करने का प्रयत्न न करें। ये एक तरफ तो केबीनेट के मेम्बर होने की आशा लगाये बैठे हैं, दूसरी तरफ क्षेत्रीय भावना को बढ़ावा देते हैं....

श्री विजयसिंह झाला : तो उदयपुर से आप चाहते हैं कि बीकानेर में आ जाय ?

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): इनका उपदेश तो सब के लिये है।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी न बीकानेर ले जाने को मन्शा है और न जयपुर। मैं तो चाहता हूँ कि जो कृषि विश्व विद्यालय के लिये उपयुक्त स्थान हो वहीं पर उसको कायम किया जाय; खासतौर से उन माननीय सदस्य से जो अपने आपको गांधीवादी विचारधारा के मानते हैं, समाजवाद को हिन्दुस्तान में लाना चाहते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वे इस तरह से क्षेत्रीय भावना पैदा न करें।

मैं समझता हूँ कि आज उदयपुर में तमाम एज्यूकेशनल संस्थायें हैं। आज हम जब कृषि विश्व विद्यालय का निर्माण करना चाहते हैं तो उसको एक कोने में ले जाकर नहीं रखा जाना चाहिये। यह संस्था सेन्टर में रहनी चाहिये। वह तो स्थान पहाड़ी और झीलों का स्थान है जहां पर टूरिस्ट सेन्टर होने चाहिये ताकि लोग घूम आयें और पहाड़ और झीलों की सुन्दरता देख आये। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वास्तव में अगर मेरी राय की कद्र की जाय

Page No. 29

(श्री नत्थीसिंह)

तो गंगानगर ही एक ऐसा उपयुक्त स्थान है जहां पर कृषि विश्व विद्यालय हो सकता है....

एक माननीय सदस्य : अगर अलवर में हो जाय तो कैसा रहे ?

श्री नत्थीसिंह : अलवर में हो जाय तो बहुत सुन्दर बात हो, दोनों की लड़ाई मिट जाय। लेकिन मैं देखता हूँ कि जो सम्बन्धित मंत्री महोदय हैं वे डटे हुए हैं इस जिद्द पर कि अगर वे किसी का अमेन्डमेन्ट मान लेंगे तो उनकी इज्जत में फर्क आ जायगा। मैं समझता हूँ है तो यह नासमझी की बात। सदन में सुझाव आया है, मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उस सुझाव की कद्र की जानी चाहिए। मेरा पर्सनल सजेशन है कि गंगानगर में यह एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी कायम होनी चाहिये, वह इसलिए कि वहां कृषि के लिहाज से वह जिला सबसे आगे है। कृषि की जहां शिक्षा दी जाय वहां इस प्रकार का एटमोसफियर होना चाहिये, जिसके चारों तरफ वैज्ञानिक ढंग से खेती होती है। उस इलाके में ट्रेक्टर और कृषि के आधुनिकमत औजार काम आते हैं। आधा सा ज्ञान तो वहां इधर उधर घूमने में ही मिल जायगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा एशिया का फार्म भी इसी जिले में है। उदयपुर जानेवालों को भी वहां जाकर डिमोन्स्ट्रेशन देना होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा निवेदन है कि कृषि विश्व विद्यालय गंगानगर में स्थापित होना चाहिये और जो नामकरण सरकार ने दिया है 'राजस्थान कृषि विश्व विद्यालय' यही उपयुक्त नाम है, यही होना चाहिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्षेत्रीय भावना से परे है यह ?

श्री नत्थीसिंह : फिर तो कहीं होगा ही नहीं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अभी आप ही फरमा रहे थे कि हमारे तो कोई गंगानगर है ही नहीं।

एक माननीय सदस्य : ये आपको गंगानगर के समझ रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वकालत वहीं से मिली है।

श्री नत्थीसिंह : मैं तो वैसे ही वकालत का पेशा करने की बात नहीं मानता। अतः गंगानगर इसके लिये सूटेबल रहेगा और हाउस इस राय की कद्र करेगा।

मैं तो कहूंगा कि उदयपुर के मुख्य मन्त्री महोदय इस बात में ज्यादा ध्यान देंगे कि सारी इन्स्टीट्यूशन्स, एजूकेशनल संस्थाएं, मिलिटरी स्कूलें, कोऑपरेटिव सेन्टर जितने भी हैं वे उदयपुर में ही नहीं होने चाहिये, और भी जिलों को मौका मिलना चाहिये। मैं यह अर्ज करूंगा आपसे, शायद इसको स्वीकार करेंगे आप। मैं अपने लिये तो कह नहीं रहा हूँ। वह बहुत ही सुन्दर स्थान है। जिस तरह से डीसेन्ट्रलाइजेशन में आपका नाम हो रहा है उसी तरह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी मामूली संस्था नहीं है।

(श्री नत्थीसिंह)

मैं अन्त में सदन के सामने निवेदन करूं कि यह प्रवर समिति में, सलेक्ट कमेटी में रखा जावे और इस पर पुनर्विचार किया जावे।

श्री मोहनराज (बाली) : हमारे सामने जिस बिल पर विचार किया जा रहा है उसमें मुख्य तौर पर जो झगड़ा उपस्थित हुआ है वह हुआ है स्थान के बारे में कि यह युनिवर्सिटी किस स्थान पर रखी जावे। अफसोस तो यह जान कर होता है कि हम भाषणों में शुरूआत में यह जरूर कह जाते हैं कि क्षेत्रीय भावनाओं से परे होकर इस पर सोचा जाना चाहिये, लेकिन जिस निष्कर्ष पर वे स्वयं पहुंचते हैं वह स्वयं भी क्षेत्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होता है और इसलिये जो राय अभी एक सम्माननीय सदस्य ने, जो उधर बैठे हैं, दी थी कि यह स्थान गंगानगर होना चाहिये। इस तरह के स्थान का निर्णय कोई कमीशन या एक्सपर्ट कमेटी कई बातों पर विचार करके करती है और इस कानून में जो स्थान का चयन किया गया है उदयपुर, वह भी एक एक्सपर्ट कमेटी या कमीशन ने अपनी राय के द्वारा किया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : बोगस कमीशन था।

श्री मोहनराज : वह कमीशन किस तरह का है, इसके बारे में अलग अलग रायें हो सकती हैं और इसलिये इसके लिये कोई भी विशेषण लगाया जा सकता है। पर हमें आखिरकार किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए इसी तरह के विशेषज्ञों की राय माननी पड़ती है। उधर बैठे साथी कहते हैं कि इसके लिये कोई कमीशन या कमेटी मुकर्रर की जावे तो उस कमेटी या कमीशन के लिए भी जो शब्द इस वक्त इस कमीशन के लिये काम में ला रहे हैं वे के वे कुछ सदस्यों द्वारा उस वक्त भी काम में लाये जा सकेंगे। तो इसलिये जिस कमीशन या कमेटी ने यह सोच कर जो निर्णय दिया है उस पर हमें कायम रहना चाहिये और उसको मान्यता देनी चाहिये।

हमारे सामने एक सवाल और रखा गया। एक ही तरह की शिक्षण संस्थाएं एक जगह एकत्रित नहीं की जावें। इसलिए उदयपुर में इसे न खोल कर बीकानेर में खोली जावे या कुछ की राय आई की गंगानगर में खोली जावे·······

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : गंगानगर की ही है सब की राय।

श्री मोहनराज : कल के भाषण में आप ही ने सजेशन दिया था कि सूरतगढ़ में फार्म खोला गया है, करोड़ों रुपये लगाये गये हैं, तो यह बीकानेर में होनी चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास : नहीं, ऐसा नहीं कहा। हम तो गंगानगर के लिये कह रहे हैं।

श्री मोहनराज : धीरे धीरे आप भी अपनी राय बदल रहे हैं। तो जब भिन्न भिन्न रायें पेश की गई हैं तो मैं समझता हूँ····

श्री मुरलीधर व्यास : राय बदलने का सवाल ही नहीं है।

श्री मोहनराज : मुझे खुशी है कि वे धीरे धीरे एक राय पर आ रहे हैं। तो मैं भी यह सुझाव दे रहा हूं कि जिस आर्ग्युमेन्ट का

(श्री मोहनराज)

सहारा लेकर वे कह रहे हैं कि सब एक जगह नहीं होना चाहिये, तो मैं भी उसी आर्ग्युमेन्ट का सहारा लेकर अर्ज करूंगा कि जब गंगानगर की तरफ या बीकानेर की तरफ जो बहुत बड़ा फार्म एस्टेब्लिश किया गया है और एक नया एस्टेब्लिश किया जाने वाला है, जहां राजस्थान केनाल निकल रही है, जहां सरकार के करोड़ों रुपये लग गये हैं, गंग कैनाल जहां ऑलरेडी बनी हुई है तो फिर एक युनिवर्सिटी जैसी संस्था उसी जगह की गई तो फिर सब एक जगह हो जावेंगे। तो खुद उनके तर्क को काटने के लिये यह तर्क है कि सारी चीजें वहां नहीं लागू की जावें। मैं और अर्ज करूंगा कि शिक्षा प्राप्त करने के कई तरीके हमारे सामने आते हैं, Learning through doing and teaching. तो पढ़ाई काम करके भी हासिल को जा सकती है। वहां सूरतगढ़ का फार्म है। बड़े पैमाने पर वहां इम्प्रूव्ड कल्टीवेशन हो रहा है तो वहां लर्निंग थ्रू डूइंग हो ही रहा है।

आगे कहा गया कि कल्टीवेशन करने वाले लोग भी गंगानगर की तरफ ज्यादा हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि आंकड़ों को देखा जाय तो मालूम होगा कि कल्टीवेटिंग फेमिलीज़ बहुत ज्यादा उदयपुर डिवीजन में हैं। दूसरे, शिक्षा की सारी सहूलियतें उदयपुर में हैं, इर्रिगेशन के वर्क भी वहां अधिक उपलब्ध हैं। रेन फॉल भी वहां माकूल है। अलग अलग स्थितियों और सिस्टम में राजस्थान का एग्रीकल्चर किस तरह डेवलेप हो सकता है, इसका समुचित शिक्षण उदयपुर में दिये जाने के लिये उचित साधन वहां पर हैं।

दूसरा जो डिस्प्यूट उठाया गया था नाम के बारे में कि राणा प्रताप युनिवर्सिटी नाम होना चाहिये। किसी ने कहा कि महाराजा मानसिंह युनिवर्सिटी होना चाहिये। बीच बीच में यह भी सजेशन आया कि मोहनलाल सुखाड़िया एग्रीकल्चरल युनिवर्सिटी क्यों न हो। हम धीरे धीरे इन चीजों और ऐसी भावनाओं में बह कर बिल्कुल अपने उद्देश्य से विपरीत दिशा में चले जाते हैं। मैं आम तौर पर और नीति के आधार पर भी मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो संस्थाएं खोली जावें वे व्यक्ति विशेष के नाम पर, चाहे फिर वह व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों न हो, नहीं खोली जावें। इस व्यक्ति पूजा, 'हीरो वर्शिप' जिसे कहते हैं, पर्सनलिटी कल्ट डवलप होता है और मैं इसके बिल्कुल विरुद्ध हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम आज ऐसे स्तर पर आये हैं कि जहां हमें सोचना चाहिए कि इस कल्ट को दूर करने के लिये हमारी सारी शिक्षण एवं अन्य संस्थाएं इस तरह से किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर न खोली जावें क्योंकि इनके नाम पर आज खोल देने से कल आगे जाकर समस्याएं पैदा होती हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि इसको ध्यान में रखा जावे।

तीसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहूँगा वह यह है कि इस कानून के अन्तर्गत कॉलेज की स्थापना तो वहां पर की जा रही है पर राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में भी हर जगह कृषि स्कूलें खोली जानी चाहिये, जिनका प्रावधान इस कानून के अन्दर नहीं है और इसलिये महसूस करता हूँ कि कॉलेज भले ही एक जगह हो सकता है राजस्थान कम्बाइन्ड का, पर बाकी जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहां पर दो साल का कोर्स कायम करके अगर कृषि स्कूलें खोली जावें तो इससे राजस्थान का

Page No. 32

(श्री मोहनराज)

बहुत बड़ा हित होगा और इस तरह की स्कूलें गंगानगर में, अलवर में, कोटा में हो सकती हैं, पाली जिले में सुमेरपुर, सादड़ी या बाली जिसको भी उपयुक्त समझा जावे, हो सकती हैं। यह मैं इसलिए अर्ज करता हूं कि ये स्थान ऐसे हैं कि जहां पर दो साल का शिक्षण कृषि में दिया गया तो यह बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इस माने में भी कि जो सहकारी समितियों के सचिव या ग्राम पंचायतों के सचिव भी कुछ इस तरह की क्वालिफिकेशन लिये हुए हैं। वैसे वे आज भी कुछ न कुछ क्वालिफिकेशन लिये होते हैं। पर इस तरह के शिक्षण प्राप्त लोगों को प्राथमिकता दी गई तो वे उन संस्थाओं के लिये और भी अधिक उपयोगी साबित होंगे। ग्राम सेवकों के लिये भी यह उपयोगी साबित होगी।

इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन सुझावों को भी उपयुक्त स्थान मिले, इसके लिए चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेजना आवश्यक है।

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि हम अपने छोटे छोटे इलाकों से आये हैं और कुछ जिम्मेदारियां भी रखते हैं अपने वोटर्स के प्रति और वह भी हमसे बहुत कुछ आशा लगाये रहते हैं। मगर सबसे ज्यादा जरूरी मैं यह समझता हूं कि हम इस प्रश्न पर राजस्थान के तरीके से सोचें, अपनी तहसील या अपनी कॉन्स्टीटुएन्सी के तरीके से नहीं सोचें तो ज्यादा उपयुक्त होगा........

एक माननीय सदस्य : आप किस तरीके से सोचते हैं ?

श्री सतीशकुमार शर्मा : मैं इसको बताऊंगा कि किस तरीके से सोचता हूँ। हम अपने छोटे छोटे क्षेत्र और छोटी छोटी तहसीलों के बारे में सोचने के लिए और संस्थायें रखते हैं। ग्राम पंचायतें ग्राम के तरीके से सोचेंगी, जिलों की संस्था जिलों के तरीके से सोचेंगी। हम यहां हर जगह की समस्या को चाहे भरतपुर की हो या उदयपुर की हो, इस तरीके से सोचना चाहते हैं कि सब का उसमें सहयोग मिले, जितने माननीय सदस्य यहां बैठे हैं उनका। तो ऐसी सूरत में जो हालात हमको यहां नजर आते हैं सब तरह से वह वकालात मालूम पड़ते हैं। जितने भी सदस्यों ने इसमें भाग लिया उनमें मैंने एक भी सदस्य ऐसा नहीं देखा कि उदयपुर के किसी सज्जन ने यह वजुहात रखी हो कि वह बीकानेर में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए या फिर कोई बीकानेर का सज्जन यह कहते नहीं सुना कि यह उदयपुर में हो। तो इससे जाहिर होता है कि अलग अलग माननीय सदस्यों ने वजुहात अपने अपने तरीके से लगाये हैं। क्षेत्रीय भावना काम कर रही है। मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरे अन्दर क्षेत्रीय भावना नहीं है। हो सकता है कि किसी विषय पर हमारे अन्दर भी क्षेत्रीय भावना पैदा हो लेकिन यह अवांछनीय है। तो इस तरीके से हमको विचार करना चाहिए और सरकार से भी मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसे हालात सदस्यों के सामने नहीं रखने चाहिए कि गुड़ की भेली रख दें और डंडे हाथ में दे दें और लड़ायें। सिर्फ न्याय करना सरकार का ही फर्ज नहीं है बल्कि किसी भी मसले को ऐसे तरीके से रखना चाहिए कि बीकानेर वालों को

(श्री सतीशकुमार शर्मा)

भी और उदयपुरवालों को भी मालूम हो कि सरकार न्याय कर रही है । जस्टिस ही नहीं बल्कि शो ऑफ जस्टिस भी होना चाहिए ताकि हमारे सोचने में पब्लिक को कॉन्फीडेन्स पैदा हो । इसलिए मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये कि इस तरह के मामलों में जहां सब तरफ से दो राय हैं, जहां क्षेत्रीय भावनायें काम करती हैं मेरी समझ में यह यूनिवर्सिटी कहां हो इसको एक एक्सपर्ट कमेटी को रेफर किया जाये और उस कमेटी को यह बतलाया जाये कि इस तरह के क्राइटेरिया कायम किये जायें, इस तरह के वजूहात रखे जायें कि ये वजूहात जहां होंगे वहीं पर युनीवर्सिटी की सीट को रखेंगे। यह विषय यदि सलेक्ट कमेटी के सामने रखा जाय कि कहां पर सीट होनी चाहिए तो ज्यादा अच्छा हो । नाम के मामले भी काफी बहस की गयी है । तो नाम जब भी हम रखते हैं उसके साथ एक भावनात्मक एकीकरण होना चाहिए । जैसे महाराणा प्रताप का नाम लिया। इसमें कोई संशय नहीं कि राजस्थान का ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान का कोई भी नागरिक राणा प्रताप के नाम को सुनकर अपने मस्तिष्क को गर्व से ऊंचा समझता है । लेकिन आप मल्टी परपज़ स्कूल खोलें तो उसके अनुसार वैसे ही नाम होने चाहिए । हमारी भावनायें ठीक तरह से शामिल हों तभी नाम के लिए तैयार हो सकते हैं । जो नाम इसका रखा गया है 'राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी' मैं समझता हूं कि आप इसको उदयपुर में रखें या बीकानेर में राजस्थान यूनिवर्सिटी ही उसका उपयुक्त नाम होगा जिससे एक सीट होते हुए भी सब जगह के नागरिक और सभी जगह के लोग यह समझेंगे कि यह राजस्थान की चीज है, एक जगह की नहीं है ।

इसके बाद जहां तक प्रवर समिति को इस बिल को भेजने का सवाल है, मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये सदन के माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि हम लोग जो आकर बैठे हैं अगर यही एक तरीका समझें कि जो बिल सरकार ने रखा वह उसी तरह से पास हो जाता है तो उसमें सरकार की इज्जत रहेगी, यह गलत तरीका है । इसे प्रवर समिति में भेजे जाने के बारे में इस तरफ और उस तरफ दोनों ही तरफ की राय है, चारों तरफ से यह राय है कि इसको प्रवर समिति में रखा जाये। इतनों के कहने के बाद भी कि प्रवर समिति में रखा जाये अगर नहीं रखा जाता है तो मैं कहता हूँ कि यह दोनों तरफ के माननीय सदस्यों के राय की अवहेलना होगी और जैसा कि हम देखते हैं - सारे ही महकमों में देखते हैं, समय का अभाव है या भगवान् की कृपा है, पता नहीं पर इधर के हम लोग कहते हैं कि बहुत भ्रष्टाचार है मगर उसके बारे में उधर के लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है। जहां तक शिक्षा का सवाल है हमने किसी को भी यह कहते नहीं देखा चाहे सेन्टर के कोई मिनिस्टर हों या एजुकेशन के डाइरेक्टर हों या कोई बड़ा आदमी हो आज तक जितनी भी स्पीचेज़ हमने पढ़ी, उनकी बातें सुनी, पर किसी को भी यह कहते नहीं सुना कि शिक्षा का मसला ठीक ढंग से चल रहा है । इसके माने यह हैं कि राजस्थान सरकार हो, चाहे केन्द्रीय सरकार, मानते हैं कि शिक्षा का काम ठीक तरह से नहीं चल रहा है । कोई भी भाषण होगा उसमें यह होगा कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। तो यह वास्तव में हम पूछा करते हैं कि जब

(श्री सतीशकुमार शर्मा)

आप लोग ही 'चाहिए' कहेंगे तो करने वाले कौन हैं ? मैं अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये यह कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के लिए आप एक्सपर्ट आदमियों को लगाइये, फॉरेन एक्सपर्ट्स हों, हिन्दुस्तान के हों उनको उसमें लगाइये। जैसा कांकरोली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि यह बहुत टैक्निकल मामला है इसमें एक्सपर्ट्स को लेकर प्रवर समिति में एक्सपर्ट्स को शामिल करके फिर आगे चलना चाहिए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए इन वजूहात पर मैं यह कहना चाहता हूं कि आज यह इस तरह का क्षेत्र है कि जहां हमको आज से पहले चलती हुई यूनिवर्सिटियों की ओर देखना चाहिए कि उनका कार्य किस प्रकार से चल रहा है। इससे नेशनेलिटी की भावना नहीं आती, जिस तरह के विद्यार्थी पैदा करना चाहते हैं वे नहीं होते। अभी फाइनेन्स मिनिस्टर ने बजट पेश किया था उसमें भी उन्होंने आखिर में हवाला दिया था कि जो हमारे स्टूडेन्ट्स निकलते हैं वे ठीक तरह से नहीं निकलते। इसके माने ये हैं कि कोई काम करते समय उसको ठीक तरह से नहीं करते हैं। एक फारसी की बात है—"चिराकारे कुनद आकिल के बाज आयद पशेमानी।"

कोई बड़ा काम करने से पहले अकल रखते हैं तो आपका फर्ज है कि उसको पहले सोचें बजाय इसके आगे जाकर गड्ढे में गिरें। तो प्रवर समिति में रखने का मकसद यह है कि आप पहले सोच लें। मेरा खयाल है कि एक्सपर्ट्स को लेकर फिर आप इस पर सोचें ताकि आपको गलत बात करने पर मजबूर न होना पड़े और इस तरह के हालात हमारे सामने नये पैदा न हों इसलिए यह जरूरी है कि इस मामले को हम प्रवर समिति में रख दें। इसी समर्थन के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री हरिराम चौहान(तिजारा): माननीय अध्यक्ष, जब से मैं यहां आया हूँ तब से या तो जयपुर के बारे में चर्चाएं होती सुनी हैं या जोधपुर के बारे में चर्चाएं होती सुनी हैं या उदयपुर के बारे में चर्चाएं होती सुनी हैं। यह बिल्कुल समझ में नहीं आया कि दूसरी जगह के बारेमें कोई चर्चा क्यों नहीं होती है। हाई कोर्ट का मसला आता है तो वह जोधपुर में हो या जयपुर में हो, विश्व विद्यालय की समस्या है तो यह उदयपुर में हो और अभी जो आने वाला है वह भी जोधपुर के अन्दर है। तो बाकी जितनी भी जगह हैं, मैं क्षेत्रीय भावनाओं के आधार पर कोई बात करने को तैयार नहीं हूँ लेकिन आखिर सारे का सारा सेशन यह पूरे का पूरा इन्हीं बातों में निकल जायगा कि जयपुर या जोधपुर या उदयपुर में हो। इन तीनों जगहों के अलावा कहीं भी कोई बड़ी योजना, कोई बड़ा कार्य, कोई बड़ा काम समझें, इस सेशन में तो आया नहीं, आगे चलकर आजाय तो हम कह नहीं सकते। यह जो अभी कृषि विश्व विद्यालय की समस्या है जिस पर अलग अलग तरह के लोगों ने तकरीरें की हैं, उसके बारे में मैं यह बात जरूर बता देना चाहता हूँ कि उदयपुर में जो भी चीज देखें तो हर चीज के अन्दर और खास तौर से शिक्षा के अन्दर उदयपुर वालों का विशेष अधिकार है। वहां के डाइरेक्टर वगैरह हैं, वहां के अतिरिक्त

(श्री हरिराम चौहान)

डाइरेक्टर वगैरह हैं, अपने केन्द्र के अन्दर श्री-मालीजी शिक्षा मंत्री हैं वे भी वहीं के हैं और अब अजमेरवालों ने थोड़ा दखल जरूर दिया है कि अब की दफा कुछ हिस्सा-पांती की है। इस तरह से यह जो तीन जगह हैं इनके अलावा कहीं का कोई नाम आ जाता है तो वह पूरी तरह से उसको बर्दाश्त करने को भी तैयार नहीं हैं। नाम आया तो क्यों आया ? इस तरह की बहुत सी क्षेत्रीय भावनाएं हो जाती हैं। दूसरी जगह का नाम आ जाय तो क्षेत्रीय भावना और यहां का नाम रहे तो क्षेत्रीय भावना नहीं होती है। इन तीनों जगह के जितने भी लोग हैं उन्होंने पूरी तरह से इस सरकार को मल्टी पर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी की दूकान बना रखा है और उसके मुख्य मंत्री साहब मैनेजर हैं। उसके अन्दर किस किस के कितने कितने शेयर्स हैं वह उसी हिसाब से बांट कर ले जायं। इसमें तीनों आ जाते हैं, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर....

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : ऑन ए पोइन्ट ऑफ इन्फॉरमेशन सर, जहां बड़े बड़े कार्य हुए हैं उस सेशन में मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि उसको भी ध्यान में रखें।

एक माननीय सदस्य : कौन कौन से, जरा बता दीजिये ?

श्री विजयसिंह झाला : बीकानेर में नहरों का काम है।

श्री हरिराम चौहान : मैं बीकानेर का नहीं अलवर का रहने वाला हूँ। मैं माननीय सदस्यों को यह ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि एक सौगात हमको भी इस सरकार की तरफ से मिली हुई थी। दो मंत्री मिले हुए थे। उनको ८-१० साल रोज ओढ़ते थे और बिछाते थे। एक ओढ़ने के काम आता था और एक बिछाने के काम आता था........

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमंद): Mr. Speaker Sir, the expression is contemptuous...

श्री अध्यक्ष : आप योजनाओं के बारे में बोलें, व्यक्तिगत रूप से इस तरह से नहीं आयें।

श्री हरिराम चौहान : व्यक्तिगत रूप से नहीं बोल रहा हूँ, उससे सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : उससे बिल्कुल सम्बन्ध नहीं है जो आप बोल रहे हैं उसका।

श्री हरिराम चौहान : खैर, मैं दूसरी तरह बोल लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष : पर वह बात नहीं बोलें ओढने-बिछाने की।

श्री हरिराम चौहान : वह बात नहीं बोलूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): और किसी काम का जिक्र तो कर सकते हैं ओढ़ने-बिछाने के अलावा ?

श्री हरिराम चौहान : कहने की बात नहीं कहूंगा तो कौन कहेगा ? कभी कभी तो मौका देते हैं थोड़ा सा।

श्री अध्यक्ष : आप तो बहुत मौका लेते हैं। आप यह नहीं कह सकते हैं।

Page No. 36

श्री हरिराम चौहान : अलवर को कुछ मिला नहीं, ऐसा कहना चाहता हूं। एक सौगात दी थी वह भी सौगात लौटा दी है जनता ने !

श्री अध्यक्ष : बहस युनिवर्सिटी के बिल पर हो रही है।

श्री हरिराम चौहान: यह ठीक बात है उसकी कद्र करता हूं कि कृषि विश्वविद्यालय हो, और उसके जो उद्देश्य उसके अन्दर दिये हैं वे भी काफी अच्छे हैं और उनके ऊपर पूरी तरह से अमल किया जायगा तो मैं समझता हूं कि खेती-बाड़ी के अन्दर, उसकी शिक्षा के अन्दर काफी सुधार होगा। लेकिन उसके लिए यह जिस तरह का बिल आया है उसमें बड़ी बड़ी महकमेबाजी हैं। उसके अन्दर बोर्ड बनाने का जो सिस्टम है, उसमें कितने ही पदाधिकारी हैं जिनको बड़ी बड़ी तनख्वाहें दी जायगीं। इस किस्म की काफी खामियां हैं, और उन तमाम खामियों का कारण यह हो सकता है कि अमेरिका के ये जो टैक्निकल आदमी थे वे लोग बैठे और शायद उन लोगों ने इसे बनाया हो, और उन्होंने अपने आधार पर, अमेरिका के आधार पर क्योंकि वह बहुत अमीर मुल्क है, उन्होंने अपने सुझाव दिये हों और हमारे यहां जो चीज देनी चाहिए थी वह शायद चीज प्राप्त हो गई हो तो इस किस्म की सब चीजें सामने मौजूद हैं कि हम एक दफा गहराई से इसका विचार करें और उसके बाद जो भी ढांचा है वह एक बहुत बड़े खर्चे का है जिससे शायद खर्च बहुत ज्यादा हो जाय और उससे जो नतीजा निकले वह शायद कुछ कम निकले इसलिए इसको वहां भेजना चाहिए।

जैसा कि हमारे यहां शोधकार्य के लिए ऑफिसर्स रखे हैं, वे ८-९ ऑफिसर्स हैं और उनका जो खर्चा है वह करीब ८०,०००)रु. के हैं और उनका जो बजट है उसके काम के लिए वह केवल २०,०००)रु.का है जो कि प्रयोगशाला के लिए है। दूकान के अन्दर माल है वह कुल २०,०००) रु० का है और मुनीमों पर खर्चा हो रहा है वह ८०,०००)रु. का है। कहीं इस किस्म के पचड़े के अन्दर अपन नहीं फँस जायं यह थोड़ा खयाल रखने की बात है। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि इसके ऊपर पूरी तरह से विचार करने के लिए दुबारा इसको प्रवर समिति के पास भेजा जाय और यह मांग मैं समझता हूं उधर से भी हुई है। इसलिए इसको जल्दी से मन्जूर कर लिया जाय तो कोई हर्ज नहीं है। और दूसरे विषय चल सकते हैं। इधर से जितने भी लोग बोले हैं उनमें से ज्यादातर लोगों ने यह बात मानी है कि इसको प्रवर समिति के सामने भेज दिया जाय। और बाकी झगड़ा रहा नाम के ऊपर या स्थान के ऊपर, इस बात का झगड़ा रहा तो इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। यही कहना चाहता हूं कि हर काम के लिए चौतरफा दृष्टिकोण अपनाया जाय, चौतरफी नजर रखें। जहां की जरूरत है, पूरी तरह से जहां आम लोगों को सुविधा मिल सकती है, जहां आम लोगों को फायदा मिल सकता है इस किस्म की कोई भी जगह अपनाई जा सकती है। और उसके अन्दर कोई भी क्षेत्रीय भावनाओं के आधार पर कोई भी इस तरह की बात पैदा नहीं की जानी चाहिए। इसलिए मैं फिर यही कहकर दरख्वास्त करना चाहता हूं कि दोनों तरफ की मांग है तो मंत्री महोदय को यह मान लेना चाहिए और इस बात को यहां पर खत्म करके आगे जो दूसरा एजेन्डा है उसको

(श्री हरिराम चौहान)

लेना चाहिए ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कृषि विश्व विद्यालय का यह विधेयक आपके सामने आया है । इस पर स्थान के लिए कल से आज तक बहस होती जा रही है । कुछ लोगों ने गंगानगर की तरफदारी इस तरह से की है और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ के रहनेवाले हैं और क्षेत्रीय भावना से कर रहे हैं । मैं यह जो विश्वविद्यालय बनाने की भावना जो सरकार सामने लाई है इसकी बहुत तारीफ करूंगा । यह बहुत पहले ही बन जाना चाहिए था । अब यह विश्व विद्यालय बनाने जा रहे हैं । अब जहां तक स्थान का प्रश्न है, उदयपुर क्यों उपयुक्त माना गया है और गंगानगर क्यों उपयुक्त नहीं माना गया है, उसमें ज्यादा भेद नहीं है । अगर सदस्यगण क्षेत्रीय भावनाओं को छोड़ दें तो समझ जायेंगे ।

मैं बताऊंगा आपसे, मैं बीकानेर का रहनेवाला हूं, सही बात कहूंगा ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आप तो भीलवाड़ा में रहते हैं ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: मैं पहले रहनेवाला वहां का था । आप क्या कहेंगे, मैं वही कहूंगा जो सही है । उदयपुर से गंगानगर की जमीन को कीमती बताया । बीकानेर में कम लोग रहते हैं और जमीन ज्यादा है । हमारे यहां आदमी ज्यादा हैं जमीन कम है । हमारे यहां जितने आदमी हैं उनसे आधे भी बीकानेर डिवीजन में नहीं हैं । बाकी पैदावार की दृष्टि से भीलवाड़ा और गंगानगर दोनों ही आसपास हैं । हम कुओं से और तालाबों से सिंचाई करते हैं और वहां पर नहरों से करते हैं । यह बताया कि कृषि शिक्षा के लिये वहां ५०० आदमी बाहर फिरते हैं । वे कौन से लोग फिरते हैं ? वे लोग फिरते हैं जो सामन्तवादी हैं बड़े बड़े जागीरदारों के लड़के हैं वे पढ कर निकले हैं वे फिरते हैं, किसान नहीं हैं । वहां क्या होता है कि एक एक आदमी के पास ५००-५०० एकड़ जमीन है मुजाहरों से खेती कराई जाती है यानि मजदूरों के जरिये खेती कराते हैं....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : सीलिंग क्यों नहीं आने देते ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: सीलिंग आता तो बोलती बन्द हो जाती और आज जो आपके साथ बैठे हैं वे और कहीं नजर आवेंगे । नहीं आया इसलिये तो कहते हैं । वहां पर खेती करनेवाले जो वास्तविक लोग हैं वे भूखे मरते हैं....

श्री मानिकचन्द सुराणा : किसकी कमी के कारण ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: आ जायेंगे सही रास्ते पर अपने आप ।

इसके बारे में मुझे यह अर्ज करना था कि जमीन का और खेती का जहां तक सम्बन्ध है, गंगानगर की जमीन बिल्कुल समतल है, एक ही किस्म की जमीन आप वहां पर पायेंगे और कृषि की शिक्षा के लिये जमीन कई किस्म की होनी चाहिये । क्योंकि उपज कई तरह की बढानी है । कपास के लिये दूसरी तरह की जमीन चाहिये, गेहूं

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

के लिये दूसरी तरह की जमीन चाहिये, और और चीजों के लिये और और तरह की जमीन चाहिये। हमारे उदयपुर में अलग अलग तरह की जमीन है जिससे सारा पर्पज विश्वविद्यालय का हल होगा। मौसम के लिहाज से देखिये, गंगानगर और उदयपुर के मौसम में फर्क है। गंगानगर में १८ इंच औसत वर्षा होती है तो उदयपुर में ६५ इंच वर्षा होती है। खेती के लिए पानी और जमीन दोनों की ही जरूरत रहती है। सूरतगढ का फार्म बता दिया, नहरी इलाका बता दिया लेकिन कृषि की शिक्षा के लिए हर तरह की मिट्टी चाहिए, मौसम चाहिये। यह सब उदयपुर में ही मिलेगा, और जगह नहीं। आप क्षेत्रीय भावना से यह बात उठाते हैं। क्षेत्रीय भावना से ऊपर उठिये। मैं अर्ज करूंगा कि क्षेत्रीय भावना से नहीं उठने के कारण ही हमारे यहां बहुत सा खर्चा व्यर्थ हो जाता है।

इसके अलावा बात आती है नाम की। इसका 'राजस्थान कृषि विश्व विद्यालय' उत्तम नाम है। कई लोग महाराणा प्रताप का नाम इसके साथ जोड़ते हैं। महाराणा प्रताप लड़े होंगे स्वयं के राज्य के लिये लेकिन वे जनता के राज्य के लिये नहीं लड़े। वे तलवार के धनी थे, अपने राज्य के लिये लड़े होंगे जनता के लिये नहीं। अब दूसरा नाम आता है राजा मानसिंह का। जहां दोनों के नामों की मान्यता की बात करते हैं वहां राणा प्रताप को सूर्य और मानसिंह को अमावस्या की रात मानी है। राजा मानसिंह के नाम को पसन्द करनेवाले कितने लोग होंगे? महाराणा प्रताप का नाम देश में और बाहर बहादुरी के लिये प्रसिद्ध है ....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): मैं समझता हूँ इस बहस में जाना उचित नहीं होगा।

श्री गोकलप्रसाद शर्मा: कल नाम आया है मानसिंहजी का। मैं यह भी नहीं मानता कि महाराणा प्रतापसिंह ने कृषि के लिये कोई काम नहीं किया हो जिससे कि उनके नाम पर कृषि विश्व विद्यालय हो। मौसम के लिहाज से और जमीन के लिहाज से उदयपुर के सिवाय और कोई स्थान नहीं मिलेगा जो कृषि शिक्षा के लिये उपयुक्त हो। मेरे से पहले बोलनेवाले माननीय सदस्य ने बताया कि और जिलों में भी कृषि कॉलेज खोलिये, लेकिन नाम मत बदलिये। प्रवर समिति में गठन के बारे में भेजिये और भेजना भी चाहिये ताकि गठन ठीक तरह से हो सके।

श्री अध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, कृषि विश्व विद्यालय राजस्थान में कायम किया जा रहा है, यह बड़ी खुशी की बात है। अब झगड़ा सिर्फ इस बात का है, कल से सदन में बहस हो रही है, इस सदन के बहुत से माननीय सदस्य इस हक में हैं कि कृषि विश्व विद्यालय उदयपुर में न हो, दूसरी किसी जगह पर हो। वहां पर कृषि कॉलेज है और आज से तीन, चार साल पहले जब कृषि कॉलेज खोला गया उदयपुर में उस वक्त भी थोड़ी सी चर्चा आई थी सदन में और उस वक्त भी गंगानगर से आनेवाले सदस्यों ने और दूसरे लोगों ने भी यह सुझाव दिया था कि गंगानगर

(श्री श्योपतसिंह)

जिला अन्न उपजाने में और खेती बाड़ी के काम में राजस्थान में सबसे आगे है। मैं क्या कहूँ इस बात को लेकिन राजस्थान में जब भी गंगानगर जिले में कृषि कॉलेज के बारे में या विश्व विद्यालय के बारे में सवाल आता है तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी कई बार इस बात का जिक्र किया और अभी नाथद्वारा से आनेवाले माननीय सदस्य ने भी एक बात बताई कि वहां पर बड़ी बड़ी नहरें हैं, बड़ी बड़ी योजनायें चालू की हैं। इस बारे में शायद गलतफहमी है। शायद माननीय सदस्यों को और मुख्य मंत्रीजी को मालूम है कि गंगानगर में जो योजनायें चालू की गई हैं उनसे गंगानगर के लोगों पर कोई अहसान नहीं है। वहां के लोगों को जमीन कीमत पर दी गई है, योजना का पैसा गंगानगर के लोगों से वसूल किया गया है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : मैंने अहसान के लिये नहीं कहा था, मैंने यह कहा था कि इस जिले में अधिक पैसा खर्च किया गया है।

श्री श्योपतसिंह : मैं समझ गया आपकी बात ! अध्यक्ष महोदय, जहां पर इस बात का सवाल आता है कि कृषि विश्व विद्यालय कहां हो, उससे होने वाले फायदे राजस्थान के सारे लोगों को मिले और उसके लिये उपयुक्त जगह कौनसी हो ? हम इस राय के हामी नहीं हैं कि उदयपुर में कृषि विश्व विद्यालय खोला जाय। उसकी बनिस्बत मैं गंगानगर जिले का सुझाव दूंगा। यदि मुझे भी इस बात से लांछित किया जाय और हमारे खिलाफ यह अभियोग लगाया जाय कि हम क्षेत्रीय भावना से प्रेरित होकर कहते हैं तो फिर सदन की बहस को देखते हुए मैं मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा कि इस बात के लिये जांच कमेटी नियुक्त की जाय। जिस प्रकार जोधपुर या जयपुर में से हाई कोर्ट कहां रहे या मेडिकल कॉलेज का मसला तय किया गया था उसी तरह इसको भी तय किया जाय; क्योंकि हाउस की राय को देखते हुए, जितने माननीय सदस्य बोले उनको देखते हुए यह जरूरी है कि इसको एक अलग कमेटी के जरिये तय करें। जिस वक्त गंगानगर में कृषि कॉलेज खोलने का सवाल आता है या कृषि विश्व विद्यालय खोलने का सवाल आता है तो यह सवाल सबसे पहले आता है कि हमने इतने लाख या करोड़ रुपये वहां पर खर्च कर दिये, नहरी योजनाओं पर। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन को बताना चाहता हूं कि इन योजनाओं के पूरा होने के बाद, राजस्थान केनाल, भाखरा केनाल और गंग केनाल से इस राजस्थान को ५ करोड़ रुपये सालाना की आमदनी सिर्फ वाटर रेट से होगी। इसके सिवाय दूसरे टैक्सेज खुशहाली टैक्स, सरचार्ज और ऑक्सन से जो पैसा वसूल किया जायगा वह तो करोड़ों की तादाद में होगा।

अब सवाल इस बात का है कि वहां पर क्यों हो ? इस बारे में थोड़ी सी राय है जो काबिले गौर है। गंगानगर वह जिला है जो हिन्दुस्तान में सबसे अच्छी कपास पैदा करनेवाला है। गंगानगर राजस्थान में सबसे ज्यादा चावल की फसल देगा। भाखरा केनाल पेरेनियल होने के बाद गंगानगर राजस्थान का नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान का सबसे ज्यादा अनाज पैदा करनेवाला इलाका होगा। माननीय सदस्य जो बीकानेर के रहनेवाले हैं और उदयपुर

(श्री श्योपतसिंह)

की तरफ से आये हैं उन्होंने पता नहीं किस लालच से तर्क दिया है मौसम के बारे में और जमीन के बारे में बताया। लेकिन हां पहाड़ की टेकरी पर कृषि विश्व विद्यालय खोला जा रहा है, उस इलाके को छोड़ कर जो सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करने वाला होगा, सबसे ज्यादा रुई पैदा करने वाला होगा और सबसे ज्यादा चावल और गन्ना पैदा करने वाला इलाका होगा।

(१. ० म. प.)

वहां पर राजस्थान का सबसे बड़ा मेकेनाइज्ड़ फार्म सूरतगढ़ में है और दूसरा जैतसर का फार्म बनेगा वह संसार का सबसे बड़ा मेकेनाइज्ड फार्म होगा। वहां पर अगर कृषि विश्व विद्यालय खोला जाय तो विद्यार्थियों को प्रेक्टिल ट्रेनिंग में दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा लेबोरेटरी वगैरह वह पर होंगी, दूसरे, कृषि विश्व विद्यालय के लिए हमें कुछ सहायता भी मिल सकती है।

एक बात बताई जाती है कि वहां पर कृषि कॉलेज नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर में कृषि कॉलेज खोलने का मकसद यही था कि वहां पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोली जाय। यह प्री प्लान्ड चीज थी। अब यह बहाना बनाया जा रहा है कि वहां पर कृषि कॉलेज है, इसलिए कृषि विश्व विद्यालय बनाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी के सामने गंगानगर के लोगों की तरफ से सुझाव देता हूँ कि कृषि कालेज के बारे में वहां बात चल रही है और छः महीने या साल भर में वहां कृषि कॉलेज खुल जायेगा और अगर यह जरूरी शर्त है कि कृषि कॉलेज होना जरूरी है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे मुख्य मन्त्रीजी को इस बात के लिए बताता हूँ कि अगर वहां कृषि कॉलेज खोलने में कुछ दिक्कत है तो वहां के लोग, जितना खर्चा आयेगा उसका आधा देने को तैयार हैं; बशर्ते कि वहां पर कृषि यूनिवर्सिटी खोली जाय। इस बात से महसूस होता है कि अगर हम सब क्षेत्रीय भावना से ऊपर उठ कर सोचेंगे तो राजस्थान का इसमें भला होगा।

जब हमारे ऊपर यह लांछन लगा दिया जाय कि उस क्षेत्र में बड़ी बड़ी नहरें, भाखरा और राजस्थान केनाल की नहरें वहां पर लाई गई हैं, तो मैं समझता हूँ कि वह तो राजस्थान सरकार की एक दूकान है। वहां से बराबर पैसा वसूल करती रहेगी, राजस्थान की तरक्की के लिए। इसलिए यह कोई अहसान नहीं है, यह तो कमाई का साधन है सरकार का। मैं इन चीजों को देखते हुए इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि जो भी इस बिल पर बोले हैं उन सब की यह राय रही है कि कृषि विश्व विद्यालय गंगानगर में कायम किया जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, हमारे समक्ष कृषि विश्वविद्यालय बिल विचारार्थ है। मैं सबसे पहले तो अपनी सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि सदन के समक्ष सिर्फ एक ही विश्व विद्यालय का प्रश्न नहीं है, लेकिन एक प्रकार से देखा जाय तो दो विश्वविद्यालयों का प्रश्न है, एक जोधपुर में बनाने का बिल और दूसरा उदयपुर में कृषि विश्व विद्यालय बनाने का बिल इससे महसूस

Page No. 41

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

होता है कि हमारी सरकार उच्च शिक्षा की तरफ बहुत तेजी से प्रगति करना चाहती है। युनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर में वर्तमान में स्थित है और यह दोनों बिल पास हो जाते हैं तो हमारे स्टेट में तीन विश्व विद्यालय होंगे। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कृषि विश्व विद्यालय की बात मेरी समझ में नहीं आई; क्योंकि विश्व विद्यालय जिसमें बीस फैकल्टीज होती हैं, तब एक विश्व विद्यालय होता है तो किस प्रकार से आप उदयपुर में कृषि विश्व विद्यालय के नाम से संस्था स्थापित करना चाहते हैं? रुद्रपुर के कृषि विश्व विद्यालय का उदाहरण दिया गया है कि यू. पी. में रुद्रपुर में कृषि विश्व विद्यालय है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अमेरिका के जैसे धनीमानी मुल्क में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है। वहां एम.-आई टी. (Massachusette Institute of Technology) है। दूसरी बीस तरह को एग्रीकल्चर की इन्स्टीट्यूशन्स हैं जो एग्रीकल्चर साइड में रिसर्च करती हैं, लेकिन एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी नाम से एक भी विश्व विद्यालय नहीं है। हमारे देश में भी कई प्रान्त हैं, जिनमें से केवल यू. पी. का उदाहरण दिया गया है कि रुद्रपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। लेकिन दूसरे प्रान्त हैं जो एग्री-कल्चर के अन्दर हमारे से आगे बढ़े हुए हैं लेकिन उनमें से एक ने भी एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी को स्थापित करने की योजना नहीं बनाई है। यदि हमारी सरकार पहल करना चाहती है या विश्व में एक रेकॉर्ड स्थापित करना चाहती है कि रुद्रपुर के नाम के बाद में दूसरे नम्बर पर कृषि विश्व विद्यालय स्थापित कर दिया है तब तो बात दूसरी है, क्योंकि हम अव्वल नम्बर ले लेना चाहते हैं-जैसे डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइज़ेशन को बात है, थर्ड फाइव ईयर प्लान में पर केपिटा बढ़ाने को बात है, लैंड रेवेन्यू को बढ़ाने की बात है, दूसरे टैक्सेज़ बढ़ाने की बात है। हम हमारा अव्वल नम्बर रखना चाहते हैं। तो इस दृष्टिकोण से कृषि युनिवर्सिटी को स्थापित करना है तब तो मुझे ऐतराज नहीं है। मैं सैद्धान्तिक रूप से कहना चाहता हूँ कि कृषि युनिवर्सिटी नाम नहीं होता तो इस बिल पर बहस स्थान के आधार पर नहीं होती। फिर कृषि युनिवर्सिटी के नाम से संस्था स्थापित करने की क्या आवश्कता है? अगर आप मल्टी फैकल्टी युनिवर्सिटी, जैसे दूसरी युनिवर्सिटीज हैं, जैसे जोधपुर में है उसी तरह से उदयपुर में स्थापित करते तो यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता कि गंगानगर उपयुक्त स्थान है कृषि विश्व विद्यालय के लिए या उदयपुर है कृषि विश्व विद्यालय के लिए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कृषि विश्व विद्यालय कॉन्ट्रीडिक्शन इन टर्म्स है। इस आधार पर विश्व विद्यालय नहीं बन सकता। जब तक बीस फैकल्टीज़ नहीं तब तक युनिवर्सिटी नहीं बन सकती। इसलिए कृषि विश्व विद्यालय नहीं बन सकता। इसलिए कृषि युनिवर्सिटी की बात करना सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं है। अगर हमारे मुख्य मंत्री की मन्शा है कि थर्ड फाइव ईयर प्लान में १ करोड़ रुपया युनिवर्सिटी के नाम से अलॉट हो चुका है, इसलिए उस अलॉटमेंट को यूज किया जाना चाहिए और पांच वर्ष के बाद में इस कृषि विश्व-विद्यालय को विश्व विद्यालय में कन्वर्ट कर

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

देंगे, मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर देंगे, तो मैं समझता हूं कि बात दूसरी है। लेकिन कृषि विश्वविद्यालय जब तक स्थापित करना चाहते हैं तब तक इस बहस से दूर नहीं जाया जा सकता है कि कृषि केन्द्र कौनसा है और कृषि विश्व विद्यालय बनता है तो उसको स्थापित करने का स्थान कौनसा होना चाहिए।

हमारे बहुत से साथियों ने कहा है कि क्षेत्रीय भावनाओं से ऊपर उठाना चाहिए लेकिन जब जयपुर में हाई कोर्ट की बैंच स्थापित करने का प्रश्न आता है तब 'हां' पक्ष के लोग कहते हैं कि यह प्रश्न वोट से तय नहीं होना चाहिए क्योंकि एक्सपर्ट कमेटी मुकर्रर हुई थी, पटेल साहब ने राय दी थी, भूतपूर्व गृह मंत्री गोविन्दवल्लभ पन्त ने राय दी थी, नारायणराय ने रिपोर्ट दी है और इन रिपोर्ट्स के आधार पर राजधानी का प्रश्न तय किया गया है। इस तरह बार बार यह निवेदन किया जा चुका है और जब सब यह चाहते हैं कि एक कमेटी हो जो यह जांच करे कि तीन यूनिवर्सिटी राजस्थान में बनायें या नहीं और अगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनायें तो उसकी क्या रिक्वायर-मेंट्स होनी चाहिए, उसके लिए कौनसा स्थान उपयुक्त हो सकता है, इन बातों की जांच करे। तो कहा जाता है कि सरकार ने जो कमेटी नियुक्त की थी उस कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है। मुझे ताज्जुब होता है कि जनसंघ के एक माननीय सदस्य, जब कृषि विश्व विद्यालय का प्रश्न आता है तो इस प्रकार बोलते हैं कि उससे मुझे महसूस होता है कि जैसे वे 'हां' पक्ष में बैठे हों और दो दिन से जैसे सरकार की हां में हां मिलाना उनका धर्म हो गया है। तो यह क्षेत्रीय भावना का परिचय यहां पर स्पष्ट रूप से दिया जा चुका है........

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, उदयपुर में कॉलेज हो, इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी बनी उसकी जांच हुई; मैं समझता हूँ

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं उसके मुतल्लिक बोल रहा हूँ।

श्री विजयसिंह झाला : उसने बीकानेर और गंगानगर के लिए....

श्री अध्यक्ष : कुछ सरकार के लिए कहने को रख दीजिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जी हां। वकालत चल रही है।

श्री विजयसिंह झाला : वकालत का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह सारा उत्तर मंत्री महोदय दे देंगे, उनके लिए छोड़ दीजिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उन पर भरोसा नहीं, मंत्री महोदय पर। इस मुतल्लिक मैं निवेदन कर रहा था कि सब एक मांग करते हैं। उसकी कमेटी की जांच के बाद उदयपुर का केस मजबूत होता है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर एक्सपर्ट कमेटी कह देगी कि गंगानगर कृषि विश्व-विद्यालय के लिये उपयुक्त नहीं है तो उसमें

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

कोई जिद की बात नहीं है। भारत सरकार ने जो कमेटी बनाई थी, उसके बारे में मन्त्राणी महोदया जवाब दें कि उसने उदयपुर के बाहर जांच नहीं की, क्योंकि उदयपुर में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई थी, इसलिए इस स्थान को उपयुक्त मान लिया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा था, justice should not only be done, but it should seem also that justice is being done. आपके उदयपुर का केस ठीक होगा, लेकिन हमें मौका दीजिए कि हम गंगानगर के केस को उस एक्सपर्ट कमेटी के सामने रखें। अगर फिर भी उदयपुर का केस मजबूत है तो कोई हर्ज नहीं है, उदयपुर में कृषि विश्व विद्यालय कॉन्ट्राडिक्शन इन टर्म्स से स्थापित होती है तो कोई हर्ज नहीं है। हम उदयपुर को ही राजस्थान का हिस्सा समझते हैं, जितना कि कोटा, अलवर या गंगा नगर को समझते हैं। हर एक चीज हर एक जगह स्थापित नहीं हो सकती है। हमें मालूम है कि आने वाले फोर्थ फाइव ईयर प्लान में कोटा और बीकानेर में भी यूनिवर्सिटी बन कर रहेगी। कोई ताकत सरकार की नहीं है जो कोटा और बीकानेर को यूनिवर्सिटी से महरूम कर सके। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि अगर सरकार इस बात के लिए तैयार है कि कृषि युनिवर्सिटी की जगह मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी उदयपुर में बनाये, तो यह कहना चाहता हूं, कि हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है कि वह उदयपुर में बने। वहां शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज हैं, इन्स्टीट्यूशन्स। हैं इस प्रकार की टीचिंग इन्स्टीट्यूशन्स राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा बननी चाहिए, इस बात का मैं हामी हूं, इस पक्ष का हूं कि टीचिंग इन्स्टीट्यूशन्स हों, अफिलियेटेड इन्स्टीट्यूशन्स हों। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब हम एक यूनिवर्सिटी जोधपुर में बना रहे हैं, उदयपुर में कृषि यूनिवर्सिटी बना रहे हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर में मौजूद है तो हमको चाहिए कि हम एक सलेक्ट कमेटी की मांग नहीं करें। मैं तो निवेदन करता हूं कि एक जोइन्ट कमेटी होनी चाहिए जो जोधपुर युनिवर्सिटी बिल को और उदयपुर एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी बिल को एग्जामिन करे कि ये यूनिवर्सिटीज राजस्थान में किन किन फैकल्टीज में एजुकेशन इम्पार्ट करती हैं, वर्तमान में इम्पार्ट करती हैं इस बात को मद्दे नजर रखे। और जिन जिन विषयों में जयपुर में हायर एज्यूकेशन मिलती है उसके अलावा अन्य विषयों पर जोधपुर में हायर एज्यूकेशन दी जावे। मैं यह नहीं कहता कि यह एग्रीकल्चरल युनिवर्सिटी उदयपुर में नहीं रखी जावे। मैं यही निवेदन करूंगा कि इस कमेटी का फैसला होने के बाद में जहां पर भी यह कमेटी चाहे तीन विश्वविद्यालय बना दे और ऐसा....

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

नहीं हो कि जयपुर और जोधपुर में उन्हीं विषयों पर ट्रेनिंग दी जाए और दोनों जगह एक ही विषय मिलते रहे। बहुत से ऐसे सबजेक्ट्स हैं जो जोधपुर, जयपुर और उदयपुर में हैं। इसलिए इन बातों पर विचार करने के लिए जोइन्ट सलेक्ट कमेटी का प्रपोजल रखा है। राजस्थान युनिवर्सिटी को भी ध्यान में रखते हुए और संशोधन को भी इसके साथ लायें और integrated higher education

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

की पॉलिसी को सदन से पारित कराएं ।

मैं यह निवेदन करूंगा कि एग्रीकल्चरल युनिवर्सिटी का बिल आया है उसको एग्जामिन करने पर मैंने यह महसूस किया है कि यह ऑटोनोमस बोडी कही जाती है उसको मैं एक तरफ विचार के रूप में मानता हूं । मगर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यह एग्रीकल्चरल युनिवर्सिटी कृषि सेवक समाज की तरह से होगी । जिसको एग्रीकल्चरल युनिवर्सिटी के नाम से सरकार बनाना चाहती है इसमें जितने भी सदस्य हैं उनको देखने से मालूम होगा कि सभापति मनोनीत होंगे । जहां वाइस चान्सलर का सवाल है, राज्य सरकार की सिफारिशों पर राज्यपाल उनकी नियुक्ति करेंगे । जो वैतनिक अधिकारी होगा । रजिस्ट्रार का अपोइन्टमेंट वाइस चांसलर की सिफारिश पर किया जाएगा । इसी तरह से बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल को सरकार नियुक्त करेगी । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप इस शिक्षा को भी कृषि विभाग की तरह एक मिनिस्टर का डिपार्टमेंट बनाना चाहते हैं तब तो जो आपने रजिस्ट्रार को वाइस चान्सलर के द्वारा नियुक्त करना और बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाना रखा है वह उचित है । लेकिन यदि हम इसे किसी मिनिस्टर का महकमा नहीं बनाना चाहते हैं और एग्रीकल्चरल युनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं तो जिस प्रकार दूसरी युनिवर्सिटियों में है उसी तरह यहां भी बनाना होगा । जब बड़े बड़े अधिकारियों को सरकार नियुक्त करेगी तो वाइस चान्सलर की नियुक्ति सरकार करती है और दूसरी कमेटी बनेगी उसमें बोर्ड की सिफारिश पर और वाइस चान्सलर की सिफारिश पर चान्सलर नियुक्त करेगा, मैं समझता हूं कि यह एक राजनैतिक चाल है और राजनैतिक तरीकों से उन अधिकारियों की नियुक्ति होती है जो रिटायर हो जाते हैं और जो सरकार के कृपा-पात्र होते हैं । मैं स्पष्ट रूप से इल्जाम लगाना चाहता हूं कि जब हमारे मुख्य सचिव कुछ समय के बाद रिटायर होंगे तो उनको वाइस चान्सलर बनाया जाएगा ।

श्री अध्यक्ष : आप व्यक्तिगत बातें न करें । कौन अपोइन्ट होगा, यह आप पहले से ही कैसे कहते हैं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह तो साबित हो जायगा ।

श्री अध्यक्ष: जब इसका संबन्ध ही नहीं है तो फिर आपको नहीं कहना चाहिए ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं नीति के तौर पर यह कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप नीति की बात कहिए, उसे दोहराइये ।

श्री मानिकचन्द सुराणा: यदि आप विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं और किसी मिनिस्टर का डिपार्टमेंट नहीं बनाना चाहते और यह चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग हो तो बिल में प्रतिक्रियावादी खामियां हैं उनको दूर करें । एक तरफ हम पंचायत समिति के सदस्यों को लेना चाहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के सदस्यों को लेना चाहते हैं और दूसरी तरफ हम जनतन्त्र में वाइस चान्सलर का इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

सारे पावर सरकार अपने हाथ में रखना चाहती है और जो लोग सरकार की तरफ से आवेंगे वे व्हील की तरह काम करेंगे। आप जानते हैं कि सारी यूनिवर्सिटी का अधिकारी वाइस चान्सलर होगा।

अब आप बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल में फाइनेन्स सेक्रेटरी, एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी, डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, डाइरेक्टर ऑफ एनीमल हस्बेन्डरी होंगे और कुल मिला कर १४ सदस्य होंगे। इन १४ सदस्यों में से कहे जाने को तीन सदस्य ऐसे हैं जो टैक्नीकल एक्सपर्ट्स हैं, जैसे डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर और डाइरेक्टर ऑफ एनीमल हस्बेन्डरी आदि। इन तीनों सदस्यों के अलावा जितने भी लोगों का प्रावधान बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल में रखा गया है, जैसे फाइनेन्स सेक्रेटरी, एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी आदि, यह सारा अधिकार इस बिल में नौकरशाही को दे दिया गया है। मैं नहीं मानता कि फाइनेन्स सेक्रेटरी, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी एग्रीकल्चर मिनिस्टर से ज्यादा हैसियत रख सकता है। इसलिए फाइनेन्स मिनिस्टर का फाइनेन्स सेक्रेटरी के स्थान पर प्रावधान हो और एग्रीकल्चर मिनिस्टर का एग्रीकल्चर सेक्रेटरी के स्थान पर प्रावधान हो तो ज्यादा अच्छा होता। मालूम ऐसा होता है कि सरकारी जिम्मेदारियों की वजह से यह बिल नौकरशाही बनाती है। इसलिये नौकरशाही ने सारे अधिकार अपने हाथ में रख लिये हैं। यह एक बड़े ताज्जुब की बात है कि इस तरह का प्रावधान हर समय रख दिया जाता है इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि नौकरशाही को कम से कम अधिकार दिये जायें। हम नहीं चाहते कि उन पर नौकरशाही हावी हो जावे।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि वाइस चान्सलर हाई ट्रेडीशन्स का आये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): 'बैठे बैठे कहा' क्षेत्रीय भावना है यह।

श्री मानिकचन्द सुराणा: मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक पोलिटिकल अपोइन्टमेंट्स युनिवर्सिटी में बन्द नहीं होंगे हाई स्टेन्डर्ड या हाई ट्रेडीशन्स नहीं रह सकेंगे।

क्षेत्रीय भावना की बात कही गई। मैं कहूंगा कि उदयपुर के ही लोग सारे शिक्षा विभाग में जगह जगह पर हैं। उदयपुर से बुलाये जाते हैं और उदयपुर के ही लोगों को मनोनीत किया जाता है, जब कि आप दूसरे लोगों को नसीहत लेने की बातें कहते हैं कि आप क्षेत्रीय भावना की बात न करें। हमारे मुख्य मंत्री हैं उनको निष्पक्षता का ट्रेन्ड निर्धारित करना होगा तब जाकर वे सारे राजस्थान को यह कह सकते हैं कि क्षेत्रीय भावना की बात नहीं होनी चाहिये। आज वाइस चान्सलर की पर्सनेलिटी बहुत काउन्ट करती है। आप देखेंगे कि जब लखनऊ युनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर श्री नरेन्द्रदेव आचार्य थे उस समय उस यूनिवर्सिटी का स्तर कितना ऊंचा था और उनके जाने के बाद देखेंगे कि उसका स्तर कितना नीचे गिर गया।

इसलिए हमारी सरकार की सोचना

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

चाहिये कि वाइस चान्सलर इलेक्टेड हों और वे ही हों जो वास्तव में बहुत ही दक्ष हों। यह जरूरी नहीं है कि राजस्थान से ही किसी को वाइस चान्सलर मुकर्रर किया जावे। इसलिये कृषि विश्व विद्यालय जो बना रहे हैं उसके लिये निवेदन करना चाहता हूं कि अवश्य वह कृषि विशेषज्ञ हों जो कृषि युनिवर्सिटी को चला सकें, ऐसे व्यक्ति को वाइस चान्सलर बनाना चाहिये। इसकी काबलियत किसी राजस्थानी में ही है, यह कहना उचित नहीं। यदि प्रान्तीयता और क्षेत्रीयता की भावना को छोड़ना चाहते हैं तो सारे हिन्दुस्तान में नजर दौड़ा कर काबिल से काबिल आदमी को बुलाइये। ऐसा नहीं करके फिर किसी राजस्थानी और उदयपुर के आदमी को ही थोप दिया गया तो हमें इससे निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि आप केवल कहते ही हैं कि आप में क्षेत्रीयता की भावना नहीं है पर वास्तव में आपके दिमाग में क्षेत्रीयता की भावना भरी हुई है। जो सुपरएन्युएटेड परसन्स हैं, जो रिटायर्ड हैंड हैं उनको वाइस चान्सलर की जगह चान्स देना उचित नहीं है। इस बिल में यह प्रावधान होना चाहिये कि जो सुपरएन्युएटेड परसन्स हैं, रिटायर्ड हैंड हैं उन्हें वहां वाइस चान्सलर नहीं बनाया जायगा। जो जिन्दगी के ५०, ६० साल निकाल चुके हैं, जिनका एक प्रकार से सारा जोश खत्म हो चुका है' ऐसे व्यक्तियों को इस प्रकार के जिम्मेदार पदों पर रखने से कोई लाभ नहीं। इसलिये मैं पुरजोर शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जो सुपरएन्युएटेड परसन्स हैं, रिटायर्ड हैंड हैं उनको जिम्मेदार पदों पर नहीं रखना चाहिये। इस बिल में इस प्रकार का प्रावधान हो कि हमारी सरकार सुपरएन्युएटेड परसन्स को, रिटायर्ड हैंड्स को इस तरह के जिम्मेदार पद पर नहीं रखेगी।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे देश में युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन नामक एक स्टेचुटरी बोडी है जो सारी युनिवर्सिटियों को चलाती है, किनको कितनी, कैसी फाइनेन्शियल एड देनी है इस पर वह विचार करती है, तो इस युनिवर्सिटी की स्थापना से पहले हमारी सरकार को चाहिये था कि युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन से इस मामले में कन्सल्ट करती और उससे पूछती कि हम इस प्रकार की युनिवर्सिटी स्थापित करने जा रहे हैं, हमें इसमें किस किस प्रकार की कितनी कितनी फाइनेन्शियल एड दी जायगी। इसकी स्थापना से पहले हमारी राजस्थान सरकार युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन से बातचीत करती तो इसमें सरकार की बुद्धिमता नजर आती। पर जहां तक मेरी सूचना है राजस्थान सरकार ने किसी प्रकार की सलाह युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन से नहीं ली है और टी. सी. एम. से, अमेरिका से एड मिलने वाली है उसी पर एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी खोलने को तैयार हो गई। यह ठीक है अमेरिकी मदद तो मिलेगी, पर युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन से जो मदद मिल सकती थी वह भी ली जाती तो इसकी स्थापना में बड़ी सुविधा मिलती। युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन युनिवर्सिटियों की स्थापना में २।३ मदद बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में देता है और पहले ५ वर्षों में ५० प्रतिशत मदद लेक्चरार्स, लाइब्रेरी वगैरह के लिये देता है। तो मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि एक मल्टी फैकल्टी युनिवर्सिटी कायम करें। एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी बनाने की मंशा है,

Page No. 47

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

उसको छोड़ देना चाहिए। एक फैकल्टी में कोई युनिवर्सिटी नहीं बनती है। आज एग्रीकल्चर में युनिवर्सिटी बनाई, कल मिनरल युनिवर्सिटी बनाई जा सकती है। अगर एक फैकल्टी की युनिवर्सिटी बनानी ही है तो उदयपुर में मिनरल युनिवर्सिटी बना लें, उदयपुर में मिनरल्स भी बहुत हैं, वहां मिनरल युनिवर्सिटी बनाना उपयुक्त होगा पर एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी तो बेचारे गंगानगर को लेने दीजिये। आपके यहां खानों का केन्द्र है, मिनरल विश्व विद्यालय बनाइये पर एक फैकल्टी की युनिवर्सिटी बनाना गलत है। मैं तो सिद्धान्त रूप से इसका विरोधी हूं। फिर भी सरकार फैकल्टीवाइज युनिवर्सिटी बनाना चाहती है तो इसमें संशोधन लाना चाहिये कि मिनरल यूनिवर्सिटी उदयपुर में की जाय और कृषि यूनिवर्सिटी गंगानगर में हो। इससे राजस्थान में अच्छी परम्पराओं का निर्माण होगा। केवल नसीहत देने से काम नहीं चलेगा। अपने गरेबान में बिना देखे जो खुद कांच के घर में रहते हैं उनको चाहिये कि दूसरों के घर पर पत्थर न फैंके। किसी क्षेत्र की बात राजस्थान की बात है। राजस्थान का दृष्टिकोण रखने में एक साथी गंगानगर से आता है तो राजस्थान की बात करते हुए गंगानगर को भूल जायं कि राजस्थान में गंगानगर है ही नहीं, इस तरह का दृष्टिकोण रखा जाय कि अपने क्षेत्र की बात बिल्कुल कोई व्यक्ति भूल ही जाय तो यह तो एक तरह से आकाश में उड़ने की सी बात होगी........

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक मिनट।

तो मैं इस बात की मांग करते हुए कि एक कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी मुकर्रर करनी चाहिये जो इस बात की जांच करके रिपोर्ट करे कि कहां एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी कायम होनी चाहिये, होनी भी चाहिये या नहीं. होनी चाहिये; इन दोनों क्वेश्चन्स को एग्जामिन करे और फिर युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन से बात करें। फिर भी सरकार इस निर्णय पर पहुंचे कि एक फैकल्टी युनिवर्सिटी कायम करनी है तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गंगानगर में बनाई जाय और मिनरल युनिवर्सिटी उदयपुर में बनाई जाय।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन सर, आचार्य नरेन्द्रदेव कितनी उम्र में वाइस चान्सलर बने थे

श्री मानिकचन्द सुराणा : जन्मपत्री फला लीजियेगा।

उप-मंत्री, कृषि (श्रीमती कमला बेनीवाल) : माननीय अध्यक्ष, सदन के समक्ष राजस्थान एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी का बिल है उसे सीधे इस सदन में विचारार्थ नहीं लिया जाकर एक सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय, इस बात पर दो दिन से माननीय सदस्यों की तरफ से कुछ कारण उपस्थित किये जा रहे हैं। इस बहस के दौरान में जो मैंने महसूस किया कुछ माननीय सदस्यों की तरफ से बहुत उपयोगी सुझाव दिये गये, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी अनावश्यक बहस भी की गई जो यहां पर न रखी जाती तो शायद ज्यादा उपयोगी होती। उस बहस के दौरान में खास तौर से दो–तीन

(श्रीमती कमला बेनिवाल)

मुद्दों पर जो माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला वे सचमुच में महत्वपूर्ण हैं। इसके उद्देश्य और लक्ष्य की पूर्ति के सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों ने यह पेश किया कि जितना स्कोप इस युनिवर्सिटी का होना चाहिये वह इस बिल के अन्तर्गत सन्निहित नहीं है, इसलिए इसके स्कोप के बारे में और विचार किया जाना चाहिये और कुछ एलाइड फैकल्टीज़ यूनिवर्सिटी के साथ होनी चाहिये और इस युनिवर्सिटी का करेक्टर ऐसा होना चाहिये कि सचमुच में राजस्थान जैसे कृषि प्रधान प्रदेश के लोगों को इससे आगे जाकर बहुत लाभ मिल सके।

मैं इस बात से सहमत हूं कि दरअसल हम एक चीज बनाने जा रहे हैं तो उसका कार्य-क्षेत्र, स्कोप इतना सीमित और समय के अनुसार न रहे तो अच्छा नहीं। समय की जरूरतों को देखते हुए, राजस्थान के हालात को देखते हुए और एक युनिवर्सिटी को विशाल स्वरूप देने के लिए क्लॉज ५ का जिसमें इसके ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं सचमुच में रिवीजन और स्क्रूटिनी की जरूरत है।

दूसरी दो बातें, जिन पर माननीय सदस्यों ने ऐतराज किये, क्लॉज़ ८ पर, क्लॉजेज़ १९ और २१ पर इनमें उन्होंने ऐतराजात पेश किये कि इन क्लॉजेज़ से जाहिर होता है कि इस युनिवर्सिटी का ऑटोनोनस करेक्टर होना चाहिये, उसको हम खत्म करना चाहते हैं और रिप्रेज़ेन्टेशन के बारे में माननीय सदस्यों ने तथ्यपूर्ण दलीलें भी दीं, साथ ही ऐसी भी दलीलें दी जो हाउस में नहीं रखनी चाहिये थीं। पर जहां तक पॉलिसी का सवाल है, इसको एक करेक्टर देना चाहते हैं। कुछ माननीय सदस्यों की राय है कि यह साफ होना चाहिये कि आया यह एक स्टेट यूनिवर्सिटी हो या ऑटोनोमस बोडी हो या अमेरिकन पैटर्न के आधार पर इसका पैटर्न हो या फिर हिन्दुस्तान में रुद्रपुर यूनिवर्सिटी है उसके आधार पर इसका पैटर्न हो। मुझे कुछ बातों को देखने से महसूस हुआ कि सचमुच में हमें इसके करेक्टर के बारे में भी निश्चय करना पड़ेगा और जो दलीलें हमारे सामने आती हैं कि यह इसका स्वरूप इसलिये बनाया गया है कि यह अमेरिकन एड के जरिये स्थापित की जा रही है और अमेरिकन एड से जो बनती है तो कुछ पैटर्न अमेरिका की लाइन पर रखना पड़ता है। तो यह भी विचारणीय है कि क्या सचमुच अमेरिकन एड इस आधार पर मिलती है कि उन्हीं के दिये हुए पैटर्न के अनुसार चलें और हमारे देश में जो उपयोगी हो सकता है उसके माफिक नहीं कर सकते? तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है। युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की कितनी, टी. सी. एम. की कितनी कितनी ग्रान्ट-इन-एड है जिनके आधार पर कि हम तैयारी करना चाहते हैं, तो ये सब विचारणीय विषय हैं।

मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं; इसके कन्ट्रोल, मेनेजमेंट के बारे में भी अपने विचार रखे हैं उनको ध्यान में रख कर जो इस विषय से सम्बन्धित बातें हैं उसकी सलाह से एक आदर्श युनिवर्सिटी का विधान बना कर तैयार रखें।

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

इसके साथ साथ मैं यह भी महसूस करती हूँ कि जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा वह क्लॉज ४ था जिसमें कि इसकी सीट कहां हो, उसके बारे में सभी माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किये। जहां तक इसकी उपयोगिता का सवाल है, इसकी एजुकेशन कहां से और किस जरिये से अधिक अच्छी तरह हो सकती है इसका सवाल है, यह उदयपुर में क्यों रखी गई है और दूसरी जगह क्यों न रखी जाय ये जो कुछ सवाल हैं, मैं समझती हूँ, पिछला इसका जो बैकग्राउन्ड है जिससे इसको उदयपुर में रखने का विचार किया गया उससे माननीय सदस्य पूरी तरह से वाकिफ नहीं हैं और आगे दूसरी जगह ले जायी जा सकती है या नहीं और वहां उसको ज्यादा उपयोगिता होगी या नहीं या जहां बन पायी है वहां ज्यादा उपयोगिता है, इन पर विचार करना होगा। जहां तक मैं सोचती हूँ जैसे माननीय सदस्यों ने ऐतराज किये हैं वैसा नहीं है। इतने जिम्मेदार माननीय सदस्य यहां हैं कि एक दूसरे पर क्षेत्रीयता के आरोप लगाना उचित नहीं है। एक प्रश्न आया था उस बारे में मैंने निवेदन किया था कि एक खास आवश्यकता होती है एग्रीकल्चर कॉलेज की, उसको दृष्टि में रखते हुए टी. सी. एम. का प्रोग्राम था। उसके चेयरमैन के सामने यह प्रश्न उपस्थित था और उन्होंने यह राय जाहिर की, राजस्थान राज्य के सम्बन्धित अधिकारी थे, उनकी रिपोर्ट के आधार पर, जहां एग्रीकल्चर कॉलेज हो और अलाइड साइन्स की सुविधायें हों उनको ज्यादा प्रिफर करते हैं और उसी हालत में मदद देने की बात करते हैं। उसके अलावा और कोई मंशा लगाना या विचार जोड़ना उपयुक्त नहीं होगा।

इसके अलावा कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी रखा है कि इस युनिवर्सिटी के जहां तक वाइस चान्सलर के अपॉइन्टमेन्ट का सवाल है या जितने भी डीन के अपॉइन्टमेन्ट्स का सवाल है और बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल के फोर्मेशन का सवाल है, एकेडेमिक फोर्मेशन का सवाल है माननीय सदस्यों की राय में यह डिफेक्टिव बताया गया है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह पेश किया कि अपॉइन्टमेन्ट्स होंगे, नोमिनेशन्स होंगे, फलां एक व्यक्ति का अपॉइन्टमेन्ट हो जायगा, राज्य सरकार की मंशा के व्यक्ति को अपॉइन्ट करना और दूसरे को न करना और इसके जरिये से ऐसे लोग इस युनिवर्सिटी में आ जावेंगे। मैं समझती हूँ कि जिस काम के बारे में पक्का विश्वास न हो जाय कि इस आदमी को रखा गया है उससे पहले ही गलत धारणा बना लेना माननीय सदस्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। यह मैं सोचती हूँ कि इस युनिवर्सिटी को एक स्पेशियलाइज्ड युनिवर्सिटी बनाना है तो दोनों बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, युनिवर्सिटी के सम्बन्धित विषय हैं उनकी स्पेशियलिटी को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दें और इन विषयों से जो सरकारी अधिकारी सम्बन्धित हैं वे लोग जावें और जिनका राज्य सरकार की ओर से नोमिनेशन किया जाय इस कार्य में सहयोग देने के लिये वे लोग जायं, न कि नफरी बढ़ानी है। इसलिए मैं समझती हूँ कि राज्य सरकार की मंशा को गलत न समझते हुए ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार की तरमीमें दें जिससे यह युनिवर्सिटी एक आदर्श युनि-

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

वर्सिटी बन सके और राजस्थान में जो एग्रीकल्चर तबका है उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके।

इसके अतिरिक्त बहुत से सुझाव ऐसे हैं, माननीय सदस्यों ने दिये वे भी इसमें हैं और अन्य एक्सपर्ट्स की तरफ से सुझाव हो सकते हैं और मैं यह महसूस करती हूँ कि आपने यहां विचार प्रकट किये क्योंकि यह राजस्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और आगे जाकर इससे राजस्थान के विकास में प्रभाव पड़नेवाला है, तेजी में इसको पास करना उपयुक्त नहीं होगा। मैं इस राय से सहमत हूँ और माननीय सदस्यों ने इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने का सुझाव पेश किया है मैं उसको मंजूर करती हूँ।

(विराम)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रवर समिति के जो कार्य होंगे, क्योंकि हम इसको लम्बा नहीं डाल सकते, इसलिए इसकी रिपोर्ट इस महीने की २० तारीख को अवश्य पेश हो जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी बिल, १९६२ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, क्या सरकार जोधपुर युनिवर्सिटी बिल, १९६२ को और इस बिल को एक ही सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करना उपयुक्त नहीं समझती ?

श्री अध्यक्ष : वह प्रश्न अभी विचार में नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : माननीय मन्त्राणी ने इसकी प्रिन्सीपल सीट कहां हो, उस सम्बन्ध में विचार व्यक्त नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी बिल, १९६२ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन इस महीने की २० तारीख तक प्रस्तुत करे ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रवर समिति के माननीय सदस्यों के नाम बाद में सुना दिये जावेंगे।

विधान सभा की विभिन्न समितियों के गठन सम्बन्धी घोषणा

श्री अध्यक्ष : दूसरा आइटम लिया जाय उससे पहले सूचना है जो माननीय सदस्यों को दूंगा। कुछ समितियों का गठन किया गया है उसके बारे में सूचना है।

१. याचिका समिति

मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम २२७ के अन्तर्गत मैंने निम्नांकित सदस्यों को याचिका समिति के लिए मनोनीत किया है :–

(श्री अध्यक्ष)

१. राव श्री नारायणसिंह (१२२)
२. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (२५)
३. श्री हनुमानसिंह (५७)
४. श्री चोसरसिंह (३०)
५. श्री गोविन्दसहाय (५३)
६. श्री जयकिशन (७४)
७. श्री जुझारसिंह (८३)
८. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (६४)
९. श्री नाथीसिंह (१२३)
१०. श्री केदारनाथ (८७)

राव श्री नारायणसिंह इस समिति के सभापति होंगे।

२. विशेषाधिकार समिति

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम २३४ के अन्तर्गत मैंने निम्नांकित सदस्यों को विशेषाधिकार समिति के लिये मनोनीत किया है :–

१. श्री निरंजननाथ आचार्य (१२६)
२. श्री भगराज (१२)
३. श्री शीशराम ओला (१५६)
४. महाराजकुमार श्री बृजेन्द्रपाल (२१)
५. श्री घासीराम यादव (४८)
६. श्री हरदत्तसिंह (५८)
७. महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (६७)
८. श्री मानिकचन्द सुराणा (१०४)
९. श्री राघतराम (१५०)
१०. श्री सम्पतलाल (१५३)

श्री निरंजननाथ आचार्य इस समिति के सभापति होंगे।

३. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

(१९६२–६३)

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम २३९ के अन्तर्गत मैंने निम्नांकित सदस्यों को अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के लिये मनोनीत किया है :

१. श्री बृजसुन्दर शर्मा (२२)
२. रावल श्री अमरसिंह जासोल (५)
३. श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (१८)
४. श्री गंगाराम चौधरी (४३)
५. श्री जगनसिंह (७३)
६. श्री कुमारानन्द (९२)
७. श्री राधाकिशन गोयल (१३७)
८. श्री रघुनाथ बिश्नोई (१४०)
९. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (१५५)
१०. कुमारी उमा माथुर (१६६)

श्री बृजसुन्दर शर्मा इस समिति के सभापति होंगे।

४. सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

(१९६२–६३)

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम २४५ के अन्तर्गत मैंने निम्नांकित सदस्यों को सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के लिए मनोनीत किया है :

१. श्री अमृतलाल यादव (६)
२. श्री गणपतिलाल वर्मा (४६)
३. श्री बालचन्द डागा (८)
४. श्रीमती गौरी पूनिया (४७)
५. श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (११७)

(श्री अध्यक्ष)

श्री अमृतलाल यादव इस समिति के सभापति होंगे ।

५. गृह समिति

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम २४६ के अन्तर्गत मैंने निम्नांकित सदस्यों को गृह समिति के लिये मनोनीत किया है:–

१. श्री रामदेवसिंह	(१४३)
२. श्री बालूराम	(१०)
३. श्री गोकुलचन्द	(५०)
४. श्री कृष्णकुमार गोयल	(६१)
५. राजा श्री मानसिंह	(१०७)

श्री रामदेवसिंह इस समिति के सभापति होंगे ।

(१.४० म. प.)

जोधपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९६२ (प्रवर समिति को)

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, शिक्षा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जोधपुर विश्व विद्यालय विधेयक, १९६२ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन दिनांक १८ अप्रैल, १९६२ तक प्रस्तुत करे । प्रवर समिति के सदस्यों के नाम बाद में पेश किये जायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कॉलेजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए उनमें शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में निरन्तर वृद्धि का खयाल रखते हुए एक से अधिक विश्व विद्यालय खोलने का सरकार ने निश्चय किया है । राजस्थान विश्व विद्यालय में शिक्षा पाने वाले छात्रों की संख्या अन्दाजन ४५ हजार के करीब है । इससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह संख्या बढ़ कर ६० हजार तक पहुँच जायगी । जहां तक कॉलेजों की संख्या का सवाल है, आज सामान्य शिक्षा के सात कॉलेज हैं–मेडिकल, वेटरनरी, एग्रीकल्चर, इन्जीनियरिंग, आयुर्वेदिक, संस्कृत एज्युकेशन इन सब की संख्या मिला कर ३० कॉलेज हैं । इस तरह से कुल मिला कर कॉलेजों की संख्या ९० के आसपास पहुंचती है । कॉलेजों की संख्या को देखते हुए और विश्व विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने ऐसा अनुभव किया है दूसरी टीचिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाय । भारतवर्ष के अन्य राज्यों में– केरल, आसाम, उड़ीसा और कश्मीर प्रदेश– इनमें एक एक युनिवर्सिटी है और दूसरे सभी राज्यों में एक से अधिक युनिवर्सिटीज़ हैं । राजस्थान में ऐसा अनुभव किया गया है कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा रखने के लिये और रिसर्च के काम को ज्यादा तरजीह देने के लिए आज हम जोधपुर में टीचिंग युनिवर्सिटी टाइप की एक और युनिवर्सिटी स्थापित की जाय, इस प्रकार का प्रस्ताव रख रहे हैं । युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन और प्लानिंग कमीशन ने इसको सही मानते हुए हमें एक युनिवर्सिटी कायम करने की मन्जूरी दी थी इसके अनुसार हमने जोधपुर में युनिवर्सिटी स्थापित करने का निश्चय किया है । यह योजना राज्य सरकार के सामने नयी नहीं है । इसके लिये सन् १९५४ में

Page No. 53

(श्री परसराम मदेरणा)

राजस्थान सरकार ने एक कमेटी बैठाई थी। उस कमेटी के सामने जो टर्म्स ऑफ रेफरेन्स था उसके अनुसार कमेटी को यह निर्देश था कि वह रेजीडेन्शियल युनिवर्सिटी कायम करने की योजना प्रस्तुत करे। जिस कमेटी (राव श्री नारायणसिंह मसूदा, सभापति पदासीन) के चेयरमैन जसवन्त कॉलेज के प्रिंसिपल श्री साहानी थे और राजस्थान के दूसरे दूसरे कॉलेजों के शिक्षा शास्त्री उस कमेटी के सदस्य थे। उन्होंने पांच सदस्यों की कमेटी की योजना बना कर सरकार के सामने प्रस्तुत की। सरकार ने उस योजना को राजस्थान युनिवर्सिटी के पास भेजा था। राजस्थान युनिवर्सिटी के सिन्डीकेट ने अगस्त, १९५८ में फैसला किया कि मौजूदा परिस्थितियों में यह योजना व्यावहारिक नहीं है। इसलिये इस योजना को लागू नहीं किया जाय। तीसरी योजना में जब एक युनिवर्सिटी की स्थापना का निश्चय किया गया है उसके लिये उपयुक्त स्थान जोधपुर को मानते हुए वहां पर युनिवर्सिटी स्थापित करने का बिल सदन के सामने प्रस्तुत है। उस विश्वविद्यालय का स्वरूप क्या होना चाहिये, इसके लिये सरकार ने देश के विख्यात शिक्षा शास्त्रियों की एक कमेटी बनाई जो खोसला कमेटी के नाम से विख्यात है। इस कमेटी के चेयरमैन ए० एन० खोसला थे। डॉ० मोहनसिंह मेहता, वाइस चान्सलर राजस्थान युनिवर्सिटी, इसके सदस्य थे, डॉ० सिद्धान्त, एक्स० वाइस चान्सलर देहली युनिवर्सिटी, डॉ० डी० एस० कोठारी, प्रोफेसर फिज़िक्स, देहली युनिवर्सिटी, श्री ए० के० जोशी, वाइस चान्सलर पंजाब युनिवर्सिटी, ये इस कमेटी के सदस्य थे। एज्यूकेशन सेक्रेटरी राजस्थान, मेम्बर–कम सेक्रेटरी थे। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत की है और उसमें कमेटी ने जोधपुर में विश्व विद्यालय स्थापित करने के लिये सुझाव दिया है। कमेटी ने आगे यह भी सुझाव दिया है कि जोधपुर युनिवर्सिटी का जो स्वरूप हो वह एफिलियेटिंग युनिवर्सिटी न रहकर जैसी कि राजस्थान युनिवर्सिटी है टीचिंग कम एफिलियेटिंग युनिवर्सिटी हो....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : ओन पॉइन्ट ए ऑफ इन्फॉर्मेशन सर, क्या डॉ० एम० बी० माथुर भी इस खोसला कमेटी में सदस्य के रूप में थे ?

श्री परसराम मदेरणा : खोसला कमेटी में जो जो भी सदस्य थे उनके नाम मैंने आपको बताये। डॉ० माथुर इसके सदस्य नहीं थे। डॉ० कोठारी जब युनिवर्सिटी ग्रॉन्ट कमीशन के सदस्य बन गये तो उन्होंने इस कमेटी से रिज़ाइन कर दिया। उनकी जगह कोई सदस्य नहीं लिया गया। इस कमेटी ने यह सिफारिश की है कि युनिवर्सिटी का जो पैटर्न हो वह टीचिंग पैटर्न हो। इसलिए इस बिल में यह प्रावधान किया गया है। इस युनिवर्सिटी की टेरीटोरी जोधपुर म्युनिसिपल एरिया से को-टरमिनस होगी और आवश्यक समझा गया तो इसका टेरीटोरियल जुरिस्डिक्शन बढ़ाया जायगा। पिछले दो दिनों से एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी बिल पर बहस चल रही थी और माननीय सदस्यों ने युनिवर्सिटी का क्या स्वरूप हो; उस पर अपने अपने अलग अलग विचार रखे थे। जहां तक जोधपुर युनिवर्सिटी का प्रश्न है एक्सपर्ट

Page No. 54

(श्री परसराम मदेरणा)

कमेटी की राय में राजस्थान में एकेडेमिक एंगल से शिक्षा स्तर ऊंचा रहे इसलिये इसको टीचिंग युनिवर्सिटी रखना मुनासिब समझा है। यह एक महत्वपूर्ण कानून है इसलिए मैंने इसको प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव किया है । इसके साथ साथ इसको प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव इस लिये भी है कि मिनिस्ट्री ऑफ एज्यूकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया और युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन एक मोडर्न एक्ट युनिवर्सिटी का तैयार कर रहे हैं जो अब तक प्रोसेस में है। मैं उम्मीद लेकर चलता हूं कि सलेक्ट कमेटी जब इस बिल पर विचार करेगी उस समय तक मोडर्न एक्ट हमारे सामने आ जायगा । उसको देखते हुए हम सलेक्ट कमेटी में वे सुधार पेश कर सकते हैं। इसलिये मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जो प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार करें और इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं। अन्डर रूल ६१ ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एण्ड कन्डक्ट ऑफ बिजनैस के अनुसार सभापति महोदय, जो भी बिल सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है उसमें अगर किसी प्रकार का एक्सपेन्डीचर का प्रावधान किया गया हो तो या कुछ एक्सपेन्डीचर होने की गुन्जाइश हो तो इसके लिए फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम उसके साथ होना चाहिये। पर इसके साथ में ऐसा कुछ नहीं है और न ही यह बतलाया गया है कि जिन जिन क्लॉजेज़ के तहत एक्सपेन्डीचर किया जावेगा उसको रूल्स के मुताबिक अलग से इंगित किया गया है। तो मैं यह वाजिब समझता हूं कि चूंकि यह बिल प्रवर समिति को रेफर किया जा रहा है इसलिये रूल ६१ के लास्ट प्रोविज़ो के अन्तर्गत ज्योंही सलेक्ट कमेटी को यह अपना बिल प्रस्तुत करे उस रिपोर्ट में सरकार फाइनेन्शियल मेमोरेण्डम का समावेश कर दे तो उचित होगा।

श्री सभापति : Will the Hon' ble Minister throw light on it ?

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, शिक्षा): सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो ऐतराज उठाया, यह ऐसा बिल जो मैंने सदन में प्रस्तुत किया है, इस बिल का जो खर्चा है युनिवर्सिटी बनने के बाद में युनिवर्सिटी एक्सपेन्डीचर होगा। that shall not be out of the Consolidated Fund of the State.

और युनिवर्सिटी खुद अपना खर्चा बियर करेगी। इसलिये यह आवश्यकता महसूस नहीं की गई कि इसके साथ फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम प्रस्तुत किया जाता।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : यह वे किस आधार पर कह रहे हैं कि युनिवर्सिटी खुद अपना सारा खर्चा करेगी, गवर्नमेंट नहीं करेगी? क्या यह बिल्कुल निश्चित है?

श्री भीमसेन : माननीय उपमंत्रीजी द्वारा यह कहा गया कि युनिवर्सिटी अपना खर्चा खुद बियर करेगी तो यह समझ में नहीं आता कि युनिवर्सिटी यह किस प्रकार करेगी! क्या वह कोई फाइन लगावेगी, फीस

(श्री भीमसेन)

लगावेगी ? तब भी हाउस की सैंक्शन की आवश्यकता होगी। मेरी समझ में नहीं आता कि without sanction of the House how these funds can be used.

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : तीसरी योजना में एक करोड़ रुपया कृषि विश्व विद्यालय के लिये सरकार के बजट में रखा गया है और माननीय मन्त्री ने कहा कि एक पैसा भी हमारे कन्सोलिडेटेड फन्ड में से नहीं खर्च होगा। तो यह बड़ी ताज्जुब की बात है कि मिनिस्टर महोदय को खुद को ही यह ज्ञान नहीं है कि हमारे थर्ड फाइव ईयर प्लान में यह खर्चा क्यों रखा गया है या कैसे रखा गया है और वे कह रहे हैं कि सरकार एक पैसा खर्च नहीं करेगी, युनिवर्सिटी खुद अपना खर्चा बियर करेगी।

श्री सभापति : यह कृषि विश्व विद्यालय की बात नहीं है। यह तो जोधपुर विश्वविद्यालय का बिल है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं वही कहने जा रहा हूं, सभापति महोदय। तो यह रेकरिंग एक्सपेन्डीचर के लिये नहीं; बल्कि नॉन रेकरिंग के लिये भी है। तो यह रुपया हमारी सरकार ने क्यों रखा ? यह भी मान लें कि भारत सरकार देगी या अमेरिकन मदद आने वाली है तो भी जो रेकरिंग खर्चा युनिवर्सिटी को हमें देना पड़ता है स्टेट के बजट में से वह हमेशा ही हमें देना पड़ेगा। इसलिये भी यह कहना कि फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन इन्वोल्व नहीं होता है, यह गलत है। यह बिल बहुत बड़ा फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन इन्वाल्व करता है। कल ही आप इसके लिये सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट लाने वाले हैं। इसलिये सिर्फ रूल ६१ का बन्धन हटाने के लिये, उसे ओवर राइट करने के लिये, गलत बात कह देना उचित नहीं है कि इसमें फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन है ही नहीं। ठीक है, इस समय गलती कर दी, अब दे दें; यह अलग बात है। अब भी जब असेम्बली दुबारा इसे प्रवर समिति से आते वक्त देखे तो यह मेमोरेन्डम इसमें लगा दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द) : चेयरमैन महोदय, रूल ६१ की यह प्रोपर स्टेज नहीं है। जब बिल वापिस सलेक्ट कमेटी से आवे तब इसकी जरूरत होगी। इसके वर्डिंग्ज़ हैं : "...and shall also give an estimate of the recurring and non-recurring expenditure involved in case the Bill is passed into law." बिल के लॉ बन जाने की स्टेज सलेक्ट कमेटी से वापिस हाउस में आने पर आवेगी। ऐसी स्थिति में यदि इसको डिफेक्ट मान भी लिया जावे तब भी पूरी स्टेज उस वक्त आवेगी जब वापिस यह बिल सदन में आवेगा तब यह पोसिबिलिटी हो सकती है कि this Bill may be accompanied by a Financial Memorandum.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : ठीक बात है, बाद में आवश्यकता होगी। पर जब सलेक्ट कमेटी में जावेगा उस वक्त भी फाइनेन्स के बारे में इसके साथ मेमोरेन्डम नहीं होगा तो सलेक्ट कमेटी क्या इसके बारे में सोचेगी ? वह साथ में नत्थी किया हुआ होगा तभी तो सोच सकेगी।

श्री भीमसेन : Mr. Chairman, the Rule is quite clear. When a Bill is presented to the House, it should be accompanied by a Financial Memorandum. Here the Bill has been presented without the Financial Memorandum.

श्री निरन्जननाथ आचार्य : It has been referred to the Select Committee, so the presentation isover.

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, इसके लिये एक लाख का टोकन प्रोविज़न रखा है ....

श्री सभापति : क्या माननीय मन्त्री महोदय इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि अभी जैसा आपने कहा कि इसके सारे एक्सपेन्डीचर कुछ अतिरिक्त साधनों से पूर्ण किये जावेंगे तो उस दृष्टि से कन्सोलिडेटेड फण्ड पर कोई भार नहीं होगा और यदि टोकन ग्रान्ट भी मिलेगा तो इसका अर्थ तो यही होता है कि कन्सोलिडेटेड फण्ड पर दबाव जरूर पड़ेगा; तो इस विषय को स्पष्ट करना आवश्यक है।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने अर्ज किया कि टोकन प्रोविज़न एक लाख का रखा है और इसको जो युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन है वह ग्रान्ट देगा और दूसरे यह कि चूंकि ऑटोनोमस बॉडी है इसलिये एग्ज़ामिनेशन फीस वगैरह से पैसा मिलेगा। फिर यह ऐसी ऑटोनोमस बॉडी है जैसी बोर्ड ऑफ सेकिन्डरी एज्युकेशन। इसको हम कोई ग्रान्ट नहीं देते हैं और उसी तरह से सारे का सारा यह एक लाख का प्रोविज़न इस साल ही बजट में रखा गया है। बाकी इसके बाद युनिवर्सिटी अपना खर्चा अपने आप बियर करेगी।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, जब आप बोलें तो पान थूक कर बोलें। मुंह में पान रख कर जवाब देते हैं तो पूरा सुनाई नहीं देता।

श्री सभापति : पान खाना कोई सदन की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल नहीं है। युक्ति से अगर खाया जावे और उससे ऐसा प्रतीत नहीं हो कि सदन के प्रति कोई धृष्टता हो रही है तो वहां तक मुंह में दबा कर पान खाना सदन की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल नहीं समझा जाता।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : It is strange that you can have the effect from such a long distance.

श्री विजयसिंह झाला : Yes.

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, किसी के दांत नहीं हों और उसके कारण बोलते वक्त हवा निकल जाती है तो आप यह भी कह देंगे कि दांत लगा दिया जावे। तो यह तो कोई ऐतराज नहीं हुआ। मेरी वोइस ऑडिबल नहीं है तो माननीय सदस्य ऐसा कह सकते हैं, मैं उसे ऑडिबल करने की कोशिश करूंगा, पर आज तो उन्होंने पान खाने पर आपत्ति की, कल और ऐतराज भी कर देंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : शिष्टाचार के नाते ऐसा है कि पान जवाब देते वक्त न खाया जाय तो अच्छा है।

श्री सभापति : व्यवस्था दे दी गई है,

Page No. 57

(श्री सभापति)

विवाद की आवश्यकता नहीं है इस पर। अब इसमें फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम नहीं है इस विषय में जहां तक इस रूल की शब्दावली को पढ़ने से अर्थ लगाया जा सकता है, मैं समझता हूँ कि जिस वक्त यह बिल लॉ के रूप में बनने की अवस्था में सदन के सामने आवे तभी उस फाइनेन्शियल मेमोरेण्डम की पूर्व आवश्यकता है और उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि अगर यह बिल प्रवर समिति को भेजा जा रहा है और उसके साथ मेमोरेण्डम अभी नहीं है तो वह बिल्कुल जायज़ है और यह पोइन्ट ऑफ ऑर्डर मैं इस दृष्टि से रूल आउट करता हूं।

(२. म. प.)

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : सभापति महोदय, प्रवर समिति में जाने से पहले भी इस बिल को रोका जा सकता है क्योंकि यह कम्पलीट नहीं है। अगर इसको पहले ही कम्पलीट करके प्रवर समिति के सामने ले जायें तो अच्छा रहेगा।

श्री सभापति : प्रवर समिति में जाने का तात्पर्य ही यह है कि उसमें त्रुटियां हों तो उनको पूर्ण कर दिया जाये और क्लॉजेज़ की मन्शा भी बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस समय लॉ की स्टेज पर आयेगा तो उस समय जो भी पूर्व आवश्यकतायें हैं वे पूर्ण होनी चाहिए। तो इस समय उन आवश्यकताओं पर जोर दिया जाये, यह मैं उचित नहीं समझता। यह बिल्कुल विधिवत् रखा गया है और मैं समझता हूँ कि प्रवर समिति के विषय में जो वाद-विवाद माननीय सदस्य करना चाहें वह प्रारम्भ रखें।

श्री अब्दुलजब्बार : लेकिन सभापति महोदय........

श्री सभापति : इस विषय में व्यवस्था दी जा चुकी है और अब इस पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : माननीय सभापति महोदय, जो माननीय मंत्री महोदय का प्रस्ताव आया है उसका मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन जैसा मैंने सदन से पहले भी निवेदन किया कि राजस्थान एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी बिल और जोधपुर युनिवर्सिटी बिल इन दोनों बिलों को एक ही जोइन्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाना चाहिए। मैं 'हां' पक्ष के माननीय सदस्यों को और मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि एक इन्टीग्रेटेड हायर एजुकेशन की स्कीम बने, इसके लिए आवश्यक है कि दोनों ही बिलों के प्रावधान को एक जोइन्ट सलेक्ट कमेटी एग्ज़ामिन कर ले ताकि दोनों ही बिलों के कॉन्स्टीट्यूशन्स इतने अच्छे बनें कि दोनों बिल एक दूसरे से ओवरलैपिंग न हों। आप इसको केवल टीचिंग युनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं या एफीलियेटिंग युनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं इस बात का पूरा, डिस्कशन एक जोइन्ट सलेक्ट कमेटी में हो सकता है, अन्यथा यदि अलग अलग सलेक्ट कमेटीज़ रखी गई तो जोधपुर युनिवर्सिटी बिल जो टीचिंग युनिवर्सिटी के उद्देश्य से बनाया जा रहा है और उधर उदयपुर का राजस्थान एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी बिल की जो सलेक्ट होगी ये दोनों अपने अलग अलग माध्यम से विचार करेंगी और एक रिपोर्ट तो सलेक्ट कमेटी की १८ तारीख को मिलेगी और दूसरी की रिपोर्ट २० तारीख को मिलेगी! तो मैं

Page No. 58

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से एक इन्टीग्रेटेड स्कीम हायर एजुकेशन के डेवलपमेन्ट की नहीं बन सकेगी और हमारी सरकार प्लाण्ड डेवलपमेन्ट में विश्वास करती है उसको इस सुझाव को मानने में ऐतराज़ नहीं होना चाहिए कि एक जोइन्ट सलेक्ट कमेटी इसको एग्ज़ामिन कर ले और जोइन्ट सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट एक साथ सदन के सामने आ जाये। वैसे मैं इसको सलेक्ट कमेटी में प्रस्तुत किये जाने की मांग का समर्थन करते हुए कहूँगा कि मेरे जोइन्ट सलेक्ट कमेटी के प्रस्ताव को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री सभापति : श्री निरंजननाथ आचार्य।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): सभापति महोदय, जो प्रस्ताव माननीय सदस्य ने रखा है वह विचारणीय अवश्य है। प्रवर समिति का यह प्रस्ताव सरकार की ओर से आया है उसका तो मैं अभिनन्दन करता हूँ लेकिन जो प्रस्ताव जोइन्ट सलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए रखा गया है उसके लिए मुझे कहना है कि जहां तक कृषि विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है और जोधपुर विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है दोनों के कॉन्स्टीट्यूशन्स अलग अलग हैं। मैंने जैसा पहले निवेदन किया था कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का कॉन्स्टीट्यूशन एक स्टेचुटरी युनिवर्सिटी के आधार पर है और जोधपुर विश्वविद्यालय का कॉन्स्टीट्यूशन सामयिक है और समय के साथ मेल खाता है। ऐसी स्थिति में दूसरा प्रश्न बीच में नहीं आता है। यदि एक ही सलेक्ट कमेटी दोनों पर विचार करे तो मेरा खयाल है कि एक अच्छी चीज़ सदन के सामने बन कर आ सकती है। इसके अतिरिक्त जहां तक एक्सपर्ट्स ओपीनियन का सवाल है, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि एक्सपर्ट्स ओपीनियन को भी ले लेंगे तो मेरा खयाल है कि एक्सपर्ट्स को जो हम बुलायेंगे तो वह दोनों के लिए अपनी ओपीनियन दे सकते हैं। इससे खर्चा भी कम हो सकता है और अगर दोनों की मीटिंग अलग अलग होने पर राय ली गई तो खर्चा ज्यादा होगा। इसके साथ ही एक नामावली सदस्यों की होगी तो सदस्य कम्पेरेटिव स्टेडी दोनों बिलों पर कर सकेंगे। यह एक सौभाग्य का विषय है कि दोनों ही विधेयक एक साथ आये हैं और एक ही दिन प्रवर समिति को सुपुर्द किये जा रहे हैं और इसके अलावा दूसरा स्वरूप इसका नहीं हो सकता और यह प्रस्ताव विचारणीय ही नहीं, बल्कि मानने योग्य है।

श्री सभापति : इसके पहले कि वाद-विवाद आगे चले मैं सरकारी बैन्चों को यह विनम्र चेतावनी करना चाहता हूं कि आयन्दा जो भी बिल्स आयें चाहे प्रवर समिति की स्टेज पर या दूसरी स्टेज पर, उनमें फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम की आवश्यकता हो तो उसका जरूर खयाल रखा जाना चाहिए ताकि ऐसा विवादास्पद विषय न उठ खड़ा हो।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : In this case, we examined the whole matter and we found that the money that we are going to spend, it is to be spent from the University Fund and not from the Consolidated Fund. According to the Rules, when the money is to be spent from the Consolidated Fund then and then only it is

Page No. 59

(श्री मथुरादास माथुर)

necessary that the financial statement is placed before the Bill. It is purely autonomous and if the Chair wants to know, then we can place it.

श्री सभापति : The matter is closed now.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : This statement is not very correct. The provision was of one lac......

श्री मथुरादास माथुर : It is from the University Fund.

श्री सभापति : Well, it is autonomous. Audit is not changed on the Consolidated Fund. No necessity of a Financial Statement. Ruling has been given. There is no use discussing on this point now. Discussion may continue now on the motion.

Shri Jhala.

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : सभापति महोदय, जहां तक बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का सवाल है, मैं उसका स्वागत करता हूं और मेरी समझ में विशेष विवादास्पद प्रश्न यह नहीं है लेकिन जहां तक समय का सवाल है इसमें १८ तारीख दे रखी है और जैसा कि अभी सुझाव आया जो कांकरोली से सदस्य आये हैं उन्होंने और दूसरे सदस्यों ने भी दोनों बिलों पर एक ही कमेटी बने और १८ तारीख के पहले इसकी रिपोर्ट आये, ऐसा सुझाव दिया है लेकिन मेरी समझ में यह समय बहुत कम है क्योंकि १८ तारीख के पहले कटमोशन्स पर भी विचार किया जायेगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हमारे सदन के सभी माननीय सदस्यों का ध्यान उस ओर आकर्षित होगा। तो ऐसी स्थिति में मैं यह सुझाव दूंगा कि ऐसे दो महत्वपूर्ण बिलों पर केवल एक लिमिटेड समय देना और वह भी ऐसे समय पर जब कि दूसरे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श होनेवाला है मैं सुझाव दूंगा कि इसका समय और बढ़ा दिया जाये क्योंकि मेरी समझ में बुरा नहीं होगा यदि दो दिन इसके लिए ज्यादा भी दे दिये जायें। इसलिए मैं यह सुझाव रखूंगा कि इसका समय कम से कम २६ तारीख तक या इससे भी यदि दो दिन आगे बढ़ाया जा सके तो ऐसे महत्वपूर्ण विषय को केवल समयाभाव से नहीं टाल कर इसके लिए ज्यादा समय रखा जाये, ऐसा मैं सुझाव रखता हूँ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सभापतिजी, यह पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि यह प्रवर समिति एक ही बिल के लिए एक हो सकती है या दो बिलों के लिए एक हो सकती है, इसके संबंध में रूल ६६ है। इसमें यही है कि प्रवर समिति एक बिल के लिए एक ही हो सकती है और दूसरे बिल के लिए दूसरी प्रवर समिति ही बनानी पड़ेगी। ऐसी हालत में यह भी हो सकता है कि दोनों ही सलेक्ट कमेटीज बन कर भी साथ में बैठ कर विचार कर सकती हैं। यह तो हो सकता है, लेकिन रूल्स के अन्तर्गत ऐसा प्रावधान नहीं है कि दो बिलों के लिए एक ही प्रवर-समिति बनायी जाये। इसलिए मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कराना चाहता हूँ। मैं समझता

(श्री मुरलीधर व्यास)

हूँ कि चेयर की तरफ से यह पहले क्लियर हो जाये तो ज्यादा अच्छा हो ।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : जो आपने कहा है उससे हम सहमत हैं कि एक बिल के लिए एक ही प्रवर समिति बन सकती है । इतना ही हो सकता है इसके अन्दर कि सदस्यों के नाम एक हों, यह तो किया जा सकता हैं वर्ना प्रवर समितियां तो दोनों बिलों के लिये अलग अलग ही बनानी पडेगीं । यह रूल्स का भी इन्टरप्रिटेशन है और माननीय सदस्य भी वही बात कहना चाहते हैं । तो वह अलग प्रश्न है कि जोइन्ट सीटिंग हो, पर रिपोर्ट दोनों कमेटियां की सेपेरेटली सदन के सामने रखनी पड़ेगी ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की शिक्षा के क्षेत्र में आज यह एक ऐतिहासिक दिवस है जब कि हम दो युनिवर्सिटियों के कॉन्स्टीट्यूशन्स को प्रवर समिति, सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने की बात सोच रहे हैं । एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी का विधान कल उपस्थित हुआ और उस पर आज तक बहस हुई और अब जोधपुर युनिवर्सिटी का विधान सामने मौजूद है और उस पर यह प्रस्ताव है कि उसको सलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाय ।

दोनों युनिवर्सिटीज के विधानों में युनिर्सिटी के एक्चुअल करेक्टर्स का कहीं भी निर्माण नहीं किया गया है । लेकिन यह बात जरूर है कि कॉन्स्टीट्यूशन्स बहुत डिफरेन्ट हैं । एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी का विधान है जहां पर नौकरशाही का दखल बहुत ज्यादा अपने अन्दर लिये हुए है, यह विधान कुछ लिबरल है । लेकिन यह चीज स्पष्ट है कि 'ऑटोनोमस, ऑटोनोमस' का नारा बेशक दिया जाय, लेकिन इन दोनों विधानों के रिलेटिव, कम्पेरेटिव रूप में यह कह सकते हैं कि दूसरी ज्यादा ऑटोनोमस है । लेकिन ऑटोनोमस शिक्षण संस्थाओं की अच्छाई को न तो वह विधान प्रोवाइड करता है और न यह विधान प्रोवाइड करता है । मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा । मेरा तो यह सुझाव है कि एक ओर जैसा कि मैंने कल एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते समय अर्ज किया था कि सिंगल फैकल्टी युनिवर्सिटी का कोई तात्पर्य नहीं है । जिन पैन्टर्स के ऊपर हम युनिवर्सिटियों के निर्माण की बात कर रहे हैं । उसके कॉन्स्टीट्यूशन की बात करते हैं, जैसा कि कहा गया कि अमेरिकन ओपीनियन के मुताबिक जो कि इसमें कॉन्स्टीट्यूशन भी कर रहे हैं एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी के लिये, एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी के विधान का निर्माण किया गया है तो वहां पर संसार की बहुत बड़ी संस्था है, मेसासुचेट्स इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी की तरह से लें तो वेरियस फैकल्टीज की युनिवर्सिटी की आवश्यकता है । इस बात का मैं बहुत स्वागत कर सकता हूं कि जोधपुर की युनिवर्सिटी इस लक्ष्य को पूरा करेगी, क्योंकि जोधपुर में टैक्निकल कॉलेजों का प्रसार बढ रहा है, सिविल इन्जीनियरिंग कॉलेज है । लेकिन इस सारे विषय का गहनता से

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

और गम्भीरता से अध्ययन करने के लिये समय चाहिये, समय की आवश्यकता है। यह विधान अपने आप में बहुत कम है। इन सारी चीजों के ऊपर बिल्कुल प्रकाश नहीं डाला है। मैं उन चीजों को दोहराना नहीं चाहता जो मैंने एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी के सम्बन्ध में कही हैं। कई इन्स्टीट्यूट्स रह गई हैं। होर्टीकल्चर जैसी इम्पोर्टेन्ट इन्स्टीट्यूट्स हैं। जहां एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी को इन्स्टीट्यूट्स के नाम दिये हैं, उसके आगे लिख दिया 'They are Institutes of technology." इसको एलाइड स्टेडीज़ में कॉर्पोरेट नहीं कर सकते, सेरीकल्चर या और इस किस्म के एलाइड सब्जेक्ट्स हैं। तो मेरी अर्ज है कि एक तो समय बहुत कम है, बगैर स्टडीज़ के इसको पास ही कर देना है तो प्रवर समिति रिपोर्ट दे देगी तब तो बात दूसरी है; लेकिन इस सम्बन्ध में अगर गहनता से विचार करके शिक्षा के क्षेत्र को वाकई कोई चीज़ देनी है, इस पर सन्जीदगी से विचार करना है तो सबसे पहले प्रश्न यह आता है कि शिक्षा की संस्थाओं के अन्दर हमें उस पवित्रता की आवश्यकता है, उस ऑटोनोमी की आवश्यकता है जो कि राष्ट्र की सही सम्पत्ति है। शिक्षा की इन संस्थाओं के अन्दर एक्सपर्ट टैक्निकल ओपीनियन की आवश्यकता है, इसमें शिक्षा की संस्थाओं के अन्दर स्कॉलर्स और रिसर्च स्कॉलर्स, इन लोगों की आवश्यकता है। इन लोगों से आगे ज्ञान की ज्योति लानी है, विद्यार्थियों को देना है और उसके द्वारा देश का विकास करना है। अगर किसी प्रकार से हम संकीर्णता या नौकरशाही को इन शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश करने की गुन्जायश दे देंगे तो देशवासियों के मस्तिष्क को पाइलट करेंगे, पोलिटिक्स से पाइलेट करेंगे। सही मार्ग से उन्हें हटायेंगे, जिस दिशा में उनको जाना है उससे। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि अगर लॉ प्रोवाइड नहीं करता है तो ऐसा हो सकता है कि इन दो सलेक्ट कमेटियों के मैम्बर्स कॉमन हों। लेकिन इन दो बिलों के लिए जो २ सलेक्ट कमेटियां बनें तो उनकी कॉमन मीटिंग भी जरूरी है ताकि इनकी कम्पेरेटिव स्टडी के आधार पर इनके ऊपर विचार किया जाय और जो अमेंडमेन्ट या जो कुछ लाया जाय वह आपस में बैठ कर उनके रिलेटिव स्ट्रैक्चर्स को डिस्कस कर लिया जाय, कन्ट्रोवर्सीज़ को डिस्कस कर लिया जाय। ये दोनों विधान बिल्कुल डिफरेन्ट हैं, इनके करेक्टर्स को स्टेबिलाइज़ किया जाय, इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव बोडीज़ हैं उनके बारे में संजीदगी से विचार किया जाय। इन इन्स्टीट्यूशन्स के अन्दर इनका सारा फॉर्मुलेशन हो रहा है और किस तरह से इनका ढांचा चलना चाहिए, वह सारे का सारा थोरोली डिस्कस किया जाय। तो मैं यह सुझाव दूंगा कि एक तो टाइम पीरियड बहुत कम है, अगर बेगार ही काटनी है तो बात दूसरी है, काफी एक्सपर्ट ओपीनियन की जरूरत है। काफी सोचने की जरूरत है, काफी रिपोर्ट्स पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद इसके सम्बन्ध में कोई निश्चित रूप से चीज लाई जा सकती है तो सदन १५–२० दिन का समय निश्चित रूप से तय करे और फिर सलेक्ट कमेटी बने उसमें कॉमन नाम रखेंगे या आपस में मीटिंग करके एक कम्पेरेटिव अध्ययन करके सदन को बता देंगे।

आज एक महान दिवस है कि हम दो

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

युनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे है और वाकई मैं क्रान्तिकारी दिवस समझूंगा जब कि आज हम एक साथ दो युनिवर्सिटीज़ के विधान प्रवर समिति के सुपुर्द कर रहे हैं और उनको पास करने की बात सोच रहे हैं।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय के अन्दर सलेक्ट कमेटी को रेफर करने का जो प्रश्न है उसका स्वागत करते हुए इस बात को सदन के सामने कहूंगा कि यह जो अभी कहा गया कि एक हो प्रवर समिति हो जो कि एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी बिल के लिए है और दूसरी युनिवर्सिटी के लिए भी हो, उसी को यह दिया जाय, इसमें मैं डिफर करता हूँ। इसका कारण यह है कि जब अभी आपके सामने माननीय गृह-मंत्रीजी ने भी कानून की आपत्ति बतलाते हुए दो अलग अलग समितियों का प्रावधान बताया है, साथ ही यह भी बताया गया कि १८ तारीख तक वह रिपोर्ट हो जानी चाहिए। उस समय वह कटमोशन का भी टाइम है। सदन में इन दिनों कुछ छुट्टियां भी हैं। तो इतने थोड़े से टाइम के अन्दर दो महान विधेयकों पर मैं कहूँगा कि पूर्ण विचार एक ही कमेटी कर सके, इससे सहमत नहीं हूँ बल्कि मैं यह अर्ज करूंगा कि दूसरे पर्सन्स की कमेटी होनी चाहिये ताकि इसमें दूसरे केलिबर के भी अपना टाइम पूरा देकर अपनी राय पूरी दे सकें। हां, यह अवश्य मूवर देख लें कि कुछ लोग जो योग्य व्यक्ति इसमें हैं उनको भी इसमें इन्क्ल्यूड कर लिया जाय तो हर्ज नहीं। लेकिन प्योरली वह की वह हो, इससे मैं सहमत नहीं हूं।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : सभापति महोदय, हमारे जो रूल्स ऑफ प्रोसिज़र हैं उसके मुताबिक भी एक ही सलेक्ट कमेटी एक बिल के लिये बननी चाहिये। साथ ही साथ माननीय सदस्य गंगानगर से आनेवालों ने कहा, यह बहुत विचार करने का विषय है, रूल्स में प्रावधान है कि कोई भी सदस्य कमेटी में आना चाहे तो आ सकता है, बैठ सकता है और अपने सुझाव दे सकता है। सलेक्ट कमेटी का सदस्य न भी हो तो सेक्शन २२ के अनुसार हरेक सदस्य आकर बैठ सकता है, चेयरमैन उनको अधिकार दें तो राय भी प्रकट कर सकता हैं इसमें ऐतराज नहीं होगा। जिनकी ऐसी इच्छा हो राय दें तो इसमें भी आपत्ति नहीं है, कोई भी सदस्य राय दे सकता है। कानूनी दृष्टिकोण से और दूसरे दृष्टिकोण से अवैध नहीं है।

अब एक करने से क्या सुविधा होगी ? दोनों के लिये एक समिति होती नहीं है और न सवाल आता है। दोनों युनिवर्सिटियां अलग अलग दृष्टिकोण से हैं एक टेक्निकल है, दूसरी जनरल है। इसलिये सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जोइन्ट सलेक्ट कमेटी पर जोर न दें और दोनों के लिये सलेक्ट कमेटी अलग अलग बनानी चाहिये। और जो भी राय देना चाहें दे सकते हैं सलेक्ट कमेटी में बैठ कर।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा (जोधपुर-शहर) : सभापति महोदय, जिस बिल की हम १०-१५ साल से इन्तजार कर रहे हैं वह बिल आज मन्त्रीजी ने प्रस्तुत किया, उसका मैं

(श्री आनन्दसिंह कछवाहा)

स्वागत करता हूँ और सलेक्ट कमेटी में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। साथ ही साथ मियाद बढ़ाने का कहा है उसका विरोध करता हूँ क्योंकि आगे भी बहुत टाइम व्यतीत हो चुका है। एक आश्चर्य की बात यह सामने आई कि एक युनिवर्सिटी के लिए तो १ करोड़ का प्रोविजन है और दूसरी के लिये एक लाख का है, यह व्यवहार ठीक नहीं नजर आता है। जोधपुर युनिवर्सिटी के लिए क्षेत्र जोधपुर म्युनिसिपल लिमिट ही रखी है उसका विरोध करता हूँ। इस युनिवर्सिटी का क्षेत्र जोधपुर डिवीजन, बीकानेर डिवीजन और उदयपुर डिवीजन का होना चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): सभापति महोदय, जो दूसरी युनिवर्सिटी का बिल है....

श्री सभापति (राव श्री नारायणसिंह): मैं समझता हूँ माननीय सदस्य ने पहले विवाद में भाग नहीं लिया ?

श्री मुरलीधर व्यास: पहले मैंने एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी बिल में भाग लिया था इसमें नहीं लिया।

श्री सभपति: Continue please.

श्री मुरलीधर व्यास: सभापति महोदय, यह जो दूसरी युनिवर्सिटी का बिल है उस सम्बन्ध में स्वयं मन्त्री महोदय ने कहा कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, उन्होंने प्रारम्भ में ही सलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव रख दिया। इससे कुछ बातें, जैसा मैं सोच रहा था, सलेक्ट कमेटी के पास जाने से पहले सदन में विचार हो और सदन के सम्मानीय सदस्यों के विचारों को लेकर बाद में सलेक्ट कमेटी विचार करे तो सब के विचार आते और उनके आधार पर सलेक्ट कमेटी सोच सकती थी। लेकिन इसका मौका दिये बिना सीधे ही सलेक्ट कमेटी की बात आई इससे ऐसा महसूस होता है कि सलेक्ट कमेटी सदन के माननीय सदस्यों के विचार से परिचित नहीं हो सकती और लाभ नहीं हो सकेगा। फिर भी मैं स्वयं जो इस बात का ऐसा पक्षपाती रहा हूं कि राजस्थान की आर्थिक अवस्था को देखते हुए राजस्थान में दूसरी युनिवर्सिटी इतनी जल्दी हो या नहीं हो और जैसा कि दूसरी युनिवर्सिटी का बिल आया उसमें यदि अर्थ का भी ज्ञापन साथ में आता, उससे राजस्थान सरकार पर कितना भार पड़ेगा उस पर सारे सदस्य सोच सकते थे और पहली युनिवर्सिटी को राजस्थान सरकार को कितना पैसा देना पड़ता है और राजस्थान में दूसरी युनिवर्सिटी बनने के बाद कितना लाभ हो सकता है, साथ ही साथ हमारे पर कितना खर्चा पड़ेगा, सारी बातें होंगी, तो विचारने की बात हो जाती। मैं महसूस करता हूं कि क्योंकि जहां तक दूसरी युनिवर्सिटी का सवाल है, बहुत से लोग कहेंगे कि क्या बात है, हमारे यहां दूसरी युनिवर्सिटी हो रही है। अच्छी बात है, राजस्थान में छात्रों की एज्यूकेशन बढ़ रही है इसलिये दूसरी युनिवर्सिटी होना आवश्यक है, आदि नाना प्रकार की बातें आयेंगी। लेकिन जैसा माननीय मन्त्रीजी ने खुद ने कहा, बहुत से प्रान्त ऐसे हैं जिनमें एक ही युनिवर्सिटी है, काम चलाते हैं, जिसमें केरल का नाम लिया। केरल और राजस्थान को देखते हैं तो केरल में ६० परसेन्ट लोग शिक्षित हैं और जितनी

(श्री मुरलीधर व्यास)

आबादी राजस्थान की है उतनी ही आबादी केरल की भी है। जिस स्थान पर ६० प्रतिशत लोग शिक्षित हैं वहां पर एक ही युनिवर्सिटी काम करती है और जहां १५ पर्सेन्ट लोग शिक्षित हैं वहां एक काम कर रही है, दूसरी बन रही है और तीसरी का बिल आ रहा है। आखिर इसके बन जाने पर क्या भार पड़ेगा, आर्थिक बोझ सम्भलेगा या नहीं और यदि वह भारस्वरूप हो जाता है तो दूसरे क्षेत्र जिनका हम उत्थान करना चाहते हैं, प्राथमिक शिक्षा वैसे ही पड़ी है, प्राथमिक स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिये चटाइयां तक नहीं हैं और कोई साधन नहीं हैं....

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : ओन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, सभापति महोदय, अभी सदन के सामने प्रश्न तो केवल यह है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय या नहीं, लेकिन अब फिर बिल पर डिस्कशन शुरू किया जा रहा है, इस पर विचार किया जाय ! केवल प्रश्न यह था कि सलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय ? जो प्रस्ताव मंत्री महोदय ने रखा कि इसे सलेक्ट कमेटी को भेजा जाना चाहिये उस प्रस्ताव पर वाद-विवाद है या युनिवर्सिटी बिल रखा है उस पर वाद-विवाद किया जा रहा है ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य शायद सभी बातों पर प्रकाश डाल रहे हैं कि क्यों दिया जाय।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : वे विरोध नहीं कर रहे हैं।

श्री सभापति : What is your point of order ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : माननीय सदस्य इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करने के विरोध में नहीं हैं।

श्री सभापति : Please continue.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं बात कह रहा था, खास करके यह पहले से महसूस कर रहा हूँ, दूसरी युनिवर्सिटी की चर्चा चल रही थी उस समय महसूस कर रहा था, फिर भी क्योंकि आपने नहीं दिया, खर्चे के बारे में बात नहीं आई इसलिये सोचा सबसे पहले प्रवर समिति को भेज दिया उससे पहले क्या विचार करते ? सबसे पहले यह विचार करना है कि दूसरी युनिवर्सिटी हो या नहीं ? इस पर विचार नहीं करेंगे तो क्या खर्चा होगा, क्या अर्थ पड़ेगा, क्या नहीं, यह बहुत अहम सवाल है। मैं जानता हूँ दोनों ही बिल किस प्रकार एक साथ आए। ऐसा मालूम पड़ता है कि जिद् चल रही है। उदयपुर में बन गई, जोधपुर में बनी नहीं। हम उदयपुर की जनता से कहेंगे कि बिल लाया गया है, युनिवर्सिटी बन रही है। उधर जोधपुर वाले कहेंगे कि हमने भी बिल रख दिया है, युनिवर्सिटी बननेवाली है। इस प्रकार जिद् का सवाल नहीं आना चाहिये। मैं तो यह महसूस करता हूँ कि सलेक्ट कमेटी के बारे में सोचते हैं उससे पहले काफी गहराई से सोचना चाहिये। अध्यक्ष महोदय की तरफ से हो गया मैं उसको मानता हूँ परन्तु मैं इस चीज का हामी हूं कि अगर कोई सलेक्ट कमेटी में जाता है, तो उसके पहले उसमें वित्तीय ज्ञापन होना चाहिए, उसके खर्च के सम्बन्ध में जानकारी होनी चाहिए, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में कितना खर्च होगा, यह मालूम होना चाहिए।

(श्री मुरलीधर व्यास)

लाखों रुपया राजस्थान युनिवर्सिटी में गवर्नमेंट को देना पड़ता है, कई कई तरीकों से देना पड़ता है। अब दूसरी युनिवर्सिटी बनेगी तो उसको कितना रुपया देना पड़ेगा, तीसरी युनिवर्सिटी उदयपुर में बनेगी तो........

श्री सभापति : You are going beyond the scope......

श्री मुरलीधर व्यास : तो उसमें कितना खर्चा होगा, क्या होगा....

श्री सभापति : I believe the Hon'ble Member is going out of the scope of discussion.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं विरोध कर सकता हूँ, जो सलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रश्न आता है, उसका आप रूलिंग देते हैं तो मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं उसके अन्तर्गत ही बात कर रहा हूँ, जो सलेक्ट कमेटी के प्रश्न पर यहां पर चर्चा चल रही है, उस सलेक्ट कमेटी का ही विरोध मैं करता हूं और इस बिल का भी विरोध करता हूँ। इसमें जहां तक वैधानिकता का सवाल है मैं समझता हूं कि वैधानिक स्थिति को देखते हुए ही मैं अपने विचार रख रहा हूँ। अगर ये विचार वैधानिकता के खिलाफ हैं और सभापति महोदय की आज्ञा के अनुसार वैधानिक नहीं हैं तो मैं उस आधार पर बैठने के लिए तैयार हूं।

मैं ये सारी बातें इस आधार पर नहीं कहना चाहता, परन्तु ये जो परिस्थितियां हमारे राजस्थान की हैं और राजस्थान की हालत को जब हम देखते हैं, राजस्थान में छोटी छोटी चीजों को देखते हैं, छोटे छोटे टैक्सेज के बारेमें विचार करते हैं तो कहीं दस लाख के टैक्स लगा रहे हैं, पन्द्रह लाख का पैसेन्जर टैक्स लगा रहे हैं, और दूसरे टैक्स रखते हैं और एक करोड़ और कुछ लाख के टैक्स लगाते चले जाते हैं तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि ये टैक्सेज लगा रहे हैं तो उसके साथ साथ जो खर्च बढ़ रहा है उसमें कौन कौनसा खर्चा हमारे लिए उपयुक्त है। हमारी माली हालत को देखते हुए कितना कितना खर्चा हम कर सकते हैं? इसमें नहीं देखेंगे तो कभी कभी हवा में बात चली जायगी और अपने अपने आधार पर सोचेंगे कि चलो हमारे यहां यह काम हो जायगा, यह बन रहा है तो अच्छी बात है। फिर दूसरी जगह की जनता इसके लिए हैरान है क्योंकि उनके पास साधन नहीं हैं। तो जब राजस्थान की माली हालत खराब है तो इन सारी बातों को देखना चाहिये। मैं कम से कम इस बात का हामी हूं कि क्योंकि राजस्थान की माली हालत है उसको देखते हुए दूसरी युनिवर्सिटी का सुझाव है जिसके लिए बिल आ गया है, उसको सलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव आया है, उसके पहले मैं चाहता हूँ कि दूसरी युनिवर्सिटी के क्या क्या कॉन्सीक्वेन्सेज़ होंगे, कितना खर्चा पड़ेगा और उसका दस साल में, पांच साल में कितना लाभ हो सकेगा? हमारी योजना में साधन करना चाहते हैं प्राथमिक एजुकेशन के, बेसिक एजुकेशन के, मल्टी पर्पज एजुकेशन के, हायर सेकिन्डरी एजुकेशन के, लेकिन जहां मामूली गांव के अन्दर स्कूल खोलने के लिए कहा जाता है

(श्री मुरलीधर व्यास)

तो यह कहा जाता है कि साधन नहीं हैं। इसलिये आपको तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा कि जो राज्य एक गांव में प्राइमरी एजुकेशन के लिए स्कूल खोलने के लिए कहता है कि साधन के अभाव में नहीं कर सकते, वही राज्य सारे हिन्दुस्तान में राजस्थान का ढिंढोरा पीटने के लिए राजस्थान में एक युनिवर्सिटी नहीं तीन युनिवर्सिटीज़ बना रहा है। तो मैं समझता हूँ कि यह राजस्थान की जनता के ऊपर बड़ा भारी प्रहार है। राजस्थान की इस वस्तु-स्थिति को देखते हुए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति जनता के सामने रखें और इस बिल के साथ इसका ज्ञापन रखें कि इसके अन्दर कितना खर्चा होगा। ये सारी बातें रखें, सिर्फ एक प्रवाह में बहते हुए यह न सोचें कि टीक बात है, युनिवर्सिटी बन रही है। मेरा दावा है कि हायर एजुकेशन पर जो खर्चा हो रहा है वह बहुत ज्यादा हो रहा है। मैंने प्रश्न पूछा था कि मेडिकल के एक छात्र पर कितना खर्चा आता है तो उसका जवाब मिला था कि १,५००) रुपया खर्चा आता है। इंजीनियरिंग कॉलेज के एक लड़के के पीछे जो सरकारी खर्चा है वह भी इतना ही है। तो चाहे मेडिकल कॉलेज का छात्र हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र हो, चाहे वेटरनरी कॉलेज का छात्र हो, उसका औसत खर्चा १,५००) रुपया पड़ता है। १,५००) रुपया प्रत्येक छात्र पर खर्चा होता है, यह कमेटी की रिपोर्ट में दिया है। आप रिपोर्ट देखिये। तो हमारे यहां हायर एजुकेशन के ऊपर इतना खर्चा डाल रहे हैं और अब एक युनिवर्सिटी का प्रावधान रख रहे हैं और युनिवर्सिटी बनाते चले जा रहे हैं।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में हम प्राइमरी एजुकेशन के लिए यह चाहते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन अनिवार्य हो। अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा करके हम बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं। लेकिन जब प्राइमरी शिक्षा का प्रश्न आता है तो कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी हम मानते हैं कि अनिवार्य शिक्षा हर छात्र के लिए करेंगे, चौदह साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा हो जायगी। लेकिन इसके लिए पैसा कहां से आयेगा ? तो मैं सुझाव रखना चाहता हूं कि मेरा स्पष्ट दृष्टिकोण है कि राजस्थान में हायर एजुकेशन पर इतना खर्च नहीं करना चाहिये। आप समझ जाइये कि अगर यहां पर युनिवर्सिटी अच्छी नहीं है तो जिस विद्यार्थी को पढ़ना है वह दूसरी जगह भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। लेकिन आप राजस्थान में दो, तीन युनिवर्सिटीज खोल दें, पर राजस्थान की माली हालत ऐसी हो कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए आप एक कमरा नहीं बना सकते, बच्चों के लिये आप एक चटाई नहीं रख सकते, सर्दी में बच्चे सीमेंट के ऊपर बैठते हैं। इस प्रकार के सैकड़ों नहीं हजारों स्कूल मिलेंगे जहां बैठने के लिये चटाई तक नहीं है। तो एक ओर हमारी हालत यह है और दूसरी ओर हम इतना खर्च करते हैं तो मैं तो यह मानता हूँ कि राजस्थान एजुकेशन के क्षेत्र में इतना बढ नहीं गया है केरल के मुकाबले में, जहां १०० में से ६५ प्रतिशत लोग शिक्षित हैं, मैसूर और दूसरे प्रांत भी हैं जहां शिक्षित लोग इतने अधिक हैं। लेकिन

(श्री मुरलीधर व्यास)

जहां हमारे राजस्थान में पन्द्रह प्रतिशत लोग शिक्षित हैं, वहां दूसरी युनिवर्सिटी का सुझाव रखना चाहते हैं ! मैं मानता हूँ कि कभी कभी लोगों में लगातार इस तरह के विचार चलते हैं कि तुम यह ले लो, मैं यह ले लूं। लेकिन मैं इसका विरोध करता हूं और राजस्थान की वित्तीय स्थिति को देखते हुए दूसरी युनिवर्सिटी का जो सुझाव रखा है, उसके पहले एक वित्तीय ज्ञापन रखना चाहिए। इसके साथ ही हमारी सरकार को यह आश्वासन देना चाहिये कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में जहां कोई गांव के आदमी मांग करेंगे कि हमारे यहां स्कूल खुलना चाहिये तो उसको आप पहले मौका देंगे। हमारे यहां युनिवर्सिटी का इतना महत्व नहीं है जितना कि जो राजस्थान में गांव के लोग रहते हैं वे मांग करते हैं कि हमारे यहां प्राइमरी स्कूल खुलना चाहिए तो उसको खोलने का मैं समझता हूँ इसका महत्व दस गुना ज्यादा है। हमें इन दोनों बातों को तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिये। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में दूसरी युनिवर्सिटी की आवश्यकता नहीं है जितनी प्राइमरी एज्यूकेशन की आवश्यकता है। हमारे यहां प्राइमरी एजुकेशन आवश्यक है, इससे ही लोकतन्त्र आगे बढ़ सकता है। इन लब्जों के साथ जो बिल रखा है तथा जिस पर सलेक्ट कमेटी में भेजने की बात कह दी है, मैं उसका विरोध करता हूं। जब तक सरकार इसका पूर्णतया ज्ञापन प्रस्तुत नहीं करे, स्पष्टीकरण नहीं करे, इस आधार पर दूसरी युनिवर्सिटी का जो बिल है, उसका मैं विरोध करता हूँ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो कुछ तथ्य हाउस के सामने रखे, उन बातों को सुन कर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ क्योंकि शुरू में अपने भाषण में वे कहना चाहते थे कि बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द करने के प्रस्ताव का कोई विरोध नहीं करते, परन्तु बाद में यह महसूस हुआ....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : मैं उस पर बोला नहीं हूँ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : कि इस प्रस्ताव का वे शायद विरोध करना चाहते हैं। इस हाउस के सामने प्रश्न सिर्फ इतना ही है कि जो बिल जोधपुर युनिवर्सिटी का सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है उसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय या नहीं ? इस प्रश्न को मद्देनजर न रखते हुए वे कहने लग गये कि यह युनिवर्सिटी बिल क्यों पेश हुआ है, यह गलत लाया गया है, क्योंकि राजस्थान के कन्सोलिडेटेड फन्डस के ऊपर इसका बुरा असर पड़ेगा। इसलिये ऐसा बिल नहीं बनना चाहिये था। माननीय सभापतिजी, विपक्ष में बैठने वाले सदस्यों में से एक सदस्य तो ऐसे भी हमारे समक्ष मौजूद हैं। लेकिन सदन के ज्यादातर सदस्य इसका स्वागत करते हैं कि इस प्रकार का बिल आये और राजस्थान का विकास हो। परन्तु यह भी बात सदन के समक्ष उपस्थित हुई कि यह जो दूसरी युनिवर्सिटी स्थापित करने का बिल आया है यह ठीक नहीं है और ऐसा बिल नहीं आना चाहिये। हमारी सरकार को प्राइमरी एजुकेशन की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिये और हायर एजुकेशन के प्रति ध्यान नहीं देना चाहिये। यह बड़ी अजीब बात है।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

मैं समझता हूँ कि प्राइमरी एजुकेशन की ओर भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा और हायर एजुकेशन की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों साथ साथ चलेंगी। इसलिये ये जो माननीय सदस्य के विचार हैं, मेरे विचार में वे बिल्कुल ठीक नहीं हैं, उनको पॉलिसी को और उनकी पार्टी की पॉलिसी को देखते हुए जब वे बाहर बात करते हैं कि चारों तरफ विकास होना चाहिये और राजस्थान सरकार कुछ नहीं करना चाहती है परन्तु सदन में उनके मुंह से यह बात सुन कर मैं बड़ा हैरान हूँ कि कोई बिल आता है और हायर एजुकेशन के प्रति राजस्थान सरकार एक उन्नति का कदम बढ़ाना चाहती है तो उसके प्रति उनका विरोध है। तो यह तो राजस्थान सरकार का काम है कि कोई बिल रखे तो सारी बातों को देख कर बिल रखे। यह बिल भी सारी बातों को देख कर रखा गया है और इसमें यह साफ तौर से बता दिया गया है कि राजस्थान के कन्सोलिडेटेड फन्डस के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़नेवाला है। इसके बाद भी माननीय सदस्यों ने पुरजोर शब्दों में कहने की कोशिश की कि राजस्थान पर इसका बुरा असर पडनेवाला है। पब्लिक पर ज्यादा भार होगा इसलिये इस बिल को नहीं लाना चाहिये था। परन्तु सभापति महोदय, मैं इस बात का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं और मेरे विचारों से, किसी भी सदन के माननीय सदस्य का विचार ऐसा नहीं होगा कि इस प्रकार के बिल सदन के समक्ष प्रस्तुत नहीं करें कि जिससे स्टेट पर वजन पड़े। परन्तु फिर भी स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से इसका कर दिया जावेगा। दूसरी युनिवर्सिटी के बारे में कल से वाद-विवाद हो रहा है। यह बड़ा महत्वपूर्ण बिल है। इसको सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द अवश्य करना चाहिये। यह प्रवर समिति में भेजने की बात है, यह बड़ी स्वागतपूर्ण है। मेरे खयाल से सभी इस पर सहमत होंगे।

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित (सीकर) : सभापति महोदय, जोधपुर युनिवर्सिटी के लिये जो बिल हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ है और उसको प्रवर समिति को भेजने का जो प्रस्ताव रखा गया है उसके बारे में कुछ आपत्तियें उठाई गई हैं। उस विषय पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव जोधपुर में युनिवर्सिटी के लिये रखा गया है वह रेजिडेन्शियल युनिवर्सिटी का है, एफिलियेटिंग युनिवर्सिटी का नहीं है। युनिवर्सिटी जो बनाई जा रही है वह ऑटोनोमस बोर्ड होगी। इससे हमारे स्टेट पर कोई बोझ नहीं होगा; ये दोनों बातें हमें बता दी गई हैं। इससे हमें डरने की कोई बात नहीं है। हमारे देश में, राजस्थान में नई नई युनिवर्सिटीज बनें और बच्चों को शिक्षा दी जावे।

रही बात केरल के शिक्षा के मुकाबले में शिक्षा की। केरल में, यह कहा गया है कि वहां पर एक ही युनिवर्सिटी है। मैं यह कहूंगा कि केरल शिक्षा के मामले में इतना आगे बढ़ा हुआ है और हमारा राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ है। इसके अलावा केरल का एरिया इतना बड़ा नहीं है और हमारा राजस्थान बहुत दूर दूर फैला हुआ है। जब हमारे यहां शिक्षा बहुत नगण्य है तो हमें शिक्षा की सुविधाओं को अधिक बढ़ाने में

(श्री स्वरूपनारायण पुरोहित)

किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होना चाहिये। हमारे यहां पर जितनी अधिक शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध हो सकें दी जावें। खर्चे का प्रश्न है, इसके लिये जोधपुर युनिवर्सिटी का बिल है उसमें यह बताया गया है कि यह ऑटोनोमस यूनिट होगी और इसलिये इसके खर्चे का कोई असर हमारी स्टेट पर नहीं पड़ेगा। इसलिये इसके लिये हमें चिन्तित होने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

दूसरी युनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की है। यह उदयपुर की है। इसके लिये हमें खुशीहोनी चाहिये कि हमारे यहां टैक्निकल युनिवर्सिटी है अब हमारे यहां तीन यूनिवर्सिटीज़ हो जावेंगी। एक जयपुर में एफिलियेटेड और दूसरी जोधपुर में जो होगी वह रेजिडेन्शियल होगी और तीसरी उदयपुर में एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी होगी। मैं समझता हूँ कि राजस्थान में इससे बहुमुखी उन्नति होगी और मेरे खयाल से इसका किसी को विरोध नहीं करना चाहिये और जब इसको प्रवर समिति के पास भेजा जा रहा है तो अगर कोई कमी होगी तो वह भी दूर की जा सकती है। अब प्रश्न यह आया कि पहले ही यह प्रस्ताव क्यों लाया गया? मेरा खयाल है कि यह इसलिये लाये कि हाउस का सेन्स पहले ही जान लिया गया है। इसलिये इसको प्रवर समिति के समक्ष पेश करने का प्रश्न आया है। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

अब रहा सवाल दूसरी शिक्षा के लिये और प्राइमरी स्कूलों के लिये। मैं यह कहूँगा कि युनिवर्सिटीज़ के कायम होने से दूसरी प्राइमरी स्कूलों को कोई बाधा नहीं पहुंचेगी और मुझे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती है। हमारे यहां डॉक्टरों की, इंजीनियरों की कमी को हम महसूस कर रहे हैं। हमारे यहां टैक्निकल हैन्ड्स की कमी है और हम इस कमी को महसूस कर रहे हैं। इसलिये उनकी पूर्ति की जानी चाहिये और इसके लिये पहले ही खर्चे का प्रश्न उठाना मेरे खयाल से उचित नहीं है। मैं यह समझता हूं कि हमारे यहां टैक्निकल विषयों में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेन्ट्स शिक्षित होने चाहिये ताकि वे हमारे देश की उन्नति में, देश की समृद्धि में ज्यादा से ज्यादा योग दें। एक तरफ हम इन्डस्ट्रीज़ को बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी तरफ हम यह चाहते हैं कि बेसिक शिक्षा की उन्नति हो। हम यह चाहते हैं कि सेकन्डरी और युनिवर्सिटी एजूकेशन को हमें पूरा विकास का मौका देना चाहिये ताकि हमारे उद्योगों को वे मजबूत बनायें। यही मेरा निवेदन है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : सभापति महोदय, अभी जो चर्चा हमारे यहां हो रही है वह राजस्थान में युनिवर्सिटी कायम करने के बारे में और आज दो बिल हमारे सामने दोनों युनिवर्सिटियों के लिए पेश हुए हैं। जहां तक अभी बीकानेर से आनेवाले माननीय सदस्य महानुभाव ने कहा कि यह दूसरा बिल जोधपुर युनिवर्सिटी के बारे में आया है उसका उन्होंने विरोध किया। मैं उनकी ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं और इसके पीछे कोई यह भावना नहीं है कि राजस्थान का विकास नहीं होना चाहिये। परन्तु इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है और वह यह है कि इस हाउस के अन्दर राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ,

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

वित्त मंत्री का बजट पर भाषण हुआ, अगर अध्यक्ष महोदय, दोनों भाषणों की तरफ माननीय सदस्य अपना ध्यान लगावें तो मालूम होगा कि राज्यपाल महोदय ने भी आज की शिक्षा प्रणाली (कॉलेजेज़ और युनिवर्सिटी की शिक्षा) का विरोध किया और उन्होंने कहा कि इस शिक्षा में हमें परिवर्तन करना चाहिये। इसके साथ साथ वित्त मंत्रीजी ने तो यहां तक कहा है कि हमारी वर्तमान शिक्षा के कारण नवयुवकों के चरित्र बिगड़ते जा रहे हैं और उनमें अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है और इसके साथ साथ हमारे प्रान्त में जो भी विद्यार्थी निकलते हैं वे लोग इधर उधर नौकरी के लिये मारे मारे फिरते हैं। जहां इन दो बड़े नेताओं के भाषण हमारे इस सदन में हो चुके हैं और वे भाषण राज्य सरकार की नीति से सम्बन्ध रखते हैं। इन दोनों भाषणों में हमारे स्टेट के बड़े लोगों ने कहा कि जो एजूकेशन चल रही है उसमें परिवर्तन करना है। पर राजस्थान की सरकार, उन्होंने जो कुछ कहा है, उसके खिलाफ करना चाहती है। आज अगर आप यह कहें कि हमको इन्जीनियरिंग कॉलेज ज्यादा खोलने हैं, मेडिकल कॉलेज ज्यादा खोलने हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज ज्यादा खोलने हैं या इसी तरह की टैक्निकल शिक्षा देने के लिये ज्यादा से ज्यादा कोई शिक्षण संस्थाओं का निर्माण करना है तो यह बात मानी जा सकती है, पर युनिवर्सिटी के लिये फिजूल प्रशासनिक खर्चा बढ़ाया जावे, यह कोई उपयुक्त बात नहीं होगी। इसलिये मैं बहुत अदब से अर्ज करना चाहता हूँ कि आज जो राजस्थान में शिक्षा की पद्धति है उस पर ध्यान दें। मैं छोटे गांवों से आता हूँ। आज गांवों की प्राइमरी स्कूलों में जो हालत है वह यह है कि तीन, चार आने की पाटी बच्चों को उपलब्ध नहीं करा सकते। युनिवर्सिटी में प्रति वर्ष कितना खर्चा होता है? जहां पैर नहीं वहां सिर की बात करने लग जायं, यह सही नहीं है। आज जितने हायर सेकेन्डरी स्कूल्स खोले हैं उनमें ऐसे भी हैं जिनमें दो, दो लड़के पढ़ते हैं और एक लड़का भी पास नहीं हुआ। जहां मिडिल स्कूलों व हायर सेकिन्डरी स्कूलों का ऐसा हाल है वहां युनिवर्सिटी खोलें, कहां से स्टुडेन्ट्स लायेंगे? जब हमारी जडें मजबूत नहीं हैं, नीचे से स्टुडेन्ट्स नहीं आयें तो युनिवर्सिटी के लिये लाखों, करोड़ों रुपया खर्च करने की बात करना उपयुक्त नहीं है।

महात्मा गांधी ने जो बेसिक एजूकेशन के लिये कहा था उसके सम्बन्ध में यदि राजस्थान सरकार के सामने कोई स्कीम हो, उस तरह की कोई स्कीम रखी जाती तो हम आपकी तारीफ करते, उस स्कीम का समर्थन करते, पर इस तरह की शिक्षा की युनिवर्सिटी की, आपके प्रदेश के हैड हैं उन्होंने खिलाफत की और उस पद्धति में परिवर्तन की मांग की, उस तरह की युनिवर्सिटी के लिये बिल रखा जाय तो उसका जरूर विरोध किया जाना चाहिये। ऐसी युनिवर्सिटी बनाइये कि जिसमें हमारे यहां के लोग क्लर्क नहीं बन कर आर्टिस्ट्स बन कर निकलें, टैक्निशियन्स बन कर निकलें, न कि उदरपूर्ति के लिये बी. ए., एम. ए. की डिग्री प्राप्त करने के बाद भी नौकरी की तलाश में उन्हें इधर से उधर सारे प्रान्त में चक्कर लगाने पड़ें।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, शिक्षा)

(श्री परसराम मदेरणा)

जैसा कि आप कह रहे हैं उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये इसे स्थापित किया जा रहा है।

श्री उमरावसिंह (ढाबरिया) : इस तरह की युनिवर्सिटीखोलने के लिये पहले टैक्निकल कॉलेज नहीं खोलेंगे तब तक इस तरह की युनिवर्सिटी काम नहीं कर सकती। जयपुर में युनिवर्सिटी है। मैं अच्छी तरह कह सकता हूं कि इस युनिवर्सिटी में सबजेक्ट्स पूरे नहीं हैं जो राजस्थान जैसे प्रदेश की युनिवर्सिटी में होने चाहिये। वहां इस युनिवर्सिटी में कॉलेज पूरे नहीं हैं, कॉलेजों के लिये बिल्डिंगें पूरी नहीं फिर एक यूनिवर्सिटी को नहीं चला सकते वहां पर दूसरी यूनिवर्सिटी बनाने की बात करें इसमें सिवाय राजनैतिक दांव पेच के दूसरी बात नहीं हो सकती। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूँ कि जहां राजस्थान की जनता पर टैक्सेज का भार बढ़ाते हैं एक-एक, दो-दो पैसा लोगों से लेकर लाखों, करोड़ों रुपया जनता की गाढ़ी कमाई का इकट्ठा करते हैं, इन बातों को खयाल में नहीं रखते हुए उस पैसे को इस तरह खर्च करें तो उचित नहीं। यह पैसा ठोस कामों में लगाना चाहिये, विकास के कार्यों में लगाना चाहिये। प्राइमरी एज्यूकेशन में सुधार करने के लिये सरकार एक पाई भी खर्च करने को तैयार नहीं है। इसके विपरीत इस तरह की युनिवर्सिटी के लिये लाखों, करोड़ों रुपया खर्च करने को तैयार है! आज दुनिया के दूसरे देशों में सबसे ज्यादा जोर नर्सिंग स्कूलों पर, चिल्डर्न एज्यूकेशन पर दिया जाता है पर राजस्थान सरकार इसके लिये एक पाई भी खर्च नहीं करती। एक भी नर्सरी स्कूल राजस्थान में नहीं, सिवाय इसके कि समाज कल्याण बोर्ड बना दिया। वह कोई नर्सरी स्कूल चलाता है व कुछ नर्सरी स्कूल को एड देता है और वह भी १,५००) रु० से ज्यादा एड नहीं देता। छोटे-छोटे बच्चे दो से ५ साल के हैं उनके लिये नर्सरी स्कूल्स खोल कर उनकी अच्छी तन्दुरुस्ती, अच्छा दिमाग नहीं बनायेंगे तब तक आपको उच्च शिक्षा के लिये अच्छे स्टुडेन्ट्स मिल जायेंगे यह असंभव है। इसके लिये हमें शुरू से छोटे बच्चों के दिमाग को ठीक बनाना होगा, उनकी तन्दुरुस्ती को ठीक करना होगा। हमारे देश के एज्यूकेशन मिनिस्टर हैं जो राजस्थान के हैं, उनको डॉक्टरेट चिल्ड्रन एज्यूकेशन पर मिली। सरकार को चाहिये कि नर्सरी स्कूलों का प्रबन्ध करे, बच्चों की तन्दुरुस्ती को ठीक रखने के लिये उनको दूध पिलाने का इन्तजाम किया जाय। आपने गये साल के बजट में कहा कि प्राइमरी स्कूलों में एक टाइम का भोजन देंगे पर आज के बजट में इसके लिये कहीं नाम तक नहीं था। जहां बच्चों को दूध व एक टाइम का भोजन नहीं दे सकते वहां हायर एज्यूकेशन के लिये आपको लाखों, करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है क्योंकि इनमें सब बड़े बड़े शहरों के लड़के पढ़ते हैं। युनिवर्सिटी में छोटे छोटे गांवों के कितने लड़के पढ़ते हैं? देखा जाय तो १० परसेन्ट लोग शहरों में रहते हैं इनमें ज्यादा शहरों के लड़के आते हैं। ६० प्रतिशत के लोग गांवों में रहते हैं। वहां कोई स्कूल खोलने की बात आती है, बिल्डिंग बनाने की बात आती है तो २।३ हिस्सा वहां की जनता से मांगा जाता

Page No. 72

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

है और १।३ हिस्सा सरकार देती है। यह हमारे गांवों की हालत है जहां कि राजस्थान की ६० प्रतिशत जनता रहती है। शहरों के लिये इस प्रकार की कोई शर्त नहीं, शहरों के लड़कों को पढ़ाने के लिये लाखों रुपया खर्च करने को सरकार तैयार है। हमारा प्रान्त एज्यूकेशन में पिछड़ा हुआ प्रान्त है ....

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): Mr. Chairman, Sir, I think our debate is not within the scope of the Bill The question before the House is whether the Bill be referred to the Select Committee or not ?

श्री उमरावसिंह डाबरिया : यह बात नहीं है, जिसका कि मैं समर्थन कर रहा हूँ। इस बिल को प्रवर समिति में भेजे जाने के प्रस्ताव पर बोलने के लिये और इस बिल का विरोध किये जाने के सम्बन्ध में भी अध्यक्ष महोदय ने इजाजत दे दी है। इसलिये मैं इस बिल का विरोध कर रहा हूँ और कहना चाहता हूँ कि जहां कहते हैं कि राजस्थान एज्युकेशन में पिछड़ा हुआ प्रान्त है, हमारे यहां एज्युकेशन कम है तो आप पहले इस बात की खोज कीजिये कि हमारे यहां पहले कौनसी चीज करनी चाहिये। हमको पहले पैर मजबूत करने हैं या सिर मजबूत करना है। हम कोई भी मकान बनाना चाहते हैं तो पहले उसकी नींव को मजबूत बनायेंगे तभी हम उसकी ऊपर की मन्जिल को ठीक रख सकते हैं, नींव मजबूत होगी तो कितनी ही मन्जिल ऊपर ले जा सकते हैं अगर नींव ही कमजोर हुई तो सारा मकान ढह जायगा। इसलिये हमें सबसे पहले नर्सरी एज्यूकेशन पर, फिर प्राइमरी स्कूलों पर, फिर मिडिल स्कूलों पर, फिर हायर सेकिन्डरी स्कूलों पर, फिर कॉलेजेज पर जोर देना चाहिये, इनको उन्नत करना चाहिये फिर युनिवर्सिटी बनाइये। तब तो सारा का सारा प्लानिंग चल सकेगा। सबसे पहले जड़ को मजबूत नहीं करना चाहते हैं, नींव को मजबूत नहीं करना चाहते हैं तो यह काम चलनेवाला नहीं है।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि पंचायत समितियों में प्राइमरी स्कूलों को दिया है, उनको जिस हालत पर छोड़ रखा है, उसके लिये निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूलों को, मिडिल स्कूलों को, हायर सेकिन्डरी स्कूलों को नॉन प्लानिंग ढंग से चलाते हैं, इनके लिये सारे राजस्थान में प्लान बना कर इन स्कूलों को चलाना है। यह करने के बाद ही ऐसी युनिवर्सिटी ज्यादा से ज्यादा खोलें तो कोई ऐतराज नहीं है।

(३. ० म. प.)

इस प्रान्त का विकास युनिवर्सिटी से नहीं होगा। विकास तो जब ही हो सकता है जब आप राजस्थान के जितने भी रहनेवाले लोग हैं उनको खाने को, तन ढकने को कपड़ा और रहने को मकान दें। जितने गली गली में फिरनेवाले बेकार लोग हैं उनको काम दे देंगे तब ही विकास होगा। सिर्फ नाम करने से विकास नहीं होता। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पहले छोटी छोटी जो शिक्षा की संस्थायें हैं उनको मजबूत करना चाहिये और उसके बाद ही जाकर कोई युनिवर्सिटी खोलनी चाहिये। एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी का जहां तक

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

सवाल है राजस्थान में उसका कोई विरोध नहीं कर सकता। वहां जो लड़के जावेंगे वे टैक्निकल शिक्षा लेकर जावेंगे और उनसे विकास होगा, इसके लिए तो कोई विरोध नहीं है। लेकिन जहां तक राजस्थान में दूसरी युनिवर्सिटी और खोलना चाहते हैं, जब कि ऑलरेडी राजस्थान में एक है, उसको तो पहले मजबूत बना दीजिये और फिर आप दूसरी खोलिये, उसमें कोई हमें ऐतराज नहीं है।

श्री सभापति : श्री मुक्तिलाल मोदी।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : सभापति महोदय, इस हाउस में तीसरी युनिवर्सिटी के बारे में विचार हो रहा है। इस बिल को सलेक्ट कमेटी को भेजा जाय, यह हाउस में आया है। परन्तु इस हाउस को देखना यह चाहिये कि राजस्थान और उसके अलावा और दूसरे प्रान्त हैं हिन्दुस्तान के, उनके मुकाबले में राजस्थान जिस ढांचे पर चल रहा है वह कैसे चल पायेगा। हिन्दुस्तान दूसरे कन्ट्रीज यहां से कर्जा लेकर तरक्की कर रहा है। दूसरे कन्ट्रीज़ में कितनी युनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं? उन कन्ट्रीज़ में नीचे के स्तर से लेकर ऊपर के स्तर तक आगे बढ़ाया है शिक्षा को........

श्री सभापति : माननीय सदस्य के भाषण का विषय क्या है?

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): रूस का कह दीजिये सब झगड़ा मिट जायगा।

श्री सभापति : Continue please.

श्री मुक्तिलाल मोदी : अभी तो भूमिका बनाई है। मेरा कहने का मतलब यह है कि युनिवर्सिटी आप बनाते हैं, लेकिन युनिवर्सिटी के अन्दर जो रुपया खर्च होगा वह बाहर से कर्जा........

श्री निरंजननाथ आचार्य : यूनियनसिटी नहीं, यह युनिवर्सिटी है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : आप नाराज क्यों होते हैं?

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपस में बात न करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, मैं प्रार्थना करूंगा कि एक माननीय सदस्य दूसरे माननीय सदस्य को रिडिक्यूल करने की कोशिश न करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : आप लोग बीच बीच में क्यों बोलते है? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह बिल हाउस में आना नहीं चाहिये था और इसलिए नहीं आना चाहिये था कि हिन्दुस्तान.......

श्री सभापति : आप प्रवर समिति में भेजने के विरुद्ध हैं?

श्रीमुक्तिलाल मोदी : हां, विरुद्ध हूं। क्योंकि फॉरिन कन्ट्रीज़ के अन्दर आप देखिये कि एक युनिवर्सिटी में सब सबजेक्ट्स हैं और कॉलेज जरा बड़े बड़े कस्बों में बनाये जाते हैं। जब तक कि कॉलेज राजस्थान में बढ़ न जांय, एजुकेशन राजस्थान की ज्यादा बढ़ न जाय युनिवर्सिटी की अधिक आवश्यकता नहीं है।

Page No. 74

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

क्योंकि राजस्थान में जब तक एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा ५० परसेन्ट होगी........

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : १५ परसेन्ट है, भाई।

श्री मुक्तिलाल मोदी : राजस्थान में शिक्षा धीरे धीरे चल कर दस-पन्द्रह वर्षों में बढ़ेगी। राजस्थान सरकार ने जितना प्रयत्न इन गत दस वर्षों में किया है और उससे एजुकेशन बढ़ी भी है, लेकिन जिस तरह की एजुकेशन राजस्थान में बढ़नी चाहिये उस तरह की एजुकेशन राजस्थान में बढ़ी नहीं है। ऐसी हालत में नीचे की शिक्षा, प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकिन्डरी और कॉलेज इन चार चीजों को ऊंचे आधार पर राजस्थान सरकार पूरी तरह नहीं ले जा सकती और ले जा सकने की पूरी स्थिति में नहीं है। यह कहा जाय कि युनिवर्सिटी के लिए बजट में से खर्चा नहीं होगा। मेरे ऊपर तो खर्चा नहीं होगा; लेकिन लड़कों पर तो खर्चा होगा। आखिरकार युनिवर्सिटी का खर्चा चलेगा तो सही। कागज से तो नहीं चल जायगा। बिल रख दिया और खर्चा चल गया, यह तो हो नहीं सकता। वाइस-चान्सलर रहेगा, रजिस्ट्रार रहेगा, दूसरा–युनिवर्सिटी का स्टाफ रहेगा, आखिर बिल्डिंग भी बनेगी। जिस तरह से अगर घर बसाया जाता है तो पूरी तरह से बसाया जाता है। मेरी तरह से तो दूसरे है नहीं कि मैं रोटी भी कहां खाता हूं, दूसरी जगह रह जाता हूँ और असेम्बली से पैसा ले लिया।

तो ७५ परसेन्ट एजुकेशन राजस्थान में हो जाय तब अच्छी से अच्छी युनिवर्सिटी बनानी चाहिये। लेकिन जब तक राजस्थान में पूरी तरह से एजुकेशन नहीं है और दस वर्षो में जिस तरह से हुई है तो इस पर राजस्थान सरकार को विचार करना चाहिये कि जब एजुकेशन राजस्थान में पूरी तरह हो जाय तब जाकर युनिवर्सिटी कायम करे, नहीं तो नहीं करे।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : सभापति महोदय, अभी सदन में दूसरी युनिवर्सिटी सम्बन्धी बिल पेश किया गया है और उस पर चर्चायें हो रही हैं। वैसे बिल के आखिरी पेज पर जो शब्द अंकित किये गये हैं.वे बड़े अच्छे हैं, सुन्दर हैं, पढने से अच्छे मालूम होते हैं और मतलब भी अच्छा मालूम होता है :

"Unlike other States, there is at present only one University in the Rajasthan State, i. e. the University of Rajasthan, with Headquarters at Jaipur, which is a teaching-cum-affiliating University."

अब इससे कुछ देर पहले हम यहां पर एक बिल, एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी से सम्बन्धित एक प्रवर समिति के सम्मुख पहुँचा चुके हैं, तो यह प्रश्न हल हो जाता है कि दूसरी युनिवर्सिटी का प्रश्न आ गया था और यह तीसरा अब हमारे सामने है। जनता के सही माने में जो विचार हैं वे माननीय सदस्य बतला रहे थे जो उसके द्योतक हैं, उसका रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिम्ब है जनता का। हर जगह आवाज सुनने को मिलेगी। तुरत–फुरत में बिल पास करवाना चाहें तो यह हमारे लिये सही बात साबित नहीं होती है। रूल्स और रेगुलेशन्स प्रवर समिति को सुपुर्द करने से पहले इसको सर्कुलेट करा लिया जाय कि जनता इस बारे

(श्री अब्दुल जब्बार)

में अपनी राय प्रकट करती है........

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, माननीय सदस्य इस राय के हैं कि इसको सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय तो एक मुद्दा तो यह है कि इसको सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय या नहीं और दूसरा मुद्दा यह उठाया जा सकता है कि इसको पब्लिक ओपीनियन के लिए सर्कुलेट किया जाय या नहीं ? इन दो मुद्दों के अलावा और कोई बहस नहीं हो सकती । मैं यह रखना चाहता हूँ ।

श्री सभापति (राव श्री नारायणसिंह) : The discussion of the Hon'ble Member is quite within the limit. Though it might digress itself in certain points, it is quite within the limit. There is no point of order in this.

श्री अब्दुलजब्बार : इस प्रकार से इस बिल को पब्लिक की राय जानने के लिये प्रसारित किया जाय....

श्री हरदत्तसिंह : सभापति महोदय, आपकी रूलिंग का आदर करते हुए मैं आपका ध्यान रूल ६७ के २ (बी) की तरफ दिलाना चाहता हूँ । वह इस प्रकार है :

"(b) if the member-in-charge moves that the Bill be referred to a Select Committee of the House any member may move as an amendment that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by a date to be specified in the motion."

इसके अनुसार इस पर बहस नहीं की जा सकती ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : सभापति महोदय, इसके सम्बन्ध में....

श्री सभापति : माननीय सदस्य ने जिस रूल ६७ का हवाला दिया है अगर आप शुरू से पढ़ेंगे तो इससे आपको विदित होगा कि इस स्टेज पर बिल के प्रिन्सीपल्स पर साधारणतया प्रकाश डाला जा सकता है । इस दृष्टि से आप कोई संकुचित दायरा नहीं बना सकते कि फलां वाक्य या फलां दायरे तक ही यह सीमित है । जहां कहीं भी मेम्बर दायरे से बाहर जाते हैं उनको आसन की ओर से टोक दिया जाता है और साधारणत: सिद्धान्त के ऊपर ही प्रकाश डालते हैं ।

श्री हरदत्तसिंह : रूल ६७ के २ (बी) में खास तौर से निर्देश किया गया है कि अगर मेम्बर इन्चार्ज बिल मूव कर दे कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, उस पर अगर ऐतराज करना हो तो उसके लिये (बी) क्लॉज है जिसके मुताबिक अमेन्डमेन्ट किया जा सकता है कि यह बिल जनमत के प्रसार के लिये भेजा जाय । चूंकि इस प्रकार का कोई अमेन्डमेन्ट नहीं है वैसी हालत में इस पर बहस नहीं हो सकती तो ऐसी हालत से केवल एक ही मुद्दा हो सकता है और वह यह है कि इसे सलेक्ट कमेटी में भेजा जाय....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : यह जो संशोधन है....

सभापति : Hon'ble Minister.

Page No. 76

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, शिक्षा) : सभापति महोदय, बिल को सलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उस पर निम्बाहेड़ा से आनेवाले माननीय सदस्य को चाहिये था कि वे इस पर दूसरा अमेन्डमेन्ट का प्रस्ताव प्रस्तुत करते। जैसे यह प्रस्ताव है कि बिल पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजा जाय लेकिन वैसा ही उन्होंने इस प्रकार कोई अमेन्डमेंट प्रस्तुत नहीं किया। इसलिये उनकी जो डिबेट है वह इर्रिलेवेन्ट है। इस तरह का पोइन्ट इस स्टेज पर उठ नहीं सकता।

श्री मुरलीधर व्यास : सभापति महोदय, यह बिल टेबल ऑफ दी हाउस पर पहले आ चुका है और उस पर माननीय मन्त्री महोदय ने संशोधन रख दिया है, वैसी हालत में अब हम क्या रखें, तो वैसी हालत में उसी पर बहस चल सकती है। संशोधन जो सलेक्ट कमेटी का आया है उसी पर यह बहस हो रही है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि प्रवर समिति का जो प्रश्न आया है उसमें यह हो सकता है कि यह प्रवर समिति को दिया जाय अथवा नहीं। साधारणतया बहस कुछ ऐसी चल रही है, कुछ मुद्दे ऐसे उठाये जा रहे हैं कि यह प्रवर समिति को क्यों दिया जाय, इस मुद्दे को देने की आवश्यकता नहीं, इत्यादि, इत्यादि। लेकिन निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य दूसरे ही पोइन्ट पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। मेरा खयाल यह है कि उनको अपनी बहस को प्रवर समिति में भेजने तक ही सीमित रखनी चाहिये। इसके सम्बन्ध में जो कुछ वे कह रहे हैं वे उसके मेरिट्स, डी-मेरिट्स को लेकर ही कह रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि इसको ज्यादा न दोहराते हुए वे अपने भाषण को इसी तक सीमित रखें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इसमें प्रश्न यह पैदा होता है....

श्री सभापति : अब व्यवस्था दी जा चुकी है माननीय सदस्य प्रारम्भ करें।

श्री अब्दुलजब्बार : इस बिल को सलेक्ट कमेटी में भेजा जाय या नहीं, इस बात को सोचने से पहले हमें देखनी होगी हमारे यहां के विद्यार्थियों की काबलियत, यहां की आर्थिक हालत। इस बारे में भी कुछ विचार करना चाहिये। इसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि यहां के विद्यार्थी युनिवर्सिटी के अभाव में कितने बाहर जाते हैं, क्या वे जयपुर में जो युनिवर्सिटी है उसमें शिक्षा नहीं पा सकते। हमारी यहां की युनिवर्सिटीज को फिल अप करने के लिये राजस्थान में विद्यार्थियों की संख्या पर्याप्त है या नहीं या राजस्थान में युनिवर्सिटी की बिल्डिंग का निर्माण होने के बाद क्या विद्यार्थी बाहर तो नहीं जायेंगे, यहां की आर्थिक स्थिति क्या है; ये सब ऐसे अन्दाजे हैं जिनको लगाया जाना चाहिये। हमारी पर केपिटा इनकम क्या है और उसको देखते हुए प्रति विद्यार्थी कितना खर्च हम कर सकते हैं? आज स्थिति यह है कि एक विद्यार्थी को मेडिकल कॉलेज में भरती कराने के लिये करीब ५००) रुपया खर्च आता है। आज हमारे देश का काश्तकार, मजदूर इस स्थिति के काबिल नहीं कि अपने लड़कों को ऊंची-ऊंची शिक्षा दिला सके और मैं तो यहां तक कह सकता हूं अगर कोई

Page No. 77

(श्री अब्दुल जब्बार)

साधारण वर्ग का आदमी इतनी ऊंची शिक्षा देता है तो वह रिश्वत लेता है, बेईमानी करता है, पैसा लेता है तभी जाकर वह इतनी ऊंची शिक्षा दिला सकता है । आज जो नैतिकता की बातें करते हैं, क्या कभी उन्होंने इस बारे में सोचा है कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है ? इस बारे में हमें देखना होगा कि कॉलेजेज से निकलनेवाले छात्र अपनी डिग्री पाने के बाद में कितने विद्यार्थी युनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं और उनमें से कितने बचते हैं जो राजस्थान से बाहर जाते हैं । इस प्रकार के फिगर्स मिनिस्ट्री ऑफ एज्यूकेशन से मिल सकते हैं । इसलिये जिस प्रकार मकान बनाने से पहले उसकी नींव खोदते हैं उसके बाद उसको भरा जाता है, उसके दरवाजे आदि लगाये जाते हैं यह सब इसलिये किया जाता है कि मकान में सब लोग जो उसमें रहना चाहते हैं उन सब को सुविधा मिले । आज इसी तरह से जहां हम नई युनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं तो हमें यह देखना होगा कि वहां विद्यार्थियों को क्या दशा रहेगी । आया एकदम से युनिवर्सिटी में दाखिला मिल जावेगा । नीचे की स्थिति यह है कि जैसा एक माननीय सदस्य, मैं जानता नहीं उनका चुनाव क्षेत्र का नाम, ने कहा कि हमारे गांवों में स्कूलें नहीं हैं । तो पहले प्राइमरी स्कूलें आप बनाएं, मिडिल स्कूलें और हाई स्कूलें बनावें और इसके बाद युनिवर्सिटी की बातें सोचनी चाहिये । आज यह हकीकत है कि अगर किसी जगह किसी गांव में प्राइमरी स्कूल है तो मास्टर नहीं है । स्कूल है, मास्टर भी है तो बच्चे नहीं हैं, बच्चे हैं तो स्कूल नहीं है, बिल्डिंग नहीं है । इस स्थिति में आज हमारा ग्रामीण क्षेत्र चल रहा है । आप उस तरफ ध्यान दीजिये पहले ।

श्री सभापति : The Hon'ble Member is just making repetitions and he is digressing from the main issue. He will please make it brief and come to the point.

श्री अब्दुलजब्बार : It is merely a point of principle, Sir, that actually such conditions are prevailing throughout Rajasthan and the Government is not paying sufficient attention towards the development of education.

तो सभापति महोदय, मेरा मकसद कहने का यह है कि जब....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह बात आई और हमसे सदन में यह राय चाही गई कि इसे सलेक्ट कमेटी में पहुंचाया जावे या नहीं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले हमें कम से कम इस पर विचार-मनन तो करना चाहिये कि किनके लिये कहां के लिये आप यह सोच रहे हैं, इसको किस तरह से सोचना है । The Select Committee is simply supposed to decide the facts and figures which have been laid down in the Bill. वह जो कुछ यह है उसी पर तो निर्णय आखिर वहां लेंगे । आज सलेक्ट कमेटी यह नहीं कर सकती कि राजस्थान की स्थिति को देखकर अपना डिसीज़न दे । केवल जो बिल में शब्द लिखे हैं उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है, कोई लीगल लेकुना रह गया है तो उसे

Page No. 78

(श्री अब्दुल जब्बार)

एड या ऑल्टर कर सकती है और तो कुछ नहीं कर सकती। तो आज सदन को यह सोचना है कि कमेटी के सामने क्या मुद्दे हों कि जिन पर वह विचार करे। तो इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि हमारी स्थिति इस समय ऐसी नहीं है कि युनिवर्सिटी का तांता बांधा जावे और प्रवर समिति का समय व्यर्थ ऐसे मुद्दे पर नष्ट किया जावे। वैसे फॉर्मेलिटी है, अच्छी बात है। उसे देख कर जो लेकुना लॉ का निकलेगा देखा जावेगा।

श्री सभापति : Hon'ble Minister-in-charge.

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, शिक्षा) : सभापति महोदय, सबसे पहले जो सुझाव जोइन्ट सलेक्ट कमेटी का आया उसे स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूँ। इसलिए कि उदयपुर में जो युनिवर्सिटी है वह सिंगल फैकल्टी है और उसका करेक्टर दूसरा है और जोधपुर में जो है वह मल्टीफैकल्टी युनिवर्सिटी होगी, उसका करेक्टर उदयपुर को युनिवर्सिटी से भिन्न है। तो दोनों करेक्टर में एक दूसरे से भिन्न होंगी। अब एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी को सलेक्ट कमेटी का जहां तक सवाल है, जैसा डिप्टी-मिनिस्टर एग्रीकल्चर का स्टेटमेंट था कि उस सलेक्ट कमेटी में एग्रीकल्चर एक्सपर्ट भी आमन्त्रित किये जावेंगे। अब उस कमेटी के इन एग्रीकल्चरल एक्सपर्टों की उपयोगिता इस जोधपुरवाली युनिवर्सिटी के लिए बननेवाली सलेक्ट कमेटी में कुछ भी नहीं है।

दूसरी बात और है, वह एक एग्रीकल्चरल और टैक्निकल युनिवर्सिटी है, जब कि जोधपुर वाली टीचिंग यूनिवर्सिटी है जो जनरल एजूकेशन के बारे में है। इसलिए दोनों का कैरेक्टर एक दूसरे से बहुत भिन्न है। तो जब कैरेक्टर अलग अलग है तो सदस्यों की एप्रोच और सुझाव भी भिन्न प्रकार होंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस पर ज्यादा इन्सिस्ट नहीं करेंगे और फिर रूल्स में भी प्रावधान है कि हर बिल पर अलग अलग कमेटी होनी चाहिये। मेरा भी यही माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जोधपुर युनिवर्सिटी के लिये अलग सलेक्ट कमेटी हो और उदयपुर की के लिये अलग। जहां तक एक पैटर्न का सवाल है या कॉमन ऑब्जेक्ट्स का सवाल है टीचिंग यूनिवर्सिटी और जनरल एजूकेशन की युनिवर्सिटी इण्डिया में बहुत सी है। उनके एक्ट्स और मोडल एक्ट्स के लिए निवेदन किया गया वह सब सदस्यों के सामने रहेगा। तो मैं नहीं समझता कि जोइन्ट सलेक्ट कमेटी की क्या ज्यादा उपयोगिता इसमें रहेगी। इसलिये मैं इस सुझाव को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

दूसरा सुझाव यह दिया गया कि सलेक्ट कमेटी के समय को १८ तारीख तक निर्धारित किया गया है, बहुत थोड़ा है। चेयरमैन महोदय, जो लेजिस्लेटिव बिजनेस रखा है वह २५ तारीख के बाद ३ दिन के लिये और है। सरकार का ऐसा खयाल है कि इस युनिवर्सिटी को हम अगले सेशन से–जुलाई, ६२से शुरू कर दें और इसी सेशन में इस बिल को पारित करने से यह हो सकता है। इसलिये जो इस महीने के आखिरी वीक में लेजिस्लेटिव बिज़नेस है उस वक्त हम सलेक्ट कमेटी की

(श्री परसराम मदेरणा)

रिपोर्ट यहां दे दें और तब उस पर यहां चर्चा हो सकेगी, इसलिये यह समय निर्धारित किया गया है। अगर इस समय में रिपोर्ट न दे सकेंगे तो मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि इस कमेटी के सदस्यों को पूरी स्वतन्त्रता होगी कि वे इस बिल पर चर्चा करें और अपने सुझाव दें और उस वक्त अगर समय की कमी हुई तो फिर बाद में अध्यक्ष महोदय द्वारा इसकी जो अवधि है समय की वह अवधि बढ़ाई जा सकती है। पर इस स्टेज पर अभी मैं मुनासिब यही समझूंगा कि १८ तारीख तक का समय काफी है और उसमें अगर बढोत्तरी की आवश्यकता पड़ी तो फिर बाद में चेयर से निवेदन किया जावेगा।

दूसरा जो प्रश्न उठाया गया वह फाइनेन्शियल इम्पलीकेशन के बारे में था और इस प्रश्न को उठाते समय प्राइमरी एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स पर काफी विस्तार से चर्चा हुई। सभापति महोदय, राजस्थान में शिक्षा की प्रगति पिछले दस-बारह सालों में बहुत वेग के साथ में हुई और जहां तक युनिवर्सिटी एजुकेशन के स्टेन्डर्ड को रेज करने का विचार है वहां हम उधर भी देखते हैं और दूसरी ओर प्राइमरी, मिडिल और हायर क्लासों के लिये भी स्टेन्डर्ड रेज़ करने की तरफ हमारा ध्यान है, इसके लिये भी हमने प्रावधान रखा है। आपकी मार्फत सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों को यह जानकारी देना जरूरी समझूंगा कि राजस्थान में प्राइमरी स्कूलों की संख्या हर साल सैकड़ों की तादाद में बढ़ती है और राजस्थान में अब........

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : संख्या कितनी है ?

श्री परसराम मदेरणा : संख्या की जानकारी ऑफ हैण्ड अभी मुझे नहीं है, बाद में दे सकूंगा। पर जो एजुकेशन का सर्वे किया गया था उससे हमें जानकारी मिली है कि राजस्थान में तीन सौ की आबादीवाले प्रत्येक गांव में प्राइमरी स्कूल खोली जा चुकी है। मिडिल स्कूलें १,६०० के लगभग हैं। हाई स्कूलें ६५० के आसपास हैं और साथ ही मैंने निवेदन किया कि कॉलेज....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, मैं जानना चाहता हूं कि कुल राजस्थान में प्राइमरी स्कूलें कितनी हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : अभी ऑफ हैण्ड जानकारी मेरे पास नहीं है, बाद में दे सकता हूँ।

श्री मुरलीधर व्यास : कुल गांव कितने हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : लगभग २२ हजार।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या सब में स्कूलें खुल चुकी हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : करीब १७ हजार खुली हुई हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने फरमाया

(श्री मुरलीधर व्यास)

३०० की आबादी वाले प्रत्येक गांव में खुल चुकी हैं तो फिर कितनी स्कूलें होनी चाहिये ?

श्री सभापति : I do not think a statistical reply is very necessary.

श्री परसराम मदेरणा : अगर आप चाहेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जावेगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कॉलेज के नीचे की शिक्षा में बराबर तरक्की हुई है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, नर्सरी स्कूलें कितनी हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : गवर्नमेंट की एक भी नहीं है, सारे राजस्थान में।

श्री परसराम मदेरणा : १५ स्कूलें हैं नर्सरी की।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : १५ ही गवर्नमेंट की हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : जी हां

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ये १५ स्कूलें बहुत हैं राजस्थान के लिये ?

श्री परसराम मदेरणा : आपने तो माना ही नहीं कि सरकार की हैं भी या नहीं। बढाने की हम कोशिश कर रहे हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ये गांवों में हैं या शहरों में ?

श्री सभापति : I do not think the Hon'ble Members will make it a Question Hour.

श्री परसराम मदेरणा : आप तो अभी यह कह रहे थे कि एक भी नहीं है, अब आप कह रहे हैं गांवों में है या नहीं हैं ? तो यह तो निश्चित तौर से नहीं बता सकता। पर १५ गवर्नमेंट की चल रही हैं और ज्यादा और भी बढ़ाने का प्रयत्न किया जावेगा। लेकिन चेयरमैन महोदय, जहां तक कॉलेज एजुकेशन का प्रश्न है राजस्थान में ६० कॉलेजेज हैं और उनमें करीबन ४५ हजार विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं। जब जयपुर युनिवर्सिटी को स्थापित किया गया था उस समय यह सिर्फ एफीलियेटिंग युनिवर्सिटी थी और उसके वर्किंग के दौरान में यह महसूस किया गया कि यदि हमें स्टेन्डर्ड ऑफ एजुकेशन को कायम रखना है और उसको बढ़ाना है तो उसको टीचिंग डिपार्टमेन्ट्स भी देने चाहिए। पहले युनिवर्सिटी को कुछ टीचिंग डिपार्टमेन्ट्स दिये और धीरे धीरे युनिवर्सिटी के पास अब १८ टीचिंग डिपार्टमेन्ट्स हैं और वह अलग अलग जगह पर हैं, कोई जयपुर में, कोई जोधपुर में और कोई उदयपुर में हैं। फिर यह सोचा गया कि टीचिंग का काम और एफीलियेशन का काम साथ साथ चल रहा है और एफीलियेशन के ज्यों ज्यों कॉलेजेज खुलते जा रहे हैं उनमें लड़कों की संख्या भी बढ़ रही है। उनके एग्जामिनेशन्स का भी प्रबंध करना पड़ता है और टीचिंग को भी देखना पड़ता है। इसलिए यह सोचा गया कि जोधपुर में एक टीचिंग युनिवर्सिटी स्थापित की जाये जो

(श्री परसराम मदेरणा)

कि एजुकेशन के दो सेक्टरों की ओर ध्यान दे रहे हैं, एक तो टीचिंग और दूसरा है रिसर्च, और उसका दायरा सीमित करके यह सोचा गया है कि यह टीचिंग युनिवर्सिटी रखी जाये और उसकी उपयोगिता राजस्थान में स्टेन्डर्ड ऑफ एजुकेशन के इम्प्रूवमेन्ट करने में ज्यादा सहायक हो सकेगी। इसलिए आपका यह कहना कि प्राइमरी स्कूल्स की कोस्ट पर युनिवर्सिटी खोल रहे हैं, यह गलत बात है। प्राइमरी स्कूल्स भी खोले जाते हैं, हायर सेकिन्डरी और कॉलेज भी खोले जाते हैं, शिक्षा के विस्तार के लिए....

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : पाइन्ट ऑफ इनफॉर्मेशन, सर, मंत्री महोदय इस बात का जवाब दें कि कितने विद्यार्थी हमारे यहां राजस्थान के मध्यप्रदेश और दिल्ली में जाकर पढते हैं ? गवर्नमेंट ने कभी भी इस तरफ ध्यान दिया है कि क्या कारण है कि विद्यार्थी राजस्थान में नहीं, बल्कि मध्य-प्रदेश और दिल्ली जाते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने यह निवेदन कर दिया है कि हमारे यहां करीब ६० कॉलेजेज हैं और उनमें ४५-हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं। अब कुछ विद्यार्थी बाहर क्यों गये हैं, तो इसका कारण यह हो सकता है कि वे अपनी सुविधाओं के लिए गये होंगे....

श्री अब्दुलजब्बार : इसका कारण भी तो होना चाहिए। इसका कारण तो फिर यही है कि हमारी सरकार लड़कों को कॉलेजेज में प्रोवाइड नहीं कर सकती है।

श्री परसराम मदेरणा : यहां पर सुविधा नहीं हैं, ऐसा नहीं है। इसके कोई और दूसरे कारण रहे होंगे। हो सकता है, उनके पेरेन्ट्स बाहर चले गये हों। मैं आपको एक बात कहूँ कि जब आप यह कहते हैं कि एडमिशन नहीं मिलता तो हमारी जोधपुर इन्जीनियरिंग कॉलेज का इतना स्टेन्डर्ड है कि वहां सिर्फ फर्स्ट क्लास ही एडमिशन पाते हैं, तो जो थर्ड डिविज़न वाले हैं वे गये होंगे और फिर अपनी अपनी सुविधायें देख कर गये होंगे।

श्री अब्दुलजब्बार : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मैं जिस हाई स्कूल में पढ़ा हूँ वहां एक लड़का जो फर्स्ट क्लास स्टुडेन्ट है वह मध्य प्रदेश में पढ़ा है, सिर्फ इसलिए कि उसके पास फैसिलिटीज़ नहीं थीं।

श्री परसराम मदेरणा : हो सकता है, किन्हीं कारणों से दूसरे प्रान्त में जाकर शिक्षा पाई हो। लेकिन अधिकांश विद्यार्थी ९५ फी सदी राजस्थान में शिक्षा पा रहे हैं। किन्हीं कारणों से ५ फी सदी विद्यार्थी बाहर गये होंगे और वे अपनी सुविधाओं के हिसाब से गये होंगे या फर्स्ट क्लास स्टुडेन्ट्स भी गये होंगे तो दूसरे कारणों से गये होंगे। मैं पूछना चाहूँगा कि क्या उसको एडमिशन नहीं मिला था जिसके कारण से वह बाहर चला गया ? हम शिक्षा के स्टेन्डर्ड को रेज़ करके दूसरी युनिवर्सिटी खोल रहे हैं। इसलिए यह बाहर जानेवाला तथ्य कोई युनिवर्सिटी में एडमिशन पोइन्ट ऑफ व्यू से या यहां सुविधायें नहीं हैं उससे मेल नहीं खाता है। उसकी निजी डिफिकल्टी हो सकती है, वह पारिवारिक कारण हो सकता है, फाइनेन्शियल हो सकता है या फिर और दूसरे कारण हो सकते हैं।

(श्री परसराम मदेरणा)

तो चेयरमैन महोदय, मैं कह रहा था कि जहां तक फाइनेन्शियल इम्पलीकेशन्स का प्रश्न है, इस प्रान्त में शिक्षा का विस्तार संतुलित तौर पर किया जाता है। पब्लिक एक्सचेकर का २५ परसेंट खर्च आज एजूकेशन पर हो रहा है।....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : Point of information Sir......

श्री सभापति : I would reguest the Hon'ble Members not to interrupt Hon'ble Deputy Minister's speech.

श्री गिरधारीलाल व्यास : अभी जैसा आपने फरमाया कि जयपुर युनिवर्सिटी एफीलियेटेड और रेज़िडेन्शियल दोनों है। तो सुविधा के लिहाज से जोधपुर को भी रेज़िडेन्शियल-कम-एफीलियेटेड युनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाया जाता जिससे कि सारा राजस्थान दो युनिवर्सिटीज़ में बंट कर सब स्टुडेन्ट्स की सुविधाजनक पढ़ाई हो सके ?

श्री परसराम मदेरणा : चेयरमैन महोदय, जहां तक फाइनेन्शियल इम्पलीकेशन्स का सवाल है, बजट में १ लाख रुपये की टोकन-ग्रान्ट का प्रोविज़न रखा है और यह प्रोवीज़न टुवर्ड्स दी युनिवर्सिटी फण्ड (towards the University Fund) रखा है, इसी युनिवर्सिटी के लिए। ज्योंही युनिवर्सिटी–ग्रान्ट–कमीशन ग्रान्ट देगा उसी अनुपात में इसको मैचिंग ग्रान्ट देनी पड़ेगी लेकिन टोकन–ग्रान्ट इसलिए रखी है कि नई युनिवर्सिटी खुलने के बाद युनिवर्सिटी-ग्रान्ट कमीशन कितनी ग्रान्ट देता है उसी तरह से बाद में मैचिंग ग्रान्ट का आंकड़ा बढ़ाया जायेगा....

श्री मुरलीधर व्यास : क्या उसी परसेन्टेज में यह ग्रान्ट मिलती है ?

श्री परसराम मदेरणा : जी हां।

श्री मुरलीधर व्यास : वह क्या है ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने कहा है ५० पर्सेन्ट। माननीय सदस्यों ने कहा कि इसका ऑटोनोमस कैरेक्टर नहीं है। मेरी ऐसी मान्यता है कि युनिवर्सिटी को पूर्ण ऑटोनोमी देने का प्रावधान है। यह जो बिल तैयार किया गया है इसका स्वरूप दिल्ली युनिवर्सिटी के आधार पर है। फिर आगे सलेक्ट कमेटी में इस पर विस्तारपूर्वक विचार किया जा सकता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस बिल के प्रावधानों के अनुसार युनिवर्सिटी को पूर्ण ऑटोनोमी दी गई है और राज्य सरकार का किसी प्रकार का भी हस्तक्षेप नहीं है और वैसे भी राज्य सरकार का हस्तक्षेप कॉलेजों तक रहता है। इसीलिए कॉलेज एजूकेशन को भी उधर दिया गया है ताकि टीचिंग के मामले में युनिवर्सिटी ऑटोनोमस रहे। चेयरमैन महोदय, ये खास मुद्दे थे जिन पर माननीय सदस्यों को उनके प्रश्नों का जवाब देना था। अब मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि राजस्थान में कॉलेजों के विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए, स्टेन्डर्ड ऑफ एजूकेशन की तरक्की के लिए यह निहायत जरूरी है कि जोधपुर में एक दूसरी युनिवर्सिटी स्थापित की जाये। वैसे हमारे पूरे देश में ४६ युनिवर्सिटिज हैं और राजस्थान में जयपुर युनिवर्सिटी टीचिंग-कम एफीलियेशन होने के

Page No. 83

(श्री परसराम मदेरणा)

कारण वह टीचिंग के काम को अच्छी तरह से नहीं देख सकती इसलिए यह सोचा गया कि जोधपुर में एक युनिवर्सिटी भी कायम की जाये जहां कि युनिवर्सिटी की शिक्षा प्राप्त करनेवाले ४ हजार विद्यार्थी हैं। पहले यह टीचिंग युनिवर्सिटी रखी जायेगी और उसके बाद में फ्यूचर पैटर्न खोसला कमेटी ने कहा है कि टीचिंग युनिवर्सिटी जब वैल एस्टेब्लिश्ड हो जाये उसके बाद में एफीलियेशन का भी, पास में कहीं कहीं कॉलेजेज़ आ गये हैं, म्युनिसिपल एरिया के पास उस पर सोचा जा सकता है। लेकिन इनीशियल स्टेज के ऊपर टीचिंग युनिवर्सिटी का ही रखा जाना आवश्यक है। मैं इन शब्दों के साथ माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये, ताकि प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट १८ अप्रैल तक सदन में प्रस्तुत करें।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, इसका समय और अधिक बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : Now there cannot be any point of information.

(विराम)

प्रश्न यह है कि जोधपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९६२ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ?

(स्वीकृत)

जोधपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९६२ प्रवर समिति को सौंपा गया।

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९६२ (प्रवर समिति के सदस्यों के नाम)

श्री सभापति : अब राजस्थान कृषि-विश्वविद्यालय विधेयक पर प्रवर समिति के नाम जो बाद में सूचित किये जाने को थे वे इस प्रकार से हैं:—

(१) श्री नाथूराम मिर्धा।
(२) श्रीमती कमला बेनीवाल।
(३) श्री रामप्रसाद लड्ढा।
(४) श्री रविशंकर याज्ञिक।
(५) राव श्री नारायणसिंह।
(६) श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।
(७) श्री निरन्जनाथ आचार्य।
(८) श्री पोहूमल।
(९) श्री रघुनाथ बिश्नोई।
(१०) श्री बृजसुन्दर शर्मा।
(११) श्री स्वरूपसिंह।
(१२) श्री मथुरेशबिहारी माथुर।
(१३) श्री दिग्विजयसिंह।
(१४) श्री उदयलाल वरदिया।
(१५) श्री विजयसिंह झाला।
(१६) श्री केदारनाथ।
(१७) श्री रामकिशन।
(१८) श्री कुमारानन्द।
(१९) श्री नत्थीसिंह।
(२०) श्री मानिकचन्द सुराणा।
(२१) श्री हजारीलाल शर्मा।

इसमें चेयरमैन श्री नाथूराम मिर्धा हैं।

जोधपुर विश्व विद्यालय विधेयक, १९६२ (प्रवर समिति के सदस्यों के नाम)

श्री सभापति : दूसरी प्रवर समिति जो कि जोधपुर विश्व विद्यालय बिल के विचारार्थ हुई हैं उसके नाम निम्न

(श्री सभापति)

प्रकार से हैं:—

(१) श्री हरिभाऊ उपाध्याय।
(२) श्री परसराम मदेरणा।
(३) श्री घासीराम यादव।
(४) श्री केदारनाथ।
(५) श्री गोविन्दसिंह।
(६) श्री मोतीलाल चौधरी।
(७) श्री निरन्जननाथ आचार्य।
(८) श्री गिरधारीलाल व्यास।
(९) श्री रामचन्द्रसिंह।
(१०) श्री दलपतसिंह।
(११) श्री महाराज हुकमसिंह।
(१२) श्री आनन्दसिंह कछवाहा।
(१३) श्री दुर्गालाल बाढ़दार।
(१४) श्री मानसिंह महार।
(१५) श्री रामानन्द अग्रवाल।
(१६) श्री मथुरेशबिहारी माथुर।
(१७) श्री कृष्णकुमार गोयल।
(१८) श्री मुरलीधर व्यास।
(१९) श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़)।
(२०) श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल।

इसके चेयरमैन श्री हरिभाऊ उपाध्याय होंगे।

अब चूंकि सदन में और कोई कार्यवाही बाकी नहीं रहती है इसलिए सदन की कार्यवाही ९ तारीख तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदुपरान्त सदन की कार्यवाही म० प० ३–४३ बजे दिनांक ९ अप्रैल, १९६२ के म० पू० ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

संक्षिप्त–विवरण

(शुक्रवार, ६ अप्रैल, १६६२)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक २६६६

करोली-मासलपुर सड़क का निर्माण ।

आदिम जाति ग्राम उद्योग संघ, अशोकनगर (उदयपुर)

भाखरा क्षेत्र के भूमिहीन किसानों को दी गई जमीन ।

सवाई माधोपुर में हायर सेकिन्डरी स्कूल का खोला जाना ।

करोली-मासलपुर रुट पर बसों का परमिट ।

मिडिल स्कूल, कैथून (कोटा) का हाई स्कूल में परिवर्द्धन ।

ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु किये गये कार्य ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण ।

पंचायत क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना ।

सड़क–निर्माण ।

बरसाती नाले की मरम्मत ।

रानीवाड़ा-सांचोर सड़क ।

प्राथमिक शालाओं का माध्यमिक शालाओं में परिवर्द्धन ।

भूमि-विक्रय ।

विद्युत व्यवस्था ।

स्कम्भ

स्थगित प्रश्न २७१०

बीकानेर शहर में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था ।

मन्त्रियों द्वारा वक्तव्य २७१३

(१) उप-मन्त्री शिक्षा द्वारा अपने उत्तर में संशोधन

श्री परसराम मदेरणा, उप–मन्त्री, शिक्षा ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १६६२ के खण्ड २ व ३ पर प्रस्तुत संशोधनों के सम्बन्ध में दिनांक ५ अप्रैल, १६६२ को दिये गये अपने उत्तर में संशोधन हेतु एक वक्तव्य दिया ।

(२) गृह मन्त्री द्वारा वक्तव्य

श्री मथुरादास माथुर, गृह मन्त्री ने जन सम्पर्क विभाग के लिये राज्य सलाहकार मण्डल (State Advisory Board) के गठन के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

विधायी कार्य-प्रवर समिति को सुपुर्द किया गया विधेयक

(१) राजस्थान कृषि विश्व-विद्यालय विधेयक, १९६२ २७१६

उपरोक्त विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द करने के संशोधन प्रस्ताव पर आज भी वाद-विवाद किया गया। संशोधन प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार किया जाकर विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया जो अपना प्रतिवेदन दिनांक २० अप्रेल, १९६२तक प्रस्तुत करेगी। प्रवर समिति के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं:—

(१) श्री नाथूराम मिर्धा, सभापति
(२) श्रीमती कमला बेनीवाल
(३) श्री रामप्रसाद लड्ढा
(४) श्री रविशंकर याज्ञिक
(५) श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत
(६) राव श्री नारायणसिंह
(७) श्री निरंजननाथ आचार्य
(८) श्री पोहूमल
(९) श्री रघुनाथ बिश्नोई
(१०) श्री बृजसुन्दर शर्मा
(११) श्री स्वरूपसिंह
(१२) श्री दिग्विजयसिंह
(१३) श्री उदयलाल वरदिया
(१४) श्री विजयसिंह झाला
(१५) श्री केदारनाथ
(१६) श्री रामकृष्ण
(१७) श्री मथुरारेबिहारी माथुर
(१८) श्री कुमारानन्द
(१९) श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़)
(२०) श्री मानिकचन्द सुराणा
(२१) श्री हजारीलाल शर्मा।

समितियों के गठन के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय की घोषणा २७६८

अध्यक्ष महोदय द्वारा जिन समितियों को मनोनीत किया गया उसकी सूचना आज सदन को दी गई। उनके सभापति एवं सदस्यों के नाम भी पढ़ कर सुनाये गये जो इस प्रकार हैं:—

(१) याचिका समिति

(१) राव श्री नारायणसिंह (१२२)—सभापति
(२) श्री चतुर्भुज उपाध्याय (२५)
(३) श्री हनुमानसिंह (५७)
(४) श्री चोसरसिंह (३०)
(५) श्री गोविन्द सहाय (५३)
(६) श्री जयकिशन (७४)
(७) श्री जुझारसिंह (८३)
(८) श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (९४)
(९) श्री नत्थीसिंह (१२३)
(१०) श्री केदारनाथ (८७)

(२) विशेषाधिकार समिति

(१) श्री निरन्जननाथ आचार्य (१२९)—सभापति
(२) श्री भगराज (१२)

Page No. 87

स्कम्भ

(३) श्री शीशराम ओला (१५६)
(४) महाराजकुमार श्री बृजेन्द्रपाल (२१)
(५) श्री घासीराम यादव (४८)
(६) श्री हरदत्तसिंह (५८)
(७) महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (६७)
(८) श्री मानिकचन्द सुराणा (१०४)
(९) श्री रावतराम (१५०)
(१०) श्री सम्पतलाल (१५३)

(३) अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

(१) श्री बृजसुन्दर शर्मा (२२) —सभापति
(२) रावल श्री अमरसिंह जासोल (५)
(३) श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (१८)
(४) श्री गंगाराम चौधरी(४३)
(५) श्री जगनसिंह (७३)
(६) श्री कुमारानन्द (९२)
(७) श्री राधाकिशन गोयल (१३७)
(८) श्री रघुनाथ बिश्नोई (१४०)
(९) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (१५५)
(१०) कुमारी उमा माथुर (१६९)

(४) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

(१) श्री अमृतलाल यादव (६) -सभापति
(२) श्री गणपतिलाल वर्मा (४६)
(३) श्री बालचन्द डागा (८)
(४) श्रीमती गौरी पूनिया (४७)
(५) श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (११७)

स्कम्भ

(५) गृह समिति, १९६२-६३

(१) श्री रामदेवसिंह (१४३)- सभापति
(२) श्री बालूराम (१०)
(३) श्री गोकुलचन्द (५०)
(४) श्री कृष्णकुमार गोयल (९१)
(५) राजा श्री मानसिंह (१०७)

विधायी कार्य

(२) प्रवर समिति को सुपुर्द किया गया विधेयक,

श्री परसराम मदेरणा, उप-मन्त्री, शिक्षा ने जोधपुर विश्व-विद्यालय विधेयक, १९६२ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ। प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन दिनांक १८ अप्रेल, १९६२ तक प्रस्तुत करेगी।

प्रवर समिति के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं:—

(१) श्री हरिभाऊ उपाध्याय- सभापति
(२) श्री परसराम मदेरणा
(३) श्री घासीराम यादव
(४) श्री केदारनाथ
(५) श्री गोविन्दसिंह
(६) श्री मोतीलाल चौधरी
(७) श्री निरन्जननाथ आचार्य
(८) श्री गिरधारीलाल व्यास

स्कम्भ

(९) श्री रामचन्द्रसिंह
(१०) श्री दलपतसिंह
(११) महाराज श्री हुकमसिंह
(१२) श्री आनन्दसिंह कछवाहा
(१३) श्री दुर्गालाल बाढ़दार
(१४) श्री मानसिंह महार
(१५) श्री मथुरेशबिहारी माथुर
(१६) श्री रामानन्द अग्रवाल
(१७) श्री बालूराम
(१८) श्री कृष्णकुमार गोयल
(१९) श्री मुरलीधर व्यास
(२०) श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़)

स्कम्भ

(२१) श्री मुकटबिहारीलाल गोयल

सदन की बैठक ३ बज कर ४३ मिनट पर सोमवार, दिनांक ९ अप्रेल, १९६२ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

सोमवार, दिनांक ९ अप्रेल, १९६२ की कार्य-सूची

आय-व्ययक, १९६२-६३

अनुदानों की मांगों पर मतदान मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२६ का उत्तर देखिये)

'A'

Grant-in—Aid sanction to the Rajasthan Gramodyog Sangh, Udaipur by the Social Welfare Department from 1958-59 to 1961-62.

S. N.	Name of the Activity.	YEAR 1958-59	1959-60	1960-61	1961-62	Total	Remarks.
1.	Head Office.	21,400/—	9,626.99	—	* 5,735.34 3,260.00	40,022.33	* For the years 1960-61 and 1961-62 (both years)
2.	Training Centre.	10,000/—	20,000.00	9,268.65	7,000.00	46,268.65	
3.	Building.	—	50,000.00	75,000.00	—	1,25,000.00	

१	२	३	४	५	६	७	८
4.	Bamboo Centre.	—	—	4,500.00	3,000.00 (Advance)	7,500.00	
5.	Working Capital.	—	30,000.00	—	—	30,000.00	
	Total	31,400.00	1,09,626.00	88,768.65	18,945.34		2,48,790.98

कर्मचारियों की सूची (ब)

क्रम संख्या	नाम	पद	मासिक वेतन दर	विशेष विवरण
१.	श्री हीरानंद	मंत्री	२५०) रू०	
२.	श्री मालवराज (भील)	खजांची	६०) रू०	
३.	श्री रत्नकुमार	टाइपिस्ट और रेकॉर्ड कीपर	८५) रू०	
	विद्यालय			
१.	श्री कालूराम	एकाउन्टेन्ट	१८०) रू०	
२.	श्री महेन्द्रकुमार नलवाया	टीचर	१५०) रू०	
३.	श्री रमेशचन्द्र श्रीवास्तव	टीचर	१२०) रू०	
४.	श्री टहकनदास	होस्टल सुपरिन्टेन्डेन्ट	६०) रू०	
५.	श्री मूलचन्द भील	स्टोरकीपर	६५) रू०	
६.	श्री लालूराम बलाई	चौकीदार	५५) रू०	
७.	श्री मेघसिंह	रसोइया	५५) रू०	
	बांस उद्योग			
१	श्री हीरालाल भील	शिक्षक	६०) रू०	
२	श्री मंगलदास ,,	चौकीदार	५०) रू०	

नोट : तनख्वाह फिक्सड है, कोई ग्रेड तथा मंहगाई भत्ता नहीं दिया जाता ।

———

१	२	३	४
२८१५	२६	तग्ह	तरह
२८२०	१०	कमेटी	कमेटी
२८३१	८	reguest	request
२८३३	शीर्षक	प्रवर समितियों के सदस्यों	जोधपुर विश्वविद्यालय विधेयक
२८३४	,,	के नाम १६६२	समितियों के सदस्यों के नाम

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक ६ अप्रैल, १९६२)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
२६७१	१	ठुकड़ा	टुकड़ा
२६७२	१५	नेक्त्ट	नेक्स्ट
,,	अंतिम से २	अप्रव	अप्र व
२६७३	अंतिम से २	परिशिप्ट	परिशिष्ट
२६७७	८	ना-पत्रौ	ना-पत्रों
,,	अंतिम पंक्ति	सखाड़िया	सुखाड़िया
२६७८	६	सखाड़िया	सुखाड़िया
२६८६	अंतिम से ४	किननी	कितनी
२७०४	१६	माध्यमिक्र	माध्यमिक
,,	२२	हौगे	होंगे
,,	अंतिम पंक्ति	प्रस्तार्वो	प्रस्तावों
२७०६	शीर्ष	(श्री सरीश्चन्द्र)	(श्री हरिश्चन्द्र)
२७३५	अंतिम पंक्ति	एक्सपर्टस	एक्सपर्ट् स
२७३७	२१	इन्फॉरमेंशन	इन्फॉर्मेशन
२७४०	शीर्षक	विदेयक	विधेयक
२७४२	७	जामीदारों	जमींदारों
२७४४	६	श्री गोकलप्रसाद	श्री गोकुलप्रसाद
२७६३	शीर्ष	बेनिघाल	बेनिवाल
२७७०	२०	सम्धन्धी	सम्बन्धी
२७७३	२	टर्म् सं	टर्म्स
२८०६	४	श्री उमरावसिंह (ढाबरिया)	श्री उमरावसिंह ढाबरिया
२८११	१४	डाबरिया	ढाबरिया